सत्यमेव जयते

पंचायती राज

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क

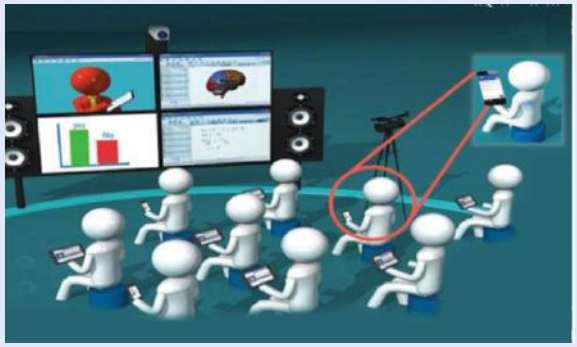

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क

पंचायती राज

विषय सूची

1.	योजना का औचित्य	7
2.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्य	11
3.	आरजीएसए के फोकस क्षेत्र	12
4.	पंचायत संसाधन और पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)	14
5.	समुदाय आधारित संगठन और पंचायत	17
6.	वित्तपोषण का स्वरूप	18
7.	आरजीएसए के अंतर्गत निधियां के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें	20
8.	राष्ट्रीय/केन्द्रीय घटक	21
9.	तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना	22
10.	राज्य घटक	34
11.	राज्य घटक के अंतर्गत निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया	58
12.	आरजीएसए के अंतर्गत लागत मापदंड	59

अनुबंध

1.	सुमित बोस समिति की सिफारिशें	63
2.	ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए पीआरआई–एसएचजी अभिसरण	71
3.	मिशन अंत्योदय पर नोट	100
4.	पीआरआई के लिए एक्सपोजर दौरों के आयोजन हेतु दिशानिर्देश	102
5.	पंचायत शिक्षा केन्द्र (पीएससी) पर संक्षिप्त नोट	113
6.	117 आकांक्षी जिलों की सूची	116
7.	आरएसईआईटी के प्रशिक्षण अवसंरचना के प्रयोग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शिका	118

संक्षेपाक्षर

3 एफएस	–	कोष, कार्य, कर्मी
एटीआर	–	की गई कारवाई रिपोर्ट
बीसीसी	–	व्यवहार परिवर्तन अभियान
सीवी एंड टी	–	क्षमता विकास और प्रशिक्षण
सीबीओ	–	समुदाय आधारित संगठन
सीईसी	–	केन्द्रीय कार्यकारी समिति
सीपीआर	–	कॉमन संपत्ति संसाधन
सीएससी	–	कॉमन सेवा केंद्र
डीडीयूजीकेवाई	–	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीडीयूपीएसपी	–	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार
डीपीसी	–	जिला योजना समितियां
डीपीआरसी	–	जिला पंचायत संसाधन केंद्र
ईएफटी	–	इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
ईआरएस	–	निर्वाचित प्रतिनिधि
एफएफसी	–	चौदहवां वित्त आयोग
जीएफआर	–	सामान्य वित्तीय नियम
जीओआई	–	भारत सरकार
जीपीडीपी	–	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपी	–	ग्राम पंचायत
एचआर	–	मानव संसाधन
आईसीटी	–	सूचना संचार प्रौद्योगिकी
आईपी	–	इंटरनेट प्रोटोकॉल
जेएफएमसी	–	संयुक्त वन प्रबंधन समिति
एलजीडी	–	स्थानीय सरकार निर्देशिका
एलएसजी	–	स्थानीय स्व–शासन
एमआईएस	–	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमपी	–	मिशन मोड प्रोजेक्ट
एमओएचएफडब्ल्यू	–	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएचआरडी	–	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओपीआर	–	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	–	ग्रामीण विकास मंत्रालय

एमटीएस	–	मास्टर ट्रेनर्स
एनएसी	–	राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति
एनसीबीएफ	–	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क
एनडीआरजीजीएसपी	–	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
एनईजीपी	–	राष्ट्रीय ई अभिशासन कार्यक्रम
एनआईआरडी और पीआर	–	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एनपीएमयू	–	राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
एनपीटीए	–	तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रीय योजना
एनएससी	–	राष्ट्रीय संचालन समिति
एनएसएस	–	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस	–	नेहरू युवा केंद्र संगठन
ओएसआर	–	स्वयं के राजस्व स्रोत
पीईएस	–	पंचायत एंटरप्राइज सूइट
पीएफएमएस	–	पब्लिक फाइनेंस मैंनेजमेंट सिस्टम
पीएफ	–	पंचायत कर्मी
पीएलसी	–	पियर लर्निंग सेंटर
पीएमयू	–	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
पीआरआई	–	पंचायती राज संस्था
पीआरटीआई	–	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
आरजीएसए	–	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
एसडीजी	–	सतत विकास लक्ष्य
एसईसी	–	राज्य कार्यकारी समिति
एसईसीसी	–	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
एसएफसी	–	राज्य वित्त आयोग
एसएचजी	–	स्वयं सहायता समूह
एसआईआरडीएस	–	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
एसपीएमयू	–	राज्य प्रबंधन इकाई
एसपीआरसी	–	राज्य पंचायत संसाधन केंद्र
एसएससी	–	राज्य संचालन समिति
टीएनए	–	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन
यूजी	–	उपयोगकर्ता समूह
यूटी	–	संघ राज्य क्षेत्र
वीईसी	–	ग्राम शिक्षा समिति
वीएचएसएनसी	–	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति

अध्याय 1
योजना का औचित्य

महात्मा गांधी ने गांवों को लघु–गणराज्य के रूप में कल्पना की थी और जमीनी स्तर पर वास्तविक लोकतंत्र प्रत्येक गांव के लोगों की भागीदारी के साथ करने की वकालत की थी। 73 वें संवैधानिक संशोधन ने तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को स्थानीय स्व–सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया।

1.1 संवैधानिक प्रावधान

पीआरआई लोकतांत्रिक स्थानीय सरकारी संस्था हैं जो अच्छे प्रशासन, सामाजिक समावेश, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही हैं। भारत के संविधान के 73 वें संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय नियोजन और विकास की गतिविधियों को अधिदेशित किया और जमीनी स्तर पर लोगों के नेतृत्व वाले विकास की कल्पना की है। पंचायती राज प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के जुड़वें उद्देश्यों को अनिवार्य किया गया था।

संबंधित राज्यों द्वारा शक्ति, कोष, कार्यों और कर्मियों (3 एफ) का अंतरण किया जाना अनिवार्य है। यह विभिन्न राज्यों में एक समान नहीं है।

संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि–विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट–पालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवासन।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला और बाल–विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रुप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबी, असमानता, खराब मानव विकास सूचकांक और बेरोजगारी के मूल मुद्दों को हल करने के लिए बहुआयामी रणनीतियों की कल्पना की है। हाल के वर्षों में पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अवार्ड और केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएमएवाई और अन्य के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य अतिरिक्त रूप से राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के माध्यम से धन का हस्तांतरण करते हैं। एफएफसी अवार्ड ने वर्ष 2015–2020 की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को भारी वित्तीय हस्तांतरण (2,00,292.2 करोड़ रुपये) के माध्यम से ग्राम पंचायत (जीपी) के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक बड़ा अवसर सृजित किया है। पंचायतों के उपलब्ध संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि का स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा वितरण पर ठोस प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए।

अधिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को विकसित करने के संबंध में पंचायतों की अपर्याप्त क्षमता के कारण इसे वितरित नहीं कर पाने की महत्वपूर्ण चिंता अक्सर केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की जाती है। यद्यपि इस संदर्भ में राज्यों की स्थिति एक समान नहीं होती, लेकिन कई राज्यों में पंचायतों के भीतर प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता के मामले में कमजोरी चिंता का कारण बना हुआ है। इस कारण एक चक्र के रूप में बन जाता है और जिस कारण से पर्याप्त अंतरण नहीं हो पाता। इसका नतीजा कमजोर संस्था के रूप में सामने आता है। संवैधानिक रूप से अधिदेशित पंचायतों का एक सक्षम नेतृत्व स्थानीय स्तर पर सुशासन के मुद्दे को हल करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसलिए पंचायतों और संबंधित संस्थानों की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सेवाओं के कुशलता पूर्वक वितरण के लिए ग्रामसभा की प्रक्रियाओं का समर्थन किया जाना चाहिए।

राज्य अधिनियमों के तहत शक्तियों और कार्यों के अंतरण के अलावा, पंचायतों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत तेजी से कार्य सौंपा जा रहा है।

ग्राम पंचायतों के कार्य

राज्यों के पंचायत अधिनियमों द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यः ग्राम पंचायतों के इन कार्यों में अन्य कार्यों के साथ साथ आधारभूत सार्वजनिक–स्वच्छता, पेयजल, आंतरिक संयोजन,स्ट्रीट लाईट,खेल के मैदानों, पार्कों,अन्य साझा संपत्तियों का रख–रखाव शामिल है।

संघ और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में, सरकार के उच्च स्तरीय ऐजेंट के रूप में। इसमें ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2016–17 में एसडीजी की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्षमताओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की घोषणा की गई थी। देश भर में गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लैंगिक असमानता,स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि जैसी स्थानीय विकास की चुनौतियां हमारे समक्ष हैं जो एसडीजी के साथ समन्वयित हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं। इसलिए वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए पंचायतों को एक प्रमुख हितधारक के रूप में नामित किया गया है।

आरजीएसए ने "आकांक्षी जिलों" और मिशन अंत्योदय क्लस्टर में पंचायतों के लिए भी प्रमुख भूमिका की कल्पना की है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जनवरी में शुरू किए गए 'आकांक्षी जिलों का कायाकल्प' कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित 117 जिलों में तेज़ी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना है। इन जिलों को वंचित (भूमिहीन परिवारों की सीमा), स्वास्थ्य और पोषण (संस्थागत वितरण, बच्चों की बर्बादी से रोकथाम), शिक्षा (प्राथमिक शिखा छोड़ने की दर और प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात) और आधारभूत संरचना (गैर–विद्युतीकृत घर, शौचालयों की कमी, सड़क से गांवों को न जुड़ना और पीने के पानी की कमी) के मापदंडों पर इन जिलों का चयन किया गया है।

वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार, 8.88 करोड़ परिवारों को परिप्रेक्ष्य से बहु–आयामी अभावों से वंचित पाया गया। इन परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन अंत्योदय' ग्राम पंचायतों के साथ सरकारी हस्तक्षेपों को संसाधनों को पूल करके संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करके नियोजन के लिए मूल इकाई के रूप में अभिसरण करना चाहता है। यह 1,000 दिनों में 5000 ग्रामीण समूहों / 50,000 ग्राम पंचायतों में 1,00,00,000 परिवारों के जीवन के लिए मापनीय परिणामों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए राज्य की अग्रणी पहल है। एसडीजी और अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सक्षम करने के लिए प्रमुख क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है।

सतत विकास लक्ष्य

लक्ष्य 1	हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन
लक्ष्य 2	भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना
लक्ष्य 3	स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ावा देना
लक्ष्य 4	समावेशी और न्यायसंगत ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना
लक्ष्य 6	सभी के लिए पानी और स्वच्छता की सतत उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना
लक्ष्य 7	सभी की वहनीय, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना
लक्ष्य 8	निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मान जनक कार्य को बढ़ावा देना
लक्ष्य 9	लचीला बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना
लक्ष्य 10	देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना
लक्ष्य 11	शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना
लक्ष्य 12	टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना
लक्ष्य 13	जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना
लक्ष्य 14	सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना
लक्ष्य 15	स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को सुरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी रूप से प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, और जमीन में गिरावट को रोकना और प्रत्यावर्तित करना और जैव विविधता हानि को रोकना
लक्ष्य 16	स्थायी विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थान बनाना
लक्ष्य 17	कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना

इस प्रणाली में हितधारकों की बड़ी संख्या और निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों (पीएफ) की प्रभावी और गुणवत्ता पूर्ण क्षमता निर्माण के लिए चुनौती पेश कर रही है। इसके अलावा, पंचायतों में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के आरक्षण के बावजूद, ग्रामीण इलाकों में संरचनात्मक असमानता और भेदभाव के कारण उन्हें अभी भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में, लगभग 2.56 लाख पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधिय (ईआर) हैं जिनमें से 13.759 लाख (लगभग 44.37 प्रतिशत) महिलाएं हैं। दुनिया में स्थानीय शासन में महिलाओं के इस सबसे बड़े प्रतिनिधित्व को सार्थक भागीदारी, लैंगिक समानता और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में बदलने की आवश्यकता है। संविधान, राज्यों को पंचायतों को स्थानीय स्व–शासन के लिए स्थानीय स्व–सरकार की संस्था के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए शक्तियों को अंतरित करने की शक्ति देता है। हालांकि, सेवा वितरण की क्षमताओं के संबंध में राज्यों में 3 एफ के अंतरण के संबंध में पंचायतों के सशक्तिकरण की स्थिति महत्वपूर्ण रूप से असमान है। स्थानीय स्व–शासन के मामले में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों का है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम 1996, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से स्व–शासन और संसाधनों पर लोगों के नियंत्रण का ढांचा प्रस्तुत करता है। अभी तक, पीईएसए प्रावधानों के अनुपालन में राज्य कानूनों में संशोधन करने में राज्यों की रुचि की कमी के साथ ही ग्राम सभा को मजबूत करने के प्रयासों की कमी के कारण भी पीईएसए का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। पंचायतों को सुदृढ़ बनाना और पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पीईएसए के कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व है। इससे इन क्षेत्रों में बेहतर शासन और उत्तरदायित्व का सृजन हो सकता है। छठी अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में, पंचायतों की संस्था अनिवार्य नहीं है। इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन के लिए संस्थाओं के अन्य रूप मौजूद हैं। इन संस्थाओं की मदद और मजबूत करने का प्रस्ताव है।

देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	2,56,103
ग्राम पंचायतों की संख्या	2,48,856
ब्लॉक पंचायतों की संख्या	6,626
जिला पंचायतों की संख्या	621
निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	31,00,000
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	14,39,000

गैर पंचायती राज संस्था वाले क्षेत्र (गैर भाग IX)
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर के पर्वतीय इलाकों के हिस्सों, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से

यह इस संदर्भ में है कि आरजीएसए का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के टिकाऊ हल जो एसडीजी से जुड़ी हुई हैं, को प्राप्त करने के लिए स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी लीवरेज करने वाली सहभागितापूर्ण योजना तैयार करने और उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना है।

अध्याय 2
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र

2.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्य

- एसडीजी की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की अभिशासन क्षमता विकसित करना ।
- उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं में वृद्धि।
- राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मजबूती प्रदान करना।
- संविधान और पीईएसए अधिनियम, 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के अंतरण को बढ़ावा देना।
- पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और निकटस्थ समर्थन करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों का नेटवर्क विकसित करना।
- विभिन्न स्तरों पर पीआरआई की क्षमता में वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ करना और उन्हें आधारभूत संरचना, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

2.2 कार्यक्षेत्र

आरजीएसए देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) तक विस्तारित होगा। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, जहां भी 'पंचायत' का उल्लेख किया गया है, इनमें गैर–भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्था शामिल होगी ।

अध्याय 3
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के फोकस क्षेत्र

3.1 आरजीएसए के फोकस क्षेत्र :

- **<u>सुनिश्चित करना है:</u>**
  - पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) के लिए उनके चुनाव के 6 महीने के भीतर मूल उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।
  - रिफ्रेशर प्रशिक्षण 2 साल के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
  - प्राथमिकता के आधार पर आकांक्षी जिलों और मिशन अंत्योदय क्लस्टर निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) का क्षमता निर्माण।
  - पंचायत – एसएचजी साझेदारी को सुदृढ़ बनाना।
- **<u>इनमें अंतरालों को पाटना :</u>**
  - क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एवं टी),
  - ग्राम पंचायत अवसंरचना,
  - दूरस्थ शिक्षा और पंचायतों की ई–सक्षमता के लिए आईटी का उपयोग,
  - नवाचार के लिए संस्थागत सहयोग,
  - आर्थिक विकास और आय में वृद्धि में अंतराल को भरने का समर्थन करना।
  - पहचान किए गए अंतराल पर आधारित मानव संसाधन (एच आर) सहित तकनीकी सहायता।

- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को अकादमिक/उत्कृष्टता के संस्थानों द्वारा निकटस्थ समर्थन प्रदान करना।

- ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त जनशक्ति के प्रावधान को बढ़ावा देने और तकनीकी जनशक्ति के लिए समर्थन प्रदान करना।

- मंत्रालय द्वारा विकसित पंचायत एंटरप्राइज़ सूइट (पीईएस) अनुप्रयोगों पर जोर देने के साथ दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई–गवर्नेंस के लिए पंचायतों की अधिक ई–सक्षमता का समर्थन करना।

- इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी), पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) की सुविधा के लिए, ग्राम पंचायत में संपत्तियों का उपयोग और जियोटैगिंग।

- आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए आरजीएसए को सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए अंतराल वित्त पोषण का एक नया घटक प्रदान करता है।

- प्रोटोकॉल और भवन क्षमताओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय घटक।

3.2 आरजीएसए के अपेक्षित परिणाम :

- सहभागितापूर्ण स्थानीय नियोजन, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन और एसडीजी की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमताओं में वृद्धि होगी ।

- प्रशासनिक दक्षता, बेहतर सेवा वितरण और अधिक जवाबदेही के लिए पंचायत स्तर पर ई–गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के उपयोग बढ़ेगा।

- पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों के साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत संरचना का निर्माण।

अध्याय 4
पंचायत संसाधन और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

एफएफसी (2015–20) ने ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को स्थानांतरित करके उनके लिए एक बड़ा अवसर सृजित किया है। ग्राम पंचायतों को तत्काल सशक्तिकरण करने की भी आवश्यकता है ताकि वे मूलभूत सेवाओं के वितरण के संबंध में जिम्मेदारीपूर्ण और दक्षतापूर्वक वितरण के संबंध में अपना अधिदेश को पूरा करे सकें।

संविधान में पीआरआई को तीन प्रकार की शक्तियां वित्तीय, कार्यात्मक और कर्मचारियों के सफल अंतरण के साथ स्व–सरकार की संस्था के रूप में शामिल किया गया है। पंचायतों को शक्तियों और अधिकारों का अंतरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। पंचायतों को कर, ड्यूटी, टोल और उचित फीस एकत्रित करने और तर्कसंगत बनाने के लिए वित्तीय शक्तियां आवंटित की जानी चाहिए। हालांकि, यह देखा गया है कि कई राज्यों में, आम तौर पर पीआरआई और विशेष रूप से ग्राम पंचायत वांछित हद तक अपने संसाधनों को संघटित नहीं कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर अनुदान पर निर्भर हैं।

4.1 पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तिकरण–वर्तमान बाधाएं

पीआरआई के कमजोर राजस्व संघटन को आम तौर पर गरीबी, खराब स्थानीय सेवाओं, अपर्याप्त जनशक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और इस कारण उन्हें कर संग्रह का अधिकार नहीं दिया जाता है। इन सीमाओं के बावजूद, पीआरआई के पास राजस्व सृजित करने की क्षमता है जिसका अब तक दोहन नहीं हो पाया है, इसके बाद भी कुछ राज्यों में, पीआरआई अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न करों को लागू करने के लिए अधिकृत हैं। पीआरआई को आम संपत्ति संसाधन (सीपीआर) प्रबंधन जैसे टैंक की नीलामी, लकड़ी की बिक्री, भूमि पट्टे आदि से राजस्व सृजन करने के लिए भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, पीआरआई अलग–अलग स्रोतों से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर सकती हैं ताकि वे वाणिज्यिक भवनों, भंडारण सुविधाओं, बाजार स्थान और किराया अर्जित करने वाली अन्य सुविधाओं जैसे आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बना सकें।

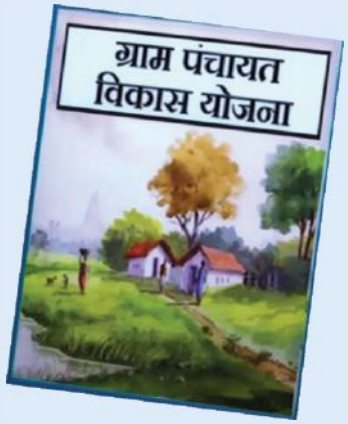

4.2 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और पंचायत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छ ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए पंचायतों को अधिदेशित किया। स्थानीय सरकारों के रूप में, पंचायतों से स्थानीय लोगों का समग्र स्थानीय विकास, गरीब और हाशिए पर लोगों की कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें सहभागितपूर्ण योजना और निर्णय लेने में स्थानीय लोगों को शामिल करके प्रक्रिया का नेतृत्व करने की उम्मीद है। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और उत्तरदायीपूर्ण उपयोग के माध्यम से अच्छी तरह से सोच– विचार कर बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए, ग्राम पंचायत के

मुख्य क्रियाकलापों के हिस्से के रूप में एक कुशल और मजबूत योजना प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए और एक समावेशी, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। इसे एसडीजी, समस्याओं, समाधान और संसाधनों के स्थानीय विश्लेषण और सामूहिक स्थानीय दृष्टिकोणों के साथ संरेखित कर जरूरतों और प्राथमिकता की जमीनी स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना की पहल के लिए स्थानीय स्तर की योजना के माध्यम से बुनियादी सेवाओं को वितरित करने के लिए विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए पांच वर्ष (2015–2020) की अवधि में एफएफसी अवार्ड का अंतरण किया जाएगा। एक बार जब एमजीएनआरईजीएस, एसएफसी स्थानान्तरण, स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) के साथ मिलकर और अन्य राज्य और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से धन की प्राप्ति होती है जिससे ग्राम पंचायतों के लिए यह अभिसरण योजना हेतु एक महत्वपूर्ण संसाधन आधार बनाता है। यह एसडीजी की प्राप्ति में योगदान देता है और इस कारण स्थानीय विकास में नेतृत्व की भूमिका की पुनः खोज होती है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने जीपीडीपी के लिए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित करने के लिए राज्यों का समर्थन किया है। जीपीडीपी विभिन्न स्थानीय मॉडल और नवाचारों की अनुमति देता है जो स्थानीय रूप से उपयुक्त और लागत प्रभावी हों। एक स्थानीय रूप से बनाई गई योजना दक्षता पूर्वक और जवाबदेही के साथ संसाधनों का उपयोग करने का एकमात्र तरीका भी होगा। ग्राम पंचायत विकास योजना में महसूस की गई जरूरतों को कुशलतापूर्वक दर्ज करने, सेवा वितरण में सुधार, नागरिकता में गुणात्मक वृद्धि, लोगों के संस्थानों और समूहों के गठबंधन के लिए जगह बनाने और स्थानीय स्तर पर शासन में सुधारने की कल्पना की गई है।

जीपीडीपी के तहत, यह परिकल्पना की गई कि ग्राम पंचायत गांवों के विकास के लिए पांच वर्षीय और वार्षिक योजनाएं विकसित करेगी। सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से जीपीडीपी तैयार किए जाने और उपलब्ध संसाधनों को अभिसारित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत धन की उपलब्धता की जानकारी देते हुए, पंचायतों को संसाधन संचिका (रिसोर्स एनवेलप) पर पंचायत से संवाद करने की उम्मीद है। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जीपीडीपी के तहत प्रत्येक गतिविधि – पर्यावरण सृजन, स्थिति विश्लेषण, प्राथमिकता, संबंधित ग्राम सभा आदि में अनुमोदन होता है और समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा किया जाता है।

एक सुसंगत और प्रभावी जीपीडीपी विकसित करना एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसे संसाधन आवंटन, सामुदायिक संघटन , कमजोरीपन का मानचित्रण, सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन, परिणाम आधारित योजना और तकनीकी सीमाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।

क्षमता प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (पीआरआई ईआर), कर्मियों और अधिकारियों व नागरिकों की एक टीम जीपीडीपी द्वारा बनाए गए अवसरों को फलीभूत कर सकता है। इसलिए, ऐसी पहलों के शुरू होने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान गहन सुविधा, विशेष रूप से सलाह/निकटस्थ समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। इसे पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों/शिक्षाविदों/विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, स्वयंसेवकों आदि को शामिल करके और क्लस्टर सुविधा दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। जीपीडीपी के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण समुदाय को सामाजिक सुख और सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित होगा। योजनाओं का अभिसरण और उनके निगरानीशुदा कार्यान्वयन से गरीबी कम होगी और स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पोषण, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ आजीविका, आवास, बिजली, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सकेगा। इसलिए नवीनतम विकास को एकीकृत करने के साथ–साथ

जीपीडीपी को अधिक पंचायत विशिष्ट, बेहतर संरचित, मानचित्रण करने में आसान, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण और ट्रैक करने के लिए यह अनिवार्य है कि जीपीडीपी दिशानिर्देशों को विकसित किया जाए। एक व्यापक जीपीडीपी न केवल सहभागितापूर्ण आयोजना में योगदान देगा बल्कि जमीनी स्तर पर और लंबे समय तक लोकतंत्र को संस्थागत बनाने और देश के गांवों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एंकर साबित होगा।

4.3 अभिसरण

पंचायत विशेष रूप से ग्राम पंचायत अधिकतर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अंतिम छोर का अभिसरण बिन्दु है। यह प्रयासों/ कार्यों के दोहराव, संसाधनों की बर्बादी को रोकता है और इनके बीच तारतम्य बनाने में मदद करता है। अभिसरण मूल्यवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप गरीब और कमजोर लोगों को एकीकृत लाभ भी मिलेगा। देश भर में पंचायतें स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजना तैयार कर रही हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये योजनाएं उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करने, स्थानीय विकास के लिए गतिविधियों को शामिल करने और गरीब और हाशिए पर के लोगों की कमजोरियों को हल करने के लिए तैयार हो। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन अंत्योदय का उद्देश्य एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना और वर्ष 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने के लिए कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभों को प्रसारित करने के लिए एक अभिसरण ढांचा स्थापित करना है। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि पंचायत गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए मनरेगा, एसबीएम, एनआरएचएम, एनआरएलएम, एफएफसी, एसएफसी, ओएसआर आदि से लाभ और संसाधनों को अभिसारित करने की दिशा में काम करे।

ग्राम पंचायत को योजना तैयार करने के लिए जरूरी संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायत के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेप करने से पहले उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के संबंध में खुलासा किया जाना महत्वपूर्ण है। संबंधित विभागों को ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में इस तरह के स्वैच्छिक खुलासे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि इन्हें जीपीडीपी आयोजना प्रक्रिया में एकीकृत किया जा सके।

4.4 सर्वश्रेष्ठ जीपीडी कार्यों को बढ़ाना

इस दिशा में राज्य अन्य ग्राम पंचायतों के बीच उनके तैयार सर्वोत्तम जीपीडीपी को मॉडल जीपीडीपी के रूप में साझा करके अच्छी तरह से तैयार, सुसंगत और प्रभावी जीपीडीपी विकसित करने में काफी मदद कर सकते हैं। यह अन्य ग्राम पंचायतों को तेजी से सीखने की अनुमति देगा, और जीपीडीपी से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। इस प्रकार सर्वोत्तम प्रथाओं को कम समय में तेजी से बढ़ाया जा सकता है, और यह राज्य भर में जीपीडीपी की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अध्याय 5
समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और पंचायती राज संस्था (पीआरआई)

वर्षों से समुदाय आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रणनीतियां जमीनी स्तर पर संगठित सामाजिक पूंजी के उपयोग के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व और प्रभावी कार्यक्रम वितरण के निर्माण में समुदाय आधारित संस्थानों और योजना विशिष्ट समितियों पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी), ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी), उपयोगकर्ता समूह (यूजी), ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) जैसे समूह वन प्रबंधन, जल आपूर्ति सिंचाई, पोषण, स्वच्छता इत्यादि,जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं जबकि स्वयं–सहायता संस्थान जैसे स्वयं–सहायता संस्थान (एसएचजी), सीबीओ की संभावित क्षमता का उपयोग जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन और पंचायतों का उत्तरदायित्व को साबित करने में किया जा सकता है।

पीआरआई और एसएचजी/सीबीओ पारस्परिक रूप से गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने, गरीबों के स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और समुदायिक भागीदारी को संघटित करके कार्यक्रम वितरण और शासन में सुधार करने में पारस्परिक रूप से शामिल हो सकते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए पंचायत–एसएचजी अभिसरण पर जारी विस्तृत परामर्शिका (**अनुबंध II**) में दी गई है। परामर्शिका पंचायतों के साथ एसएचजी के अभिसरण और दोनों के परस्पर लाभप्रद संबंधों में निभाई जा सकने वाली भूमिकाओं पर विस्तृत इनपुट प्रदान करता है।

ग्राम सभा द्वारा संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे एमजीएनआरजीए, एसबीएम, एनआरएचएम, एनआरएलएम, पोषण अभियान इत्यादि के लाभों का लाभ उठाने के लिए बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों की अनिवार्य पहचान का सिद्धांत और ऐसे लाभार्थियों की सूची का नियमितीकरण और सही अद्यतन को पीआरआई की क्षमता निर्माण पहल का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

अध्याय 6
वित्तपोषण का स्वरूप

आरजीएसए को राज्य और केंद्रीय शेयरों के साथ वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक चार साल के लिए कोर केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय और राज्य घटक के लिए साझा अनुपात पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर 60:40 के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में यह अनुपात 90:10 का होगा। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय हिस्सा शत–प्रतिशत यानि 100 प्रतिशत होगा। प्रस्तावित योजना की कुल लागत 7255.50 करोड़ रुपये है। इसमें 4500 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 2755.50 करोड़ रूपये राज्य का हिस्सा है। केन्द्रीय घटक में राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां सहित तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए), अकादमिक संस्थान/उत्कृष्टता के संस्थान के साथ सहयोग, ई–पंचायत पर मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) और 'पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण ' शामिल हैं।

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी), आरजीएसए उपलब्ध बजट के अनुसार राज्य में पंचायत/इसके समकक्ष निकायों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी क्षमता निर्माण योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदान की जाने वाली राशि की मात्रा तय करने के लिए सक्षम होगी। राज्य योजनाओं को भेजने और मूल्यांकन करते समय विभिन्न गतिविधियों के लिए यूनिट लागत/व्यय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो सीईसी, आरजीएसए द्वारा इकाई लागत को 25 प्रतिशत तक संशोधित किया जा सकता है। उन गतिविधियों के लिए जिनके लिए एक इकाई लागत या ऊपरी व्यय सीमा दिशानिर्देशों में तय या उस बारे में संकेत नहीं दिया गया है, सीईसी, आरजीएसए उनके व्यय और इकाई लागत को मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा। सचिव (पीआर) की मंजूरी के तहत लागत मापदंड सहित आरजीएसए के दिशानिर्देशों में कोई भी बदलाव करने के लिए भी सीईसी सक्षम होगा। राज्य सरकारों को धनराशि सामान्य वित्तीय विनियमन (जीएफआर) प्रावधानों के अनुसार जारी होगा। आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा वेतन और वित्त पोषित अन्य व्यय आरजीएसए को स्थानांतरित/वसूल नहीं किया जा सकता।

6.1 धन का प्रवाह

आरजीएसए के लिए निधि दो समान किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त में वार्षिक योजना में अनुमोदित निधि का 50 प्रतिशत पिछले वर्ष की निर्मुक्ति से राज्य के साथ शेष राशि काटने के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा। दूसरी किस्त (शेष 50 प्रतिशत) कुल उपलब्ध धनराशि के 60 प्रतिशत व्यय के बाद जारी की जाएगी, यानी प्रारंभिक शेष और पहली किस्त के रूप में जारी की गई शेष धन राशि। निधि की निर्मुक्ति राज्यों द्वारा प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग से जुड़ी होगी। आरजीएसए के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अलग बजट शीर्ष बनाना होगा। आरजीएसए के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राज्य सरकार के समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

आरजीएसए के तहत केंद्रीय शेयर की प्राप्ति के बाद, राज्य सरकारों को 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी करना होगा। राज्य, भारत सरकार के मौजूदा नियमों और लागू होने वाले जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

6.2 कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन की जाने वाली गतिविधियां:

अध्याय 7
आरजीएसए के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली निधियों के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें

7.1 आरजीएसए निधियों की प्राप्ति के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें: आरजीएसए के अंतर्गत निधियां के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें:—

- गैर भाग IX क्षेत्रों में पंचायतों या स्थानीय ग्रामीण निकायों का नियमित चुनाव
- पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण
- एसएफसी का हर पांच साल पर गठन और एसएफसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) विधान मंडल में रखना
- सभी जिलों में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) का गठन और इन्हें कार्यशील बनाने के लिए दिशानिर्देश / नियम जारी करना
- पीआरआई के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना को तैयार करना और एमओपीआर को जमा करना।
- जहां कहीं भी ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संभव / व्यावहारिक सह स्थापना। पहले कदम के रूप में ग्राम पंचायत (जीपी) भवनों के भीतर कार्यशील सीएससी का मानचित्रण किया जाना चाहिए। एमओपीआर ग्राम भवनों में ऐसे सीएससी को ढूंढ़ने में संबंधित मंत्रालय / राज्यों के साथ समन्वय करेगा।

अध्याय 8
राष्ट्रीय/केन्द्रीय घटक

एनपीटीए शैक्षणिक संस्थानों/उत्कृष्टता के संस्थानों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था के साथ सहयोग, पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण, ई–पंचायत पर एमएमपी सहित इस योजना में राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों वाला केन्द्रीय घटक शामिल होगा और इसका वित्त पोषण पूरी तरह भारत सरकार करेगी।

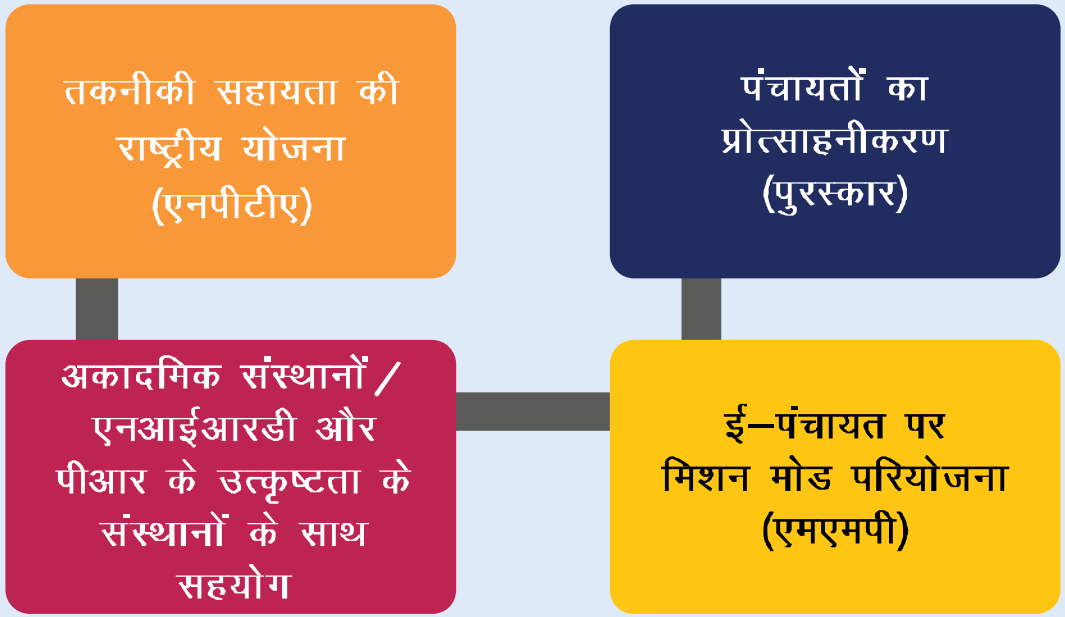

अध्याय 9
तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए):

9.1 एनपीटीए के उद्देश्य

एनपीटीए का उद्देश्य योजना की निगरानी और आरजीएसए के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना होगा। एनपीटीए के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जाएंगी :

- राज्य योजना का आंकलन
- वर्तमान योजनाओं के इष्टतम अभिसरण के लिए अन्य मंत्रालयों / राज्यों के साथ समन्वय और पीआरआई के सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग
- योजनाओं का कार्यान्वयन, निगरानी और तकनीकी के लिए राज्यों की सहायता
- सभी राज्यों के बीच साझेदारी एवं शिक्षा, अच्छे कार्यों का दस्तावेजीकरण और प्रसार, क्षमता निर्माण एवं पंचायतों के सशक्तिकरण पर कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन करना
- नवाचार योजनाओं के पायलेट परियोजना शुरू करने / विशेष गतिविधियों के लिए संस्थानों, विशेषज्ञ एजेंसियों का समर्थन
- आरजीएसए के विकास एवं रखरखाव की ऑनलाइन निगरानी एवं रिपोर्टिंग
- आरजीएसए योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन
- सुशासन एवं विकेन्द्रीकरण के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यकता आधारित अनुसंधान एवं अध्ययन

9.2 क्षमता निर्माण/उत्कृष्टता के संस्थानों/एनआईआरडी और पीआर के संस्थानों के क्षेत्र में काम कर रहे अकादमिक संस्थानों/राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगः

आरजीएसए कार्यक्रम के तहत पीआरआई का निर्माण,क्षमता निर्माण/उत्कृष्ट संस्थाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज एनआईआरडी और पीआर सहित अकादमिक संस्थानों/राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और पीआरआई के लिए तकनीकी सहायता के समग्र ढांचे के भीतर किया जाएगा।

यह सहयोग ज्ञान प्रबंधन के लिए पारस्परिक रूप से सहमत कार्य योजना, और योजना के ढांचे के भीतर पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार पर आधारित होगा। सहयोग क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे :–

- विषयगत मॉड्यूल का विकास, ई–मॉड्यूल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री
- मास्टर प्रशिक्षकों के पूल का विस्तार, प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के प्रमाणीकरण।
- एसडीजी पर ध्यान देने के साथ हस्तक्षेपों पर तकनीकी सहायता के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी

इसके अलावा, दिशा पोर्टल का उपयोग मिशन अंत्योदय के तहत पहचाने गए प्रासंगिक मीट्रिक के जीपी स्तर के डेटा ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है।

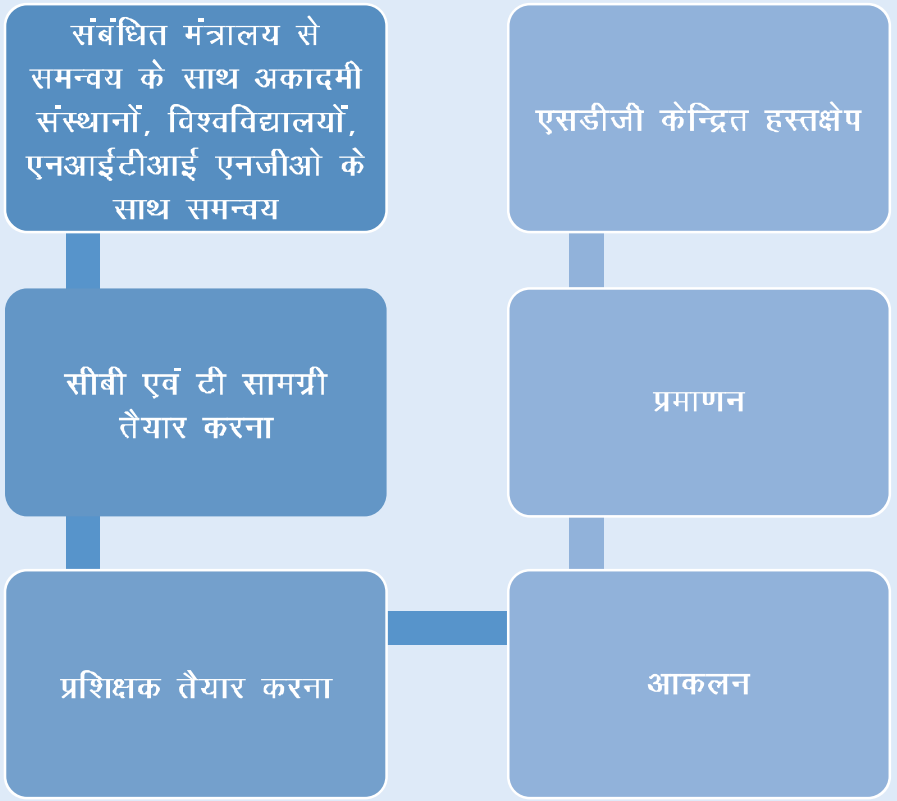

9.3 ई–पंचायत पर मिशन मोड परियोजना :

ई–पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। आरजीएसए का यह घटक सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को आंतरिक प्रबंधन, दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों को सेवाओं की प्रदायगी में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा निर्णय लेने हेतु सहायता प्रणाली के रूप में सक्षम बनाएगा। इस घटक के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जाएंगी :

- बजटन, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग, सेवा वितरण, रिपोर्टिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/पीआरआई से संबंधित क्षमता निर्माण हेतु पंचायतों (पंचायत एंटरप्राइज सूइट (पीईएस)) के लिए वेब आधारित अनुप्रयोगों का विकास और रखरखाव ।

- एफएफसी अनुदान, जीपीडीपी, आरजीएसए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), ऑनलाइन ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, पीईएस पर मास्टर ट्रेनर्स (एमटी) के लिए प्रशिक्षण, राज्य अनुप्रयोगों/पंचायत भवन के साथ पीईएस अनुप्रयोगों का एकीकरण के लिए पोर्टल/तकनीकी सहायता प्रदान करने, स्वयं के स्रोत राजस्व, संसाधनों के मानचित्रण इत्यादि हेतु सॉफ्टवेयर,मोबाईल ऐप, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन जैसे कि डैशबोर्ड विकसित करना।

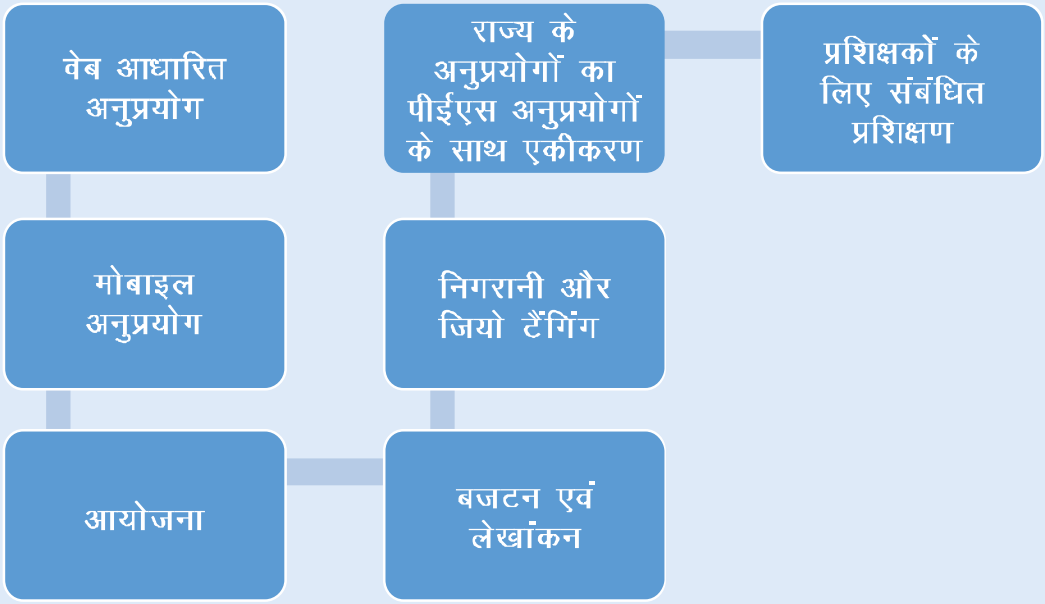

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीकों में बदलने के उद्देश्य से एमओपीआर ई–पंचायत एमएमपी लागू कर रहा है। ई–पंचायत एमएमपी में निम्न के लिए आईसीटी को शामिल किया गया है:

- पंचायतों की आंतरिक वर्कफ्लो प्रक्रियाओं का स्वचालन
- नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रदायगी में सुधार
- पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- पंचायतों को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, क्षमता और आरटीआई अनुपालन
- स्थानीय स्व–सरकार के शासन में सुधार करना

ई–पंचायत एमएमपी के तहत एमओपीआर द्वारा विकसित पीईएस (ई–एप्लकेशन) प्रशासन और सेवा वितरण के लिए अपनी प्रभाव बढ़ाने के लिए पंचायतों की ई–सक्षमता का आधार बन जाएगा, जहां ई–गवर्नेंस के लिए राज्य द्वारा पहल की गई है, इन्हें पीईएस द्वारा समर्थित और जोड़ा जाएगा। एमएमपी में पीईएस नामक कोर कॉमन अनुप्रयोगों का एक सामूहिक सूइट शामिल है। पीईएस के तहत विकसित विभिन्न अनुप्रयोग निम्न हैं:

अनुप्रयोग	विवरण
1. प्रियासॉफ्ट	वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से प्राप्ति और व्यय विवरण दर्ज करता है और कैश बुक, रजिस्टर इत्यादि स्वचालित रूप में बनाता है।
2. प्लान प्लस	सहभागी विकेन्द्रीकृत योजना के सुदृढीकरण में सुविधा देता है और सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में सक्षम बनाता है।
3. नेशनल पंचायत पोर्टल	सार्वजनिक डोमेन में जानकारी साझा करने हेतु प्रत्येक पंचायत (यानी जेडपी, बीपी और जीपी) के लिए डायनामिक वेबसाइट।
4. स्थानीय सरकारी निर्देशिका	स्थानीय सरकारों के सभी विवरण दर्ज करता है और उन्हें यूनीक कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भी पंचायतों को जोड़ता है।
5. एक्शन सॉफ्ट	कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति को सही प्रकार से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
6. राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका	निर्मित / अनुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण दर्ज करता है; कार्यों के दोहराव से बचने में मदद करता है और उनका रखरखाव करता है।
7. एरिया प्रोफाइलर	किसी गांव / पंचायतों के भौगोलिक, जनसांख्यिकीय,अवसंरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन संबंधी विवरण को दर्ज करता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों, चुनाव आदि के ब्योरे को दर्ज करता है।
8. सर्विस प्लस	सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने में सहायता हेतु एक गतिशील मेटाडेटा-आधारित सेवा वितरण पोर्टल।
9. प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल	नागरिकों, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल ।
10. सामाजिक लेखा परीक्षा	पंचायत द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के तहत काम को समझने, मापने और सत्यापित करने के लिए और इसके अतिरिक्त संबंधित पंचायतों के सामाजिक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए।

पंचायत स्तर पर आईसीटी आधारित समाधान और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, आरजीएसए पंचायतों की ई–सक्षमता और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। राज्य उन गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकते हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता देंगे /सुधार करेंगे:

- कम्प्यूटरीकृत / ई–एप्लिकेशन आधारित लेखांकन, रिकॉर्ड रखने, संपत्ति मानचित्रण, स्थानीय स्तर की योजना, कार्यान्वयन और वास्तविक प्रगति की निगरानी, और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए सूचना प्रसार में।

- पीईएस सहित और इसके अतिरिक्त पीआरआई के लिए राज्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास यदि पीईएस का दायरा सीमित है और इसे विस्तारित नहीं किया जा सकता हो।

- सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण (प्रमाणपत्र, लाइसेंस, कर संग्रह इत्यादि) के लिए आईसीटी उपकरण का अभिनव उपयोग, यदि सेवा प्लस की संभावनाएं सीमित है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता हो।

पंचायतों की ई–सक्षमता हेतु उचित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सभी बाहरी और निरंतर प्रयास करने की अपेक्षा की जाएगी। पीईएस अनुप्रयोगों और अन्य सॉफ्टवेयरों/राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों पर मानव संसाधन में सुधार के लिए; राज्य इन आईसीटी हस्तक्षेपों पर एक कौशल प्रमाणन कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के साथ अपने संबंधित प्रमाणन कार्यक्रम को भी जोड़ सकते हैं।

9.4 एलजीडी कोड के साथ एकीकरण: एलजीडी कोड का उपयोग करने के लिए राज्यों द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) पीईएस के भाग के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है, ताकि प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को एक यूनीक कोड आवंटित किया जा सके और राजस्व संस्थाओं की अद्यतित सूची बनाई रखी जा सके। यह अंत:क्रियाशीलता की समस्या को हल करेगा और स्थान कोड के मानकीकरण को सुनिश्चित करेगा। यह पंचायतों को एलजीडी कोड का उपयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने गांव के बारे में जानकारी सुलभ करवाने में सक्षम बनाएगा।

9.5 पंचायतों का प्रोत्साहनीकरणः

पीआरआई और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (जिला, इंटरमीडिएट और ग्राम पंचायत) और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित विभिन्न पुरस्कार दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का चयन विभिन्न मानदंडों और संकेतकों के आधार पर किया जाएगा जिसमें मिशन अंत्योदय के साथ–साथ ट्रेनिंग पर रिपोर्टें, जीपीडीपी तैयार करना, चौदहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग, स्वयं स्रोत राजस्व सृजन करना आदि शामिल हैं। राज्य स्तर पर ब्लॉक / जिला स्तर पर मूल्यांकन परस्पर चर्चाओं के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें पुरस्कारों के लिए आवेदन करने वाली पंचायतें अपनी उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुति दे सकते हैं।

9.5.1 चयन प्रक्रियाः

अब तक पुरस्कार विजेताओं का चयन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर डेस्क मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। हालांकि, डीडीयूपीएसपी, एनडीआरजीजीएसपी और जीपीडीपी पुरस्कारों के लिए, ब्लॉक स्तर पर पहले स्तर का चयन आवेदक ग्राम पंचायत से की गई प्रत्यक्ष बातचीत/साक्षात्कार के माध्यम से होगा जो ब्लॉक समिति द्वारा निर्धारित तिथि को एक प्रस्तुति देंगे और पंचायत की पिछले वर्ष की उपलब्धियों का एक वीडियो प्रदान करेंगे। इसके बाद, चुनी हुई ग्राम पंचायतें जिला स्तर पर चयन समिति के सम्मुख एक प्रस्तुति देंगी। अन्य गैर–आवेदक जीपी को भी ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा सकता है ताकि सफल जीपी की शिक्षा अनुकरण हेतु सभी ग्राम पंचायतों के बीच प्रसारित की जा सके। ऐसे कार्यक्रम सभी ग्राम पंचायतों के लिए बातचीत, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण का स्रोत बनने चाहिए। डीडीयूपीएसपी के तहत आवेदक जिला पंचायतें और मध्यवर्ती पंचायतें क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दे सकती हैं।

9.5.2 जागरूकता सृजनः

चूंकि ऐसा महसूस किया गया है कि इस योजना के बारे में ग्राम पंचायतों के बीच बहुत कम जागरूकता है, इसलिए राज्यों को हर वर्ष नामांकन आमंत्रित करने के समय इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करने चाहिए। वास्तव में इसे प्राथमिकता दी जाएगी यदि आवेदन सभी ग्राम पंचायतों से प्राप्त हों ताकि इस बात की प्रबल संभावना रहे कि पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को दिए जा रहे हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके।

9.5.3 पुरस्कारों की श्रेणियां

पुरस्कारों की निम्नलिखित श्रेणियां वर्तमान में पीआरआई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती हैं:

- **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी):** समग्र सुशासन और नौ विषयगत श्रेणियों अर्थात स्वच्छता, नागरिक सेवाएं (पेयजल, स्ट्रीट लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वंचित वर्ग (महिलाएं, एससी/एसटी, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक), सामाजिक क्षेत्र में कार्य निष्पादन, आपदा प्रबंधन, ग्राम पंचायतों को समर्थन देने के हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति/सी बीओ, राजस्व सृजन और ई–गवर्नेंस में अभिनव प्रयोग करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों (तीनों स्तर पर) को दिया जाता है।

- **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी):** ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक–आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।

- **ई–पंचायत पुरस्कार:** ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना को प्रारम्भ करने और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को दिया जाता है (कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं)।

- **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार:** देश भर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली तीन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने के लिए दिए जाने हेतु ,यह पुरस्कार वर्ष 2017–18 के दौरान प्रारम्भ किया गया एक नया पुरस्कार है। यह उन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य/संघ राज्य विनिर्देशों के अनुसार अपने जीपीडीपी तैयार किए हैं।

जैसे ही केंद्र द्वारा पुरस्कार राशि जारी की जाती है, निधियां 15 दिनों के भीतर पुरस्कार विजेता पंचायतों को दे दी जानी चाहिए। इसके अलावा, परियोजनाओं का वह हिस्सा जिस पर पुरस्कार राशि का उपयोग किया जाएगा, को पंचायत द्वारा निधियों की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त पुरस्कारों को सुदृढ़ किया जाएगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सीईसी–आरजीएसए की मंजूरी के साथ नए विषयगत क्षेत्रों/पुरस्कार श्रेणियों का निर्णय लिया जाएगा।

इस योजना पर विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

9.6 राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संस्थागत तंत्र की कल्पना की गई है:–

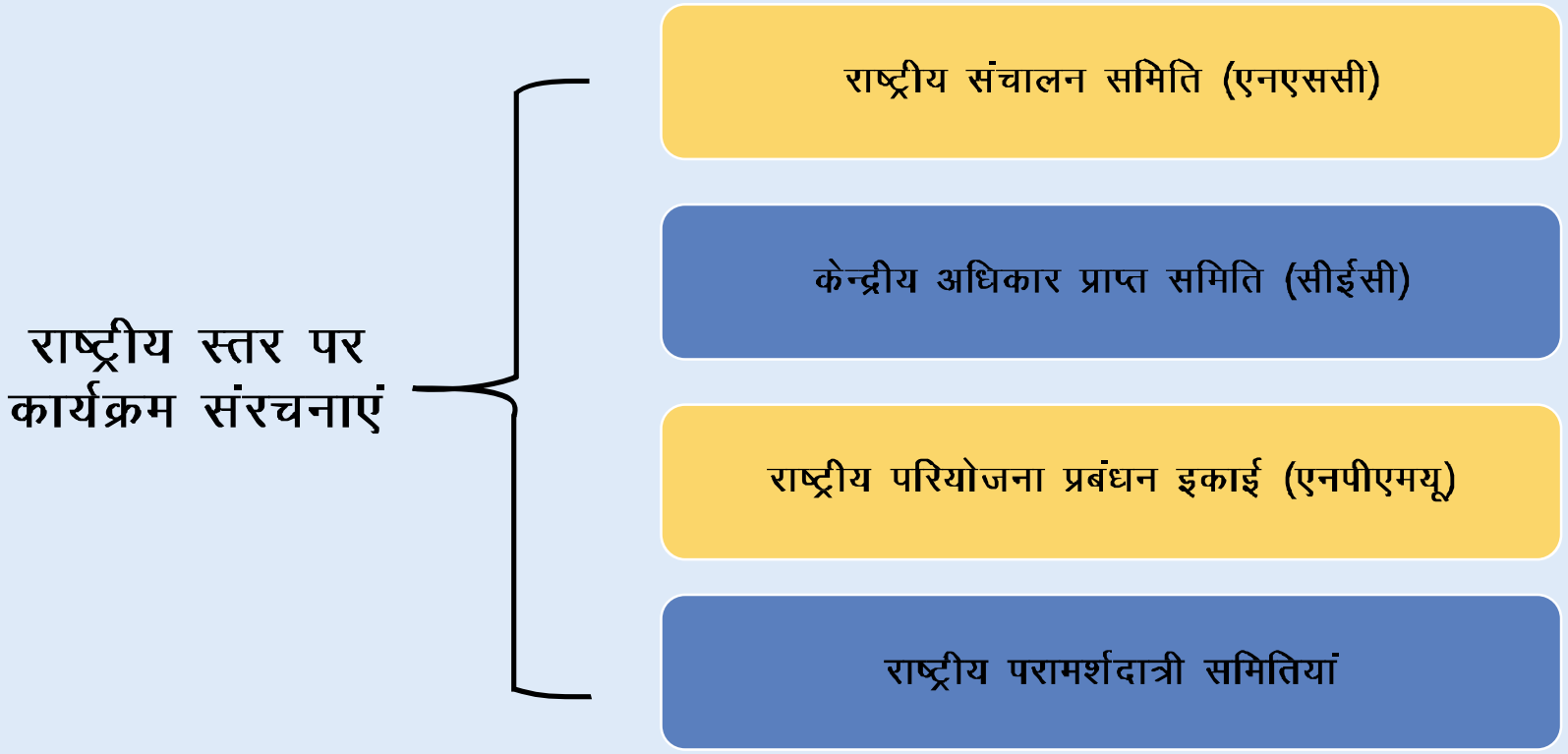

9.6.1 राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी):

इस योजना की समग्र नीति दिशा माननीय मंत्री–पंचायती राज की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त एनएससी द्वारा प्रदान की जाएगी। एनएससी कार्यक्रम के लिए समुचित मार्गदर्शन और नीति निर्देश प्रदान करेगा।

एनएससी की संरचना निम्नवत होगी। बैठकों के लिए विशेष व्यक्ति भी आमंत्रित किए जा सकते हैं।

पंचायती राज मंत्री	अध्यक्ष
पंचायती राज राज्य मंत्री	सदस्य
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री	सदस्य
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री	सदस्य
सीईओ नीति आयोग या नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
अच्छा प्रदर्शन करने वाले दो राज्यों के पंचायती राज मंत्री (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएगें)	सदस्य
पंचायती राज के क्षेत्र में काम कर रहे दो प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से दो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों में से 2 पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	सदस्य
एसएस एंड एफए / एएस एंड एफए, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
विशेष / अपर सचिव,पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव,प्रभारी आरजीएसए, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य

9.6.2 केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी): इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीईसी, आरजीएसए होगा। सीईसी की अध्यक्षता सचिव, पंचायती राज करेंगे। सीईसी की संरचना नीचे दी गई है। बैठकों के लिए विशेष व्यक्ति भी आमंत्रित किए जा सकते हैं:—

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	अध्यक्ष
नीति आयोग के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं	सदस्य
सचिव, व्यय भारत सरकार या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव कृषि विभाग, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, भूमि संसाधन मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य

सचिव, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
सचिव, महिला एवं बाल मंत्रालय या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे न हों	सदस्य
विशेष सचिव व आर्थिक सलाहकार / अपर सचिव एवम् आर्थिक सलाहकार , पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
पंचायती राज मंत्रालय के सभी विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
डीजी एनआईआरडी और पीआर, हैदराबाद	सदस्य
अंतरण सूचकांक के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करने वाले दो राज्यों से पंचायती राज सचिव	सदस्य
पंचायती राज के क्षेत्र में काम कर रहे दो प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी पंचायतों में से दो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	सदस्य
2 सर्वश्रेष्ठ पंचायतों में से पंचायतों के महिला प्रतिनिधि चुने गए	सदस्य
दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रभारी संयुक्त सचिव आरजीएसए, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य सचिव

सीईसी को एनपीटीए के तहत राज्य योजनाओं और हस्तक्षेपों को मंजूरी देने का अधिकार है। योजनाओं की जांच के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा सीईसी की सहायता की जाएगी। एक बार स्वीकृत होने पर, वित्तीय प्रतिबंधों से संबंधित सामान्य प्रक्रिया के बाद धन की निर्मुक्ति की जाएगी। सीईसी को योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को स्वीकार या संशोधित करने का भी अधिकार है, जिसमें अनुरोध के अनुसार मानदंडों और योजना घटकों के भीतर अंतर समायोजन शामिल है।

सीईसी अध्ययन प्रारंभ कर सकती है और योजना के विभिन्न पहलुओं पर की गई प्रगति का आकलन करने के लिए दल नियुक्त कर सकती है।

9.6.3 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू):

कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर एक एनपीएमयू स्थापित करेगा जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत होगा और एमओपीआर को पेशेवर और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के समन्वयक निकाय के रूप में कार्य करेगा। एनपीएमयू में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों सलाहकार होंगे, इंटर्न और सहायक स्टाफ होंगे और जो निगरानी, अनुसंधान, क्रॉस स्टेट लर्निंग, अभियानों, अभिनव गतिविधियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और राज्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय और आरजीएसए के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। एनपीएमयू में एक प्रशासनिक और वित्तीय डेटा योजना और विश्लेषण प्रभाग होगा और आवश्यकतानुसार गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए लचीलापन भी होगा।

एनपीएमयू योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में मंत्रालय की सहायता करेगा और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और प्रशासनिक मुद्दों पर राज्यों को तकनीकी सहायता और प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। एनपीएमयू में निम्नलिखित इकाइयां/परामर्शदाता शामिल होंगे:

⇒ अभिशासन इकाई

→ प्रशासनिक और वित्तीय डेटा योजना और विश्लेषण सेल

⇒ पेयजल, ईंधन, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करना

⇒ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता सुनिश्चित करना

⇒ पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय

⇒ कृषि, भूमि प्रबंधन, भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण, जल और जलाशय प्रबंधन, लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन

→ रोजगार, प्रवासन, लघु स्केल, खादी, गांव और कुटीर उद्योग, पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट, चराई और चारा, मत्स्य पालन सहित आजीविका संबंधी मुद्दे

⇒ सामाजिक कल्याण और दुर्बल वर्गों (विकलांग व्यक्तियों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) का कल्याण; बाल श्रम; हिंसा और गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण आवास

⇒ अवसंरचना और सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव

⇒ योजना

⇒ अनुसंधान, मूल्यांकन और अध्ययन, दस्तावेज़ीकरण

एनपीएमयू के प्रमुख कार्य

- निगरानी
- अनुसंधान
- सभी राज्यों में शिक्षा
- अभियान
- नवाचार गतिविधियां
- कार्यशालाएं एवं सम्मेलन
- राज्य कार्यक्रमों के साथ समन्वयन और,
- आरजीएसए के प्रभावी क्रियान्वयन

⇒ आईईसी और प्रशिक्षण के लिए मीडिया का उपयोग

⇒ जेंडर

⇒ एमआईएस– आरजीएसए और पंचायतों के लिए एमआईएस की स्थापना।

सलाहकार समितियों और संबंधित संयुक्त सचिव के मार्गदर्शन में ये एनपीएमयू इकाइयां राज्यों और पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी और पूरे राज्य साझेदारी, निगरानी और मूल्यांकन में भाग लेंगी। वे राज्यों को भी निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे:

- रणनीतियों और कार्य योजनाओं का विकास।
- क्रॉस स्टेट साझा कार्यशालाओं और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के साथ–साथ दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से आंतरिक और अंतर राज्य अनुभव साझा करने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में।
- प्रशिक्षणों और व्यापक प्रसार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तैयार करने में।
- उचित प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए राज्यों को सहायता देने में।
- योजनाओं का मूल्यांकन, विशेष रूप से इकाइयों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्रीय मुद्दों का उचित समाधान किया गया है।

9.6.4 सलाहकार समितियां:

ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के प्रत्येक समूह के लिए, एक सलाहकार समिति होगी जिसमें 7 से 10 क्षेत्र विशेषज्ञ और संबंधित विभागों/मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो संबंधित क्षेत्र के लिए कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। संभावित सलाहकार समूह हैं:

शासन
कृषि, भूमि प्रबंधन, भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण, जल और जलछाजन प्रबंधन, लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वन उत्पादन; पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट, चराई और चारा, मत्स्य पालन
लघु, खादी, गांव और कुटीर उद्योग; गरीबी उन्मूलन, आजीविका, रोजगार और प्रवासन, ग्रामीण आवास
पेयजल, ईंधन, सड़क, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सार्वजनिक वितरण
प्राथमिक, प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय
स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता
सामाजिक कल्याण और दुर्बल वर्गों का कल्याण (विकलांग व्यक्तियों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति); बाल श्रम; हिंसा,
अवसंरचना और सामुदायिक सम्पत्तियों का रखरखाव

अध्याय 10
राज्य घटक

इस योजना में मुख्य रूप से राज्य घटक होगा – पीआरआई की क्षमता निर्माण जिसमें प्रशिक्षण/कार्यशालाएं, प्रशासनिक और ग्राम पंचायत की ई–सक्षमता, और ग्राम पंचायत भवनों सहित तकनीकी सहायता शामिल होगी। योजना के तहत अनुमत गतिविधियों की सूची से अपनी आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार गतिविधियां करने के लिए राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे केंद्रीय वित्त पोषण के लिए योजनाएं तैयार करें।

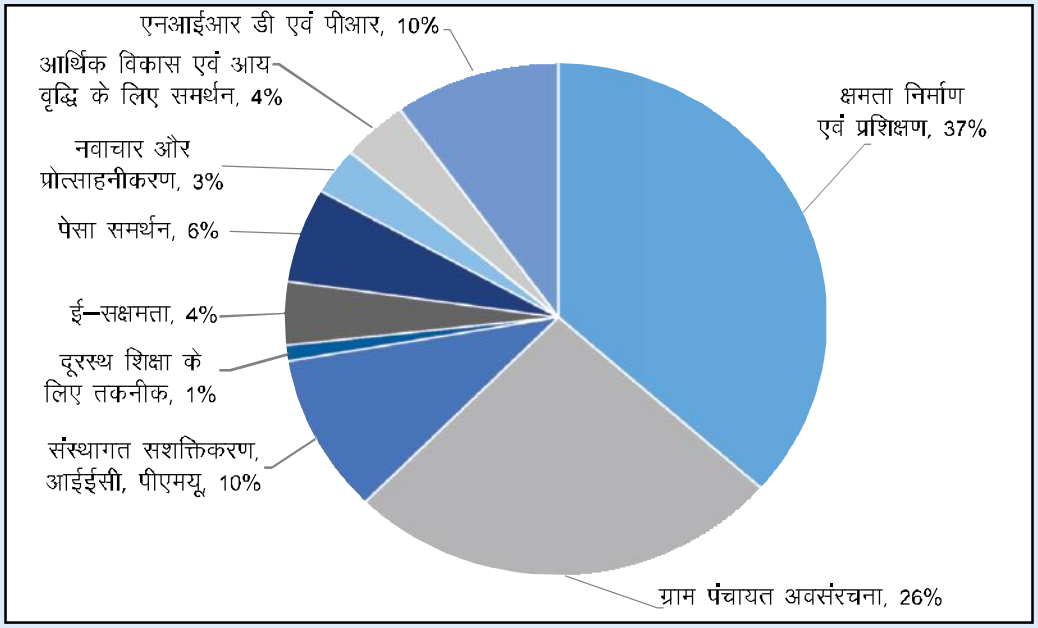

राज्य घटक के लिए बजट

(करोड़ रू में)

शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रशिक्षण	649.62	653.62	673.62	698.62
प्रशिक्षण अवसंरचना और एचआर	66.3	65.3	64.3	63.3
पेसा (पीईएसए) क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सुदृढ़ बनाना	107.74	107.74	107.74	107.74
दूरस्थ शिक्षा	10	10	10	10
नवाचारों को समर्थन (अभिनव गतिविधियां)	10	10	10	10
पीआरआई को तकनीकी सहायता	150	150	150	150
प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और योजना सेल	1.56	1.56	1.56	1.56
पंचायत भवन और सामुदायिक हॉल	270	940	495	170
पंचायतों की ई-सक्षमता	62.8	62.8	42.8	42.8
आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन	40	50	110	100
आईईसी (2%)	27.36	41.02	33.3	27.3
कार्यक्रम प्रबंधन (5%)	68.40	102.55	83.25	67.7

10.1 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी बी एंड टी)

पंचायत के विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या के साथ–साथ हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उच्च गुणवत्ता और संदर्भ विशिष्ट सीबी एंड टी सुनिश्चित करते हुए इस विविध समूह तक पहुंचना एक चुनौती है। इसके अलावा, चूंकि पंचायत स्थानीय सरकारें हैं, अतः जिन विषयों को कवर किया जाना है वे भी बड़े हैं: प्रबंधन, वित्त, सामाजिक सक्रियता से लेकर 29 विषयगत क्षेत्र हैं जो पंचायतों को सौंपे जाने हैं। पंचायतों को वित्त आयोग के अंतरण, जीपीडीपी के संचालन और एसडीजी की उपलब्धि के संदर्भ में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की चुनौतियां और बढ़ी हैं।

मंत्रालय की क्षमता निर्माण की पूर्व योजनाओं के तहत, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने राज्यों के बीच परस्पर, ज्ञान आधारित गतिविधियों जैसे कार्य पुस्तिकाओं, प्रश्नोत्तरी, हेल्पडेस्क, नुक्कड़ नाटक, निर्वाचित प्रतिनिधियों के संपर्क दौरे आदि को साझा करने में भी मदद की थी। अन्य गतिविधियों में विभागीय अधिकारियों और एसआईआरडी/पीआरटीआई के लिए कार्यशालाएं, राज्य संसाधन का अभिविन्यास और सहायक संसाधन सामग्री/विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर नियम पुस्तिकाएं तैयार करना शामिल था।

10.2 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा (एनसीबीएफ): पंचायती राज मंत्रालय ने एक विस्तृत एनसीबीएफ जारी किया है जो पीआरआई की क्षमता के निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है और प्रशिक्षण के लिए लचीला बुनियादी ढांचा, संसाधन संबंधी व्यक्ति, कार्यान्वयन की रसद, निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम मानदंड, विषय, अवधि, लक्ष्य समूह और शैक्षिक सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। राज्यों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाएं एनसीबीएफ के अनुसार होनी चाहिए।

राज्यों से अपेक्षित है कि वे दिशानिर्देशों के अनुसार पीआरआई के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार करें और मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में जमा करें। जरूरतों के आकलन और प्रक्रिया के बाद राज्यों द्वारा वार्षिक योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें संबंधित ईआरएस, पीएफ और संबंधित अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होना चाहिए। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण योजनाओं को विकसित करने में लचीलापन होगा।

10.3 राज्य अपनी क्षमता निर्माण योजना को अंतिम रूप देने के दौरान निम्न बातों को ध्यान में रख सकते हैं :

- योजनाएं तैयार करने से पहले की जाने वाली गतिविधियां में निम्न शामिल होना चाहिए:
  - प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए),
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श
  - प्रशिक्षकों का आकलन
  - एमटीएस के प्रशिक्षण के लिए योजना
  - प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन
- सीबीएंडटी गतिविधियां एमओपीआर द्वारा विकसित एनसीबीएफ पर आधारित होंगी
- नव–निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चरणबद्ध संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाते हुए पीआरआई के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण उनके चयन के छः माह के भीतर आयोजित किया जाना है। उनके चयन के दो वर्षों के भीतर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- एससी और एसटी जैसे वंचित समूहों से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से लक्षित क्षमता निर्माण हस्तक्षेप आयोजित होंगे
- प्राथमिकता मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों और आकांक्षित जिलों को दी जाएगी।
- पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम नेतृत्व विकास, स्थानीय नियोजन, कार्यालय प्रबंधन, स्वयं स्रोत राजस्व उत्पादन, विभिन्न योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन, महिला सशक्तिकरण आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य और टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता,जल संरक्षण इत्यादि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण योजना में पंचायत अवार्ड योजना पर मॉड्यूल भी शामिल किए जाने चाहिए।
- तैयारी, कार्यान्वयन और जीपीडीपी के अन्य पहलुओं पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राज्य के भीतर और बाहर दोनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के लिए एक्सपोजर विजिट। पीयर लर्निंग सेंटर (पीएलसी)/इमर्शन साइटों के रूप में मॉडल पंचायत का विकास जहां नियमित एक्सपोजर दौरों का आयोजन किया जा सकता है।
- पीआरआई के अलावा, आरजीएसए के तहत विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु जिला कलेक्टरों/सीईओ जिला पंचायतों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है
- आवश्यक अंतराल पर प्रशिक्षु मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिए एक प्रावधान
- पंचायतों में वापस आने पर प्रशिक्षुओं के संदर्भ हेतु नव साक्षरों के लिए तैयार की गई संदर्भ सामग्री देना।

प्रशिक्षण का ध्यान पीआरआई की समग्र क्षमता निर्माण होगा ताकि उन्हें सरकारी/स्थानीय स्व–सरकार (एलएसजी) के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। प्रशिक्षण निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

विवरण
पंचायतों की शक्तियां, भूमिका और कार्य: पंचायती राज की बुनियादी बातें - जो आम हैं और 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में, राष्ट्रीय नीति ढांचे और पंचायतों से संबंधित मूल मुद्दे जैसे पंचायतों के कार्य,नागरिक सेवाओं का प्रावधान आदि का सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।
ग्राम सभा और जीपी गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी। पंचायत पुरस्कारों की योजना
ग्रामीण संसाधनों का मानचित्रण (आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना मानचित्रण सहित) और ग्राम पंचायत विकास योजना का विकास और निगरानी
कार्यालय प्रबंधन सहित पंचायत स्तर पर शासन प्रथाएं
अपने स्रोत राजस्व का मोबिलिज़ेशन
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
कृषि, भूमि प्रबंधन, भूमि सुधार, मिट्टी संरक्षण, जल और जलछाजन प्रबंधन, लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, लघु वन उत्पाद
छोटे पैमाने, खादी गांव और कुटीर उद्योग
पेयजल, स्वच्छता, ईंधन, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सार्वजनिक सुविधाएं
पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट, चराई और चारा, मत्स्य पालन
प्राथमिक,प्रौढ़ और गैर औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय
स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता
गरीबी उन्मूलन, आजीविका, रोजगार और प्रवासन, ग्रामीण आवास
सामाजिक कल्याण और दुर्बल वर्ग का कल्याण (विकलांग व्यक्तियों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों), बाल श्रम, हिंसा
सामुदायिक संपत्ति का बुनियादी ढांचा और रखरखाव
डिजिटल लेनदेन
महिला सशक्तिकरण
नेतृत्व विकास
राज्य स्तर पर प्राथमिकता कार्यक्रम

10.4 आरजीएसए के तहत पीआरआई के क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में सहायता दी जाएगी:

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए एक सतत चक्रीय दृष्टिकोण को समर्थन दिया जाएगा। इस चक्र में टीएनए, उपयुक्त उपकरण / प्रशिक्षण मॉड्यूल / सामग्री का विकास, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का संचालन, प्रशिक्षण की ट्रैकिंग, प्रशिक्षण का स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।
- ई–मॉड्यूल, खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल ऐप्स, मुद्रित सामग्री, अच्छी प्रथाओं पर लघु फिल्मों, रेडियो और अन्य माध्यमों की सहायता से प्रसार के लिए ऑडियो सामग्री और सामग्रियों के प्रसार के अन्य रूपों सहित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों का विकास। उत्कृष्ट संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / अकादमिक / संकायों के साथ सहयोग / नेटवर्किंग को गुणवत्ता प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और पीआरआई के लिए एमटी के पूल के विकास के लिए समर्थन दिया जाएगा ।
- आरजीएसए के तहत सीबी गतिविधियों को अन्य मंत्रालयों की सीबी पहलों के साथ जोड़ा जाएगा जैसे मानव संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सहयोग और किसान कल्याण, पशुपालन विभाग, जनजातीय मामलों का मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय।
- अकादमिक संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / कॉलेजों और नीति आयोग में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों / एनजीओ के साथ सहयोग, को जीपीडीपी तैयार करने में ग्राम पंचायतोंको हैंडहोल्डिंग समर्थन देने के लिए सहायता दी जाएगी।
- राज्य के भीतर और बाहर निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों दोनों के लिए एक्सपोजर विज़िट। मॉडल पंचायतों को पीएलसी / विसर्जन साइटों के रूप में विकसित करने को नियमित एक्सपोजर दौरों की मेजबानी करने में सक्षम बनाने के लिए समर्थित किया जाएगा।

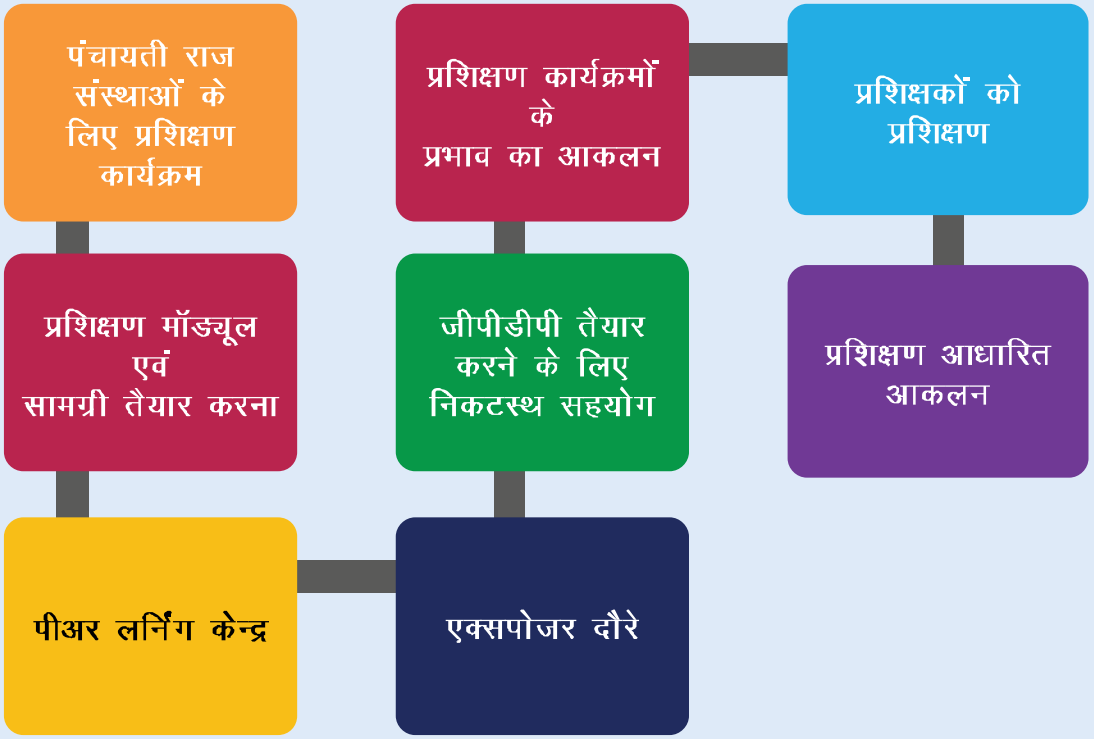

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सॉफ्टवेयर / आधार पर आधारित ट्रैकिंग।

10.5 एक्सपोजर दौरों के लिए मॉडल पंचायतों का विकास

10.5.1 मॉडल पंचायतों का विकासः यह हस्तक्षेप पूरे देश में मॉडल पंचायतों के भौगोलिक और विषय–आधारित विकास को सुनिश्चित करेगा। निम्नलिखित दो क्षेत्रों में मॉडल पंचायत विकसित की जानी चाहिएः

→ पंचायतों के कामकाज से संबंधित क्षेत्र (सुशासन और समग्र दक्षता, पारदर्शिता और भागीदारी में वृद्धि)

→ अनुसूची 11 से संबंधित क्षेत्र विशिष्ट सेक्टर, जहां संबंधित विभाग भी शामिल हो सकते हैंः

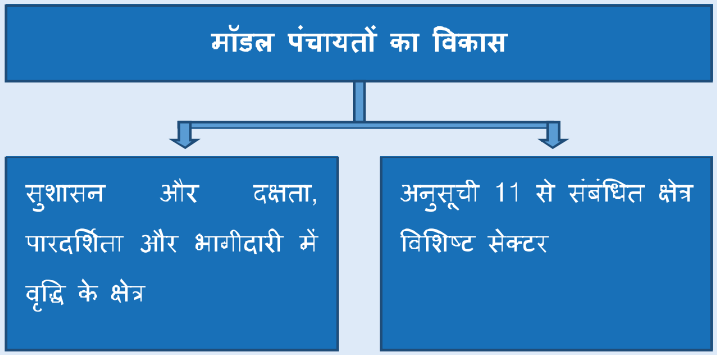

मॉडल पंचायत भी अपने संसाधनों को बढ़ाने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। इसे दो तरीकों से किया जा सकता हैः

क. पहले से मौजूद अच्छे उदाहरणों / सर्वोत्तम प्रथाओं और जहां आवश्यक हो उन्नयन के मानचित्रण के माध्यम से।

ख. मॉडल पंचायत के रूप में नई पंचायतों का विकास। ऐसे पंचायतों को केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जिनके निकट कोई अच्छे उदाहरण नहीं हैं या जहां विषयगत क्षेत्र में कोई प्रतिकृति योग्य उदाहरण नहीं हैं।

10.6 प्रशिक्षण के लिए संस्थागत संरचना (प्रशिक्षण मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा)

पीआरआई प्रशिक्षण की जटिलता और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण उपकरण और औजारों के साथ–साथ संकाय, संसाधन पूल, और कैस्केडिंग प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रशिक्षण के समन्वय के रूप में मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है जिन्हें वॉल्यूम्स में पूरा किया जा सकता है। आरजीएसए पहले से निर्णित राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों और जिला स्तरों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता आधारित निर्माण का समर्थन करेगा। उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण और विस्तारित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि मौजूदा संसाधन संस्थानों, एनजीओ इत्यादि के साथ सहयोग करते हुए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अपनी संस्थागत संरचना को मजबूत करें। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) / पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरटीआई) पीआरआई के लिए प्रशिक्षण के संचालन हेतु राज्य में अन्य विभागों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का भी उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में, आरएसईटीआई के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शिका की प्रति **अनुबंध–VII** पर है। हालांकि, प्राथमिकता चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों और मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता वाले जिलों और पंचायती राज मंत्रालय की पूर्व सीबी सहायता योजनाओं में पहले से ही प्रतिबद्ध / स्वीकृत निवेश को दी जाएगी ।

राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) या किसी अन्य राज्य स्तरीय संस्थान में राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) स्थापित किए गए हैं। मौजूदा संस्थानों या स्थापित नए केंद्रों में जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) को मजबूत किया जा सकता है जहां इन्हें पहले ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। केन्द्रों से निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के संचालन और समन्वय, अनुसंधान और विश्लेषण, दस्तावेज़ीकरण और संचार के केंद्र बिंदु होने की अपेक्षा की जाती है। ये केंद्र अकादमिक और शोध संस्थानों के साथ राज्य प्रशिक्षण नेटवर्क विकसित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

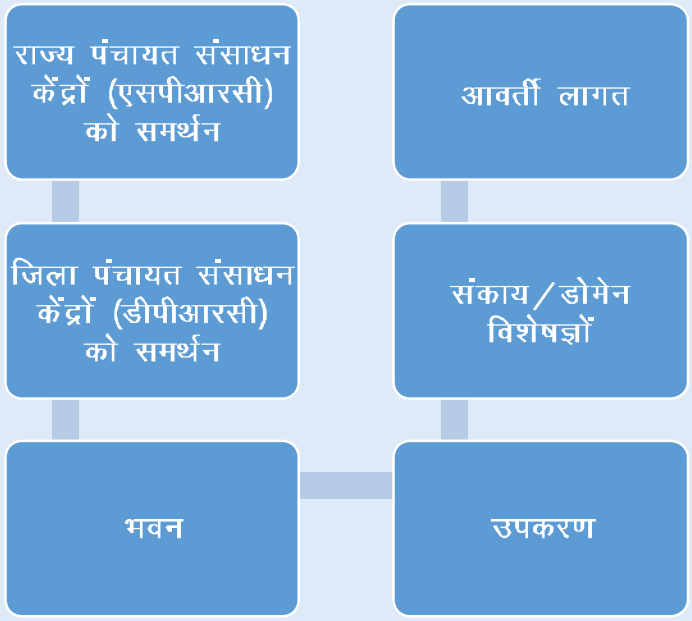

पंचायती राज मंत्रालय ने दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं, संकाय / डोमेन विशेषज्ञों और आवर्ती लागत सहित बुनियादी ढांचे (भवन और उपकरण) के साथ एसपीआरसी और डीपीआरसी का समर्थन किया है। आरजीएसए के तहत प्रदान की गई जनशक्ति लागत का समर्थन किया जाएगा।

एसपीआरसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, संसाधित व्यक्तियों को समर्थन देंगे, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेंगे, अनुसंधान करेंगे और राज्य में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे।

जिला स्तर पर डीपीआरसी पीआरआई के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे और मौजूदा सरकार और गैर–सरकारी संसाधन संस्थानों के सहयोग से ईआर और कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करेंगे।

पीआरआई के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए गए एसपीआरसी, डीपीआरसी और अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए

10.6.1 एसपीआरसी की विशिष्ट जिम्मेदारियां निम्नानुसार हो सकती हैं:

- पंचायतों की क्षमता निर्माण के लिए रणनीति तैयार करना।
- उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास
- विकेन्द्रीकृत स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने में जिला और ब्लॉक संसाधन केंद्रों को समर्थन
- पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी मास्टर प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों का विकास।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं और बच्चे, कृषि इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ संस्थानों के साथ संबंधों और समन्वय की स्थापना।
- अनुभव, पारस्परिक शिक्षा और प्रशिक्षण सामग्री साझा करने के लिए एनजीओ और अन्य संसाधन संस्थानों के साथ नेटवर्किंग।
- पंचायती राज के व्यापक क्षेत्र में प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं का संचालन, विकेन्द्रीकृत योजना, विकेन्द्रीकृत विकास और विषयगत प्रासंगिकता की अन्य उभरती जरूरतों का संचालन।
- पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत विकास और अन्य संबंधित समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान कार्य का प्रचार और समन्वय और विश्वविद्यालयों, विशेष शोध संस्थानों आदि के साथ भी अपने अनुसंधान कार्य का प्रचार और समन्वय और पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत विकास और अन्य संबंधित समकालीन मुद्दों पर विश्वविद्यालयों,विशेष शोध संस्थानों के साथ मिलकर भी कार्य करना ।
- पीआरआई की विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण और समस्या निवारण के लिए रणनीतियों का निर्माण।
- पंचायती राज प्रणाली, विकेन्द्रीकृत विकास और अन्य संबद्ध मामलों से संबंधित सभी साहित्यों के लिए संसाधन गृह के रूप में कार्य करें। संसाधन केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रिया की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न विकास पहलुओं से संबंधित सभी आधारभूत आंकड़ों, प्रासंगिक सूचनाओं का भण्डार गृह भी होगा।
- पंचायती राज और विकेन्द्रीकृत विकास के क्षेत्र में विभिन्न विषयों से संबंधित कागजात, आवधिक पत्र, किताबें तैयार, प्रिंट और प्रकाशित करें।
- राज्य में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की निगरानी या मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन का प्रावधान।

10.6.2 निम्नलिखित बुनियादी ढांचे की सिफारिश की जाती है:

- सम्मेलन कक्ष .
- सभागार।
- सुसज्जित पुस्तकालय–सह–अध्ययन कक्ष।
- एक कमरे में दो व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था के साथ पुरुष और महिला प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए अलग छात्रावास सुविधा
- पर्याप्त बैठने की क्षमता वाला एक डाइनिंग हॉल
- संकाय, अकादमिक और कार्यालय कर्मचारियों के लिए कार्यालय आवास।
- परिसर आवास के लिए स्टाफ क्वार्टर।
- राज्य उपग्रह सैटेलाइट हब के लिए भौतिक आधारभूत संरचना, द्विमार्गी ऑडियो–वीडियो कनेक्टिविटी सहित ब्लॉक संसाधन केंद्रों में सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनलों के साथ जोड़ने की सुविधायुक्त उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- क्षेत्रीय दौरों पर प्रशिक्षुओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधा
- कंप्यूटर एप्लीकेशन, विभिन्न उपकरणों और सॉफ्टवेयर और अन्य आईसीटी से संबंधित मामलों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष

10.6.3 एसपीआरसी से उम्मीद है कि विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिमानतः 5 मुख्य संकाय होंगे:

- पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना, सूक्ष्म योजना आदि
- महिला सशक्तिकरण, लिंग संबंधी मुद्दे और सामाजिक अधिकारिता।
- ई–शासन, पीईएस, लेखा और बजट आदि
- ग्रामीण विकास, कौशल विकास और आजीविका जैसे क्षेत्र।
- सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इत्यादि।

10.7 सैटकॉम, इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित तकनीक या अन्य तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधाः

राज्यों को उनकी आरजीएसए योजना में स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे पीआरआई की क्षमता निर्माण के लिए मौजूदा दूरस्थ शिक्षा सुविधा (एसएटीकॉम नेटवर्क, आईपी आधारित इत्यादि) का विकास/उपयोग कैसे करें। योजना की मेरिट के आधार पर, आरजीएसए एक निश्चित अवधि के लिए पूंजी व्यय और रखरखाव लागत का समर्थन करेगा। तेजी से विकसित प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, दूरस्थ शिक्षा के लिए नई और अधिक टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को राज्य–विशिष्ट सामग्री विकसित करने और क्षमता निर्माण और प्रमुख हितधारकों की जागरूकता निर्माण के लिए सुविधा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

10.8 पंचायतों की ई–सक्षमताः

इंटरनेट और क्लाउड, मोबाइल एप्लिकेशन और सैटेलाइट संचार से तेजी से बदलती तकनीक द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पीआरआई की ई–सक्षमता पंचायतों में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण और शासन को आधुनिक बनाने और बढ़ाने में मदद करेगी। ई–पंचायत एमएमपी के तहत एमओपीआर द्वारा विकसित पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) (ई–एप्लीकेशन) प्रशासन और सेवा वितरण के लिए अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पंचायतों की ई–सक्षमता का आधार बन जाएगा। जहां ई–गवर्नेंस के लिए राज्य की अगुआई वाली पहल की गई हैं, इन्हें पीईएस के साथ समर्थित और गठबंधन किया जाएगा।

राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ग्राम पंचायत कार्यालय भवनों में सह–स्थित हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जीपी को स्थानीय शासन के लिए प्रभावी संस्थान माना जाता है और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से संरेखित किया जाता है।

पंचायतों की ई–सक्षमता के लिए उचित सीबी और टी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से संपूर्ण और निरंतर प्रयास करने की उम्मीद की जाएगी। पीईएस अनुप्रयोगों और अन्य सॉफ्टवेयर / राज्य विशिष्ट अनुप्रयोगों पर मानव संसाधन में सुधार के लिए राज्य इन आईसीटी हस्तक्षेपों पर कौशल प्रमाणन कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और प्रमाणन हासिल कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के साथ अपने संबंधित प्रमाणन कार्यक्रम को भी जोड़ सकते हैं।

ई–सक्षमता के तहत निम्नलिखित गतिविधियां समर्थित होंगीः

- कंप्यूटर हार्डवेयर को अन्य योजनाओं के माध्यम से यथासंभव संभवतः एक्सेस किया जा सकता है। जहां अन्य योजनाओं के तहत हार्डवेयर प्रदान करना संभव नहीं है, एक कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर योजना मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

- जिन राज्यों में पंचायत में पर्याप्त कंप्यूटर साक्षरता जनशक्ति नहीं है, वे सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकते हैं।

- जिन राज्यों ने अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर के साथ प्रगति की है और विशेषज्ञता के संदर्भ में उनके सॉफ़्टवेयर को अधिक प्रासंगिक होने के लिए पीईएस के माध्यम से केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने के लिए इंटरफेस सॉफ्टवेयर विकसित करने में समर्थन किया जाएगा। इसी प्रकार, मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस) जैसी भारत सरकार योजनाओं के इंटरफेस का निर्माण पंचायत परिसंपत्ति रजिस्टर में बनाए गए संपत्तियों को लाने के लिए समर्थित किया जाएगा।

- पीईएस और अन्य वेब आधारित अनुप्रयोगों के प्रबंधन और समस्या निवारण के लिए राज्यों को राज्य और जिला स्तर दोनों में एक समर्पित प्रबंधन और तकनीकी सहायता समूह स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तर पर इन ई–गवर्नेंस रिसोर्स ग्रुप (ई–एसपीएमयू और ई–डीपीएमयूज़) आरजीएसए के तहत समर्थित होंगे।

एसपीएमयू और डीपीएमयू में सुझाई गई जनशक्ति निम्नानुसार हो सकती है:

एसपीएमयू में ई शासन के लिए जनशक्ति:

- योजना प्रबंधक
- लेखांकन विशेषज्ञ
- तकनीकी सहायक

डीपीएमयू में ई शासन के लिए जनशक्ति:

- जिला योजना प्रबंधक
- तकनीकी सहायक

10.9 मानव संसाधन

पंचायतों को संविधान और विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उन्हें कई केंद्रीय और राज्यों के कार्यक्रमों में जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। हालांकि, पंचायतों के लिए उपलब्ध मानव संसाधन राज्यों में व्यापक रूप से एक समान नहीं हैं। सुमित बोस कमेटी ने पंचायतों के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के बारे में सिफारिशें की हैं। (**अनुबंध–I**)।

समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम पंचायत में काम कर रहे सभी कर्मियों को ग्राम पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। इसने पात्रता, भर्ती प्रक्रिया, निर्दिष्ट करियर विकास योजना और प्रशिक्षण ढांचे सहित कई सिफारिशें भी की हैं। राज्यों को अपने राज्यों के संबंध में स्थिति की जांच करनी चाहिए और पंचायतों को पर्याप्त मानव संसाधनों के लिए उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए।

10.10 पंचायतों को तकनीकी सहयोग :

मानव संसाधनों की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण अंतर पंचायतों के अत्याधुनिक स्तर पर तकनीकी सहायता की कमी है। मानव संसाधन के मामले में पंचायतों को तकनीकी सहायता का प्रावधान समिति की एक प्रमुख सिफारिश है। ग्राम पंचायत/क्लस्टर को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, पंचायतों को तकनीकी सहायता के प्रावधान का समर्थन किया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह किया जा सकता है। कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं:

राज्य वार्षिक योजना में पीआरआई के संबंध में मूलभूत जानकारी शामिल होगी, वर्ष के लिए लक्ष्य और कार्य, अनुमानित बजट के साथ प्रत्येक घटक के तहत राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण।

सभी राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों सहित ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर उपलब्ध कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक मानचित्रण कार्य करना चाहिए,

पंचायतों को सौंपे गए सभी कार्य जिसके लिए कर्मियों/तकनीकी सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है, को मैप किया जा सकता है।

जहां किसी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कर्मचारियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है– इसे पहचाना जाना चाहिए और सक्षम स्तर से निर्देशों के माध्यम से औपचारिक रूप से इन्हें सौंपा जाना चाहिए।

- अन्य कार्यों के लिए ग्राम पंचायत निम्न विधियों के माध्यम से तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकती है:

  ⇒ नियमों के अनुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों के समूह द्वारा एक तकनीकी व्यक्ति की भर्ती।

  → ऐसे कार्यों के लिए युवाओं के समूह की पहचान करना। मूल योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता है। इन समूहों को कौशल विकास और इसी तरह की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन समूहों को तब ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत किया जा सकता है और ग्राम पंचायत आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को पारिश्रमिक पर ले सकती है। यह ग्राम पंचायत को लचीलापन प्रदान कर सकता है।

  ⇒ युवा मामलों के मंत्रालय के तहत एनवाईकेएस और एनएसएस जैसे संगठनों को ऐसी पहल के लिए शामिल किया जा सकता है।

  ⇒ तकनीकी सहायता तक पहुंच के लिए अन्य विधियां (उदाहरण के लिए आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज/आईटीआई/व्यावसायिक कॉलेज के साथ गठबंधन) की भी संभावनाएं खोजी जा सकती हैं।

- ऐसे सभी तकनीकी सहायक/व्यक्तियों को ग्राम पंचायत के खातों में विवरण के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत/समूह के समर्थन के लिए तकनीकी कर्मचारी

ग्राम पंचायत/समूह के समर्थन के लिए तकनीकी सेवाएं

10.11 ग्राम पंचायत भवन :

ग्राम पंचायत भवन प्रमाण पत्र, परमिट, लाइसेंस इत्यादि जारी करने जैसे कार्यों के लिए तथा अन्य सौंपे गए कार्यों के निर्वहन करने के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ग्राम सभा आयोजित करने, सूचना प्रदान करने के लिए जगह जैसे सभी कार्यों के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कई ग्राम पंचायतों के अपने कार्यालय की इमारत नहीं है। अन्य की स्थिति खराब हैं और इनकी मरम्मत करने की जरूरत है।

ग्राम पंचायत भवनों सहित पंचायत आधारभूत संरचना प्रदान करने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न स्रोतों से सामुदायिक हॉल सहित ग्राम पंचायत भवनों के लिए धन प्राप्त करेगे। हालांकि, जहां अन्य योजनाओं से धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां सामुदायिक हॉल के साथ ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण/मरम्मत के लिए सीमित आधार वाले राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर प्रदान वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। चूंकि इस मद के तहत प्रावधान अपर्याप्त है, इसलिए राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे अन्य योजनाओं से जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए मनरेगा इत्यादि से धन का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करें। प्रभावी और जीवंत कार्यप्रणाली का प्रदर्शन कर सकने वाली ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यात्मक भवन के साथ–साथ लोगों के बैठने, ग्राम सभा की बैठक "सूचना दीवारों" वाले अनेक कार्यों कमरे का प्रावधान, छाया के लिए पेड़ आदि के प्रावधान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि भवन और खुले क्षेत्र का उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों के निवर्हन में किया जा सके।

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, ग्राम पंचायतों में नागरिक कार्यों के बाद वित्त पोषित किया जाएगा:

- नई ग्राम पंचायत इमारतों/सामुदायिक हॉल के साथ ।
- मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत।
- सामान्य सेवा केंद्र को समायोजित करने के लिए पंचायत भवन में अतिरिक्त कमरा
- मौजूदा इमारतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय का निर्माण।
- मौजूदा और नई ग्राम पंचायत इमारतों में विद्युत कनेक्शन और जल आपूर्ति।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करना।

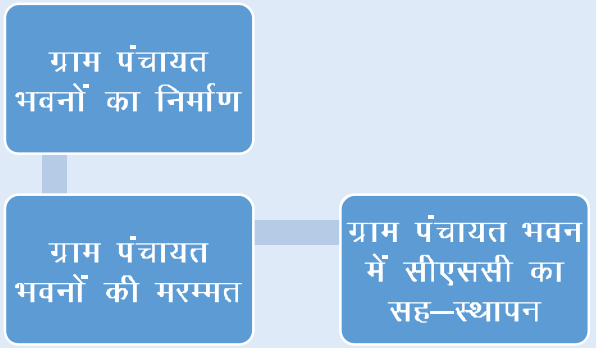

राज्यों से ऐसी इमारतों के लिए पर्यावरण अनुकूल डिजाइनों को अपनाने की उम्मीद की जाएगी, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा शमन मानदंडों का पालन किया जाए। राज्य या केंद्र सरकार (जो भी कम हो) के लागत मानदंडों का उपयोग लागत अनुमानों के लिए किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि की लागत आरजीएसए से वित्त पोषित नहीं की जाएगी।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी): सीएससी राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम (एनईजीपी) के तहत एक अनुमोदित परियोजना है। सीएससी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं को वितरित करना है। राज्य और ग्राम पंचायत, नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकल बिंदु वितरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालयों में सीएससी के सह–स्थापन का पता लगा सकते हैं।

10.12 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक परंपराओं के मामले में समृद्ध हैं। हालांकि, निरक्षरता, गरीबी और कुपोषण से उभरने वाले मुद्दों को हल करने के लिए इन क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के वितरण में सुधार की आवश्यकता है। पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) के प्रावधानों को ग्राम सभा के माध्यम से जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन इन क्षेत्रों में विकास और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। पीईएसए का कार्यान्वयन तभी संभव हो पाएगा जब ग्राम सभा अपनी भूमिका को समझें ओर उसके अनुसार प्रदर्शन करें।

ग्राम सभा स्तर पर स्थानीय नियोजन और कार्यान्वयन करने के लिए पीईएसए के लिए क्षमता विकास को आरजीएसए के तहत समर्थित किया जाएगा। पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा और पीआरआई को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को वित्त पोषित किया जाएगा:–

- ग्राम सभा और पीआरआई को संघटित करने, क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए मानव संसाधन का समर्थन।
- सक्षम संस्थानों या स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामसभा और पीआरआई के क्षमता निर्माण और मजबूती के लिए उन्मुखीकरण / निकटस्थ समर्थन।

ग्राम सभा अभिविन्यास / हैंडहोल्डिंग समर्थन

मानव संसाधन

10.13 नवाचारों के लिए समर्थनः

आरजीएसए पंचायतों के माध्यम से सुशासन और परिणाम आधारित कार्यक्रम वितरण के मॉडल को विकसित और उसे पोषित करने लिए नवाचारों के लिए समर्थन प्रदान करेगा। इस मद के तहत किसी भी प्रस्ताव को अभिनव की विशेषता को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए और यह बताना चाहिए कि यह कैसे नया है और पंचायतों के कामकाज पर असर डालेगा।

परियोजना प्रस्ताव को अभिनव गतिविधियों और प्रक्रियाओं को उजागर करना चाहिए। सरकार और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों, संसाधन संस्थानों द्वारा ऐसी परियोजनाओं को राज्य योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित सुझावों के साथ पंचायत स्तर पर अभिनव गतिविधियों के प्रस्ताव प्रस्तावित किए जा सकते हैं:

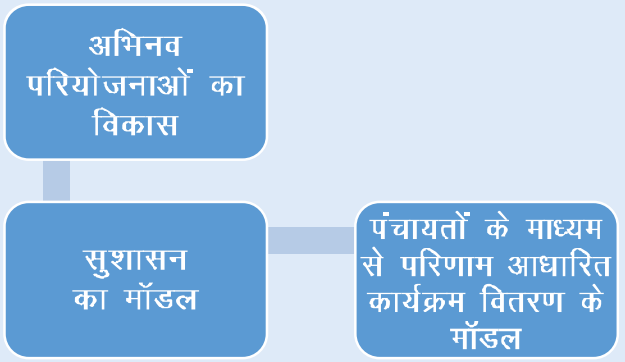

⇒ स्थानीय स्तर पर समाधान देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में नवाचार
⇒ क्षमता निर्माण की अभिनव पद्धतियां
→ पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि
→ आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थनः
→ पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाना
⇒ एसडीजी आदि के संबंध में पंचायत के नेतृत्व में शासन के प्रभाव में वृद्धि

इन अभिनव परियोजनाओं को सरकार, अन्य तकनीकी संस्थानों, प्रतिष्ठित एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से किया जा सकता है। नवाचारों के लिए समर्थन का विवरण राज्य योजना में होना चाहिए, और प्रस्तावों की योग्यता के आधार पर समर्थित किया जाएगा। नवाचारों का समर्थन करने का निर्णय आरजीएसए के सीईसी द्वारा लिया जाएगा।

10.14 आर्थिक विकास और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन :

पंचायतों से उम्मीद की जाती है कि वे आर्थिक विकास की गतिविधियों की योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में शामिल होंगी। संविधान के अनुच्छेद 243 छ ने राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी को प्रदान करने का अधिकार दिया है। आर्थिक विकास और अन्य विषय क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने में पंचायतों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए।

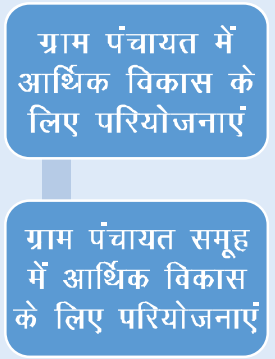

इस घटक के तहत, ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत के क्लस्टर को आर्थिक विकास और आय में वृद्धि पर सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। पंचायतों के लिए संविधान की ग्यारहवीं (11 वीं) अनुसूची में सूचीबद्ध विषय क्षेत्रों को को पूरा करने वाले सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में प्रस्ताव को पात्रता और इसकी व्यावहारिकता और स्थायित्व के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

डीपीसी की मंजूरी के बाद इन परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। एमओपीआर से वित्त पोषण महत्वपूर्ण संसाधन अंतराल तक ही सीमित होगा, जो किसी भी अन्य योजना के तहत उपलब्ध नहीं हैं या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

10.15 राज्यों में प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ

पीआरआई से संबंधित जानकारी और प्रामाणिक डेटा की अनुपलब्धता अक्सर नीति विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में उद्धत की जाती है। एसएफसी जो वित्तीय विकास के रूप में प्रस्तावित करने की ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, प्रदर्शन, वित्तीय संसाधन प्रवाह और पीआरआई की आवश्यकता पर जानकारी की कमी से बाधित हैं। इस संबंध में पीआरआई की खराब क्षमता से स्थिति और खराब हुई है। इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ के गठन करने की जरूरत है जो वित्तीय विकास और प्रबंधन के लिए ठोस रणनीतियों के साथ आने के लिए वित्तीय प्रवाह के विश्लेषण और जानकारी में अंतर को पहचानने और सुधारने में राज्य सरकार और एसएफसी का समर्थन कर सकता है।

इसलिए, आरजीएसए, राज्य स्तर पर एक प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ के परिचालन और एचआर का समर्थन निम्न के लिए करेगा :–

- पंचायतों के राजकोषीय और प्रदर्शन डेटा का संग्रह, संयोजन और विश्लेषण और सुधारात्मक हस्तक्षेप का सुझाव देते हैं।
- क्षमता निर्माण, सुधार रिपोर्टिंग और निगरानी के माध्यम से पंचायतों का संसाधन संवर्द्धन
- पंचायत प्रदर्शन आकलन प्रणाली का परिचालन
- पंचायतों के बजट, लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रक्रियाओं, प्रारूपों, रजिस्टरों, उप–कानूनों के सरलीकरण आदि में सुधार।

राज्य इस डेटा के लिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक वित्तीय डेटा विश्लेषक आउटसोर्सिंग आधार पर किराए पर/शामिल हो सकते हैं। प्रकोष्ठ राज्य के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रमुख के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेगा।

10.16 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)

राज्य पंचायती राज विभागों की वर्तमान ताकत और क्षमता को राज्य की योजना तैयार करने और राज्य में पंचायतों के विकास के लिए आरजीएसए लागू करने के कार्य को सक्षम करने के लिए उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। राज्यों के पंचायती राज विभागों का समर्थन करने के लिए, राज्य स्तर पर पीएमयू की स्थापना 5 प्रतिशत कार्यक्रम प्रबंधन लागतों से आरजीएसए की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए की जा सकती है। क्षमता निर्माण, पंचायती राज और सामाजिक विकास, आईईसी, निगरानी और मूल्यांकन इत्यादि में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले पेशेवर शामिल हो सकते हैं। पूर्णकालिक सलाहकार के साथ–साथ कम समय सलाहकारों को समय–समय पर किराए पर लिया जा सकता है या एसईसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के लिए पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) का कार्य राज्य के पंचायती राज विभागों की सहायता करना होगाः

- वार्षिक योजनाओं की तैयारी
- आरजीएसए के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना को कार्यान्वित करना
- सामाजिक संघटन, लेखांकन और पंचायतों की ई–सक्षमता, पंचायतों आदि की निगरानी और प्रोत्साहन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी और आरजीएसए एमआईएस के माध्यम से समय पर रिपोर्टिंग।
- कार्यान्वयन की प्रगति पर समय पर रिपोर्टिंग।
- ई–एसपीएमयू और ई–डीपीएमयू के कामकाज पर नजर रखने के लिए और जब आवश्यक हो तो आरजीएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश जारी करना।

10.17 राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) में सुझाए गए कर्मचारी – संरचना

सभी राज्यों में पहले ही पंचायती राज विभाग है, साथ ही पंचायती राज के निदेशालय के साथ अनुमोदित कर्मचारियों की तैनाती भी है। एसपीएमयू का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत कर्मियों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विशेष रूप से नई पहलों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर अतिरिक्त क्षमता प्रदान करना है।

एसपीएमयू का उद्देश्य विभाग या निदेशालय के काम को प्रतिस्थापित नहीं करना है बल्कि नए क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है। इनमें जीपीडीपी और सूक्ष्म नियोजन, प्रशिक्षण, महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण और कमजोर वर्गों, कानूनी साक्षरता, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग पर प्रतिनिधियों के अलावा फोकस शामिल है, जहां पंचायत क्षमता खरीद और वितरण निगरानी और मूल्यांकन की कमी है।

योजना के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर प्रबंधन लागत में उपलब्ध 5 प्रतिशत के भीतर से पीएमयू की स्थापना की जा सकती है। एसपीएमयू पूर्णकालिक सलाहकारों के साथ–साथ अल्पकालिक सलाहकार भी किराए पर ले सकते हैं, जिन्हें एसईसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के लिए पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रों में प्रासंगिक अनुभव और विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को केवल सूक्ष्म नियोजन और सामुदायिक संघटन, निगरानी और मूल्यांकन इत्यादि जैसे राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार शामिल किया सकता हैं। एसपीएमयू में प्रबंधन और कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान करने और एक मजबूत एमआईएस प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी हो सकती है।

ये पेशेवर उस क्षेत्र में एनपीएमयू पेशेवरों के साथ सतत क्षमता निर्माण सक्षम करने के लिए भी बातचीत करेंगे। एनपीएमयू को संरचित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता की सुविधा के लिए संरचित किया जाएगा।

सुझाए गए कार्यात्मक क्षेत्र	कार्य
आयोजना	जीपीडीपी की तैयारी, योजनाओं के मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जीपी की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना
प्रशिक्षण	प्रशिक्षकों, संस्थानों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं के डेटा बेस को बनाए रखना और सीखने और जरूरतों के स्तर के अनुसार प्रशिक्षकों का बंटवारा, प्रशिक्षण, प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण के मूल्यांकन, शैक्षिक मुद्दे की निगरानी
जेंडर	लैंगिक मुद्दों को देखना, प्रशिक्षण में ऐसे मुद्दों की मुख्यधारा सुनिश्चित करना, वहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त क्षमता निर्माण का आयोजन करना
आर्थिक विकास	बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्थानीय उद्योग, क्रेडिट, पर्यावरण, कृषि और संबंधित क्षेत्रों का संघटन
सामाजिक न्याय	अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विकास, बच्चों, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, खेल और युवाओं के विकास, वृद्ध सुरक्षा और वृद्धों की देखभाल सहित सामाजिक सुरक्षा
परियोजना प्रबंधन	रणनीतियों और कार्य योजनाओं का विकास
मीडिया एवं आईईसी	क्षमता निर्माण के लिए मीडिया-न्यूजलेटर, रेडियो, सोशल मीडिया का ग्राम सभा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपयोग
एमआई एस	आरजीएसए के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रबंध करना
खरीद और संवितरण	क्षमता निर्माण और कार्य, सेवाओं और वस्तुओं की खरीद में ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करना
नागरिक कार्य	पंचायतों का डिजाइन और निर्माण। गांव के लिए पंचायत परिसरों को सीबीडी बनाना। निर्माण गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता करना
मूल्यांकन एवं निगरानी	आरजीएसए की प्रगति की निगरानी। ग्राम पंचायत के काम की निगरानी भी और पंचायत आदि का प्रोत्साहन शुरू करना

10.18 सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी)

राज्यों से वर्ष की शुरुआत में अभियान मोड में आईईसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए व्यापक संचार रणनीति विकसित करने की उम्मीद की जाएगी। इसमें महीने के मुद्दों और संसाधन सामग्री शामिल हो सकती हैं जिन्हें पंचायतों को उपलब्ध कराया जा सकता है। आईईसी के लिए 2 प्रतिशत तक धन का उपयोग किया जा सकता है। संचार रणनीति में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- संविधान और विभिन्न राज्य और केंद्रीय अधिनियमों के तहत पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्तियां।
- मतदान और ग्राम सभा की बैठकों में सामुदायिक भागीदारी का महत्व।
- नागरिक केंद्रित शासन क्या है और इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए।
- सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना – इसमें विशेष रूप से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें स्थानीय स्तर पर लिया जा सकता है।
- आरजीएसए सहित सरकारी योजनाओं पर जागरूकता और उन तक कैसे पहुंच बनाई जाए। ऐसे मामलों में देखभाल की जानी चाहिए ताकि उन लोगों पर जानकारी प्रसारित की जा सके जिन्होंने योजनाओं तक पहुंच हासिल की हो और जहां योजना तक पहुंचने में कोई समस्या हो।
- विभिन्न योजनाओं के तहत पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी। जीपीडीपी के तहत किए गए गतिविधियों और व्यय के संबंध में जीपी द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

ऐसे जागरूकता अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए – संचार सामग्री मैनुअल, फ्लिप किताबें, पोस्टर, रोल नाटकों, कठपुतली शो, ऑडियो सामग्री इत्यादि के रूप में विकसित की जा सकती है। निश्चित रूप से सूचना दीवारों, गांव मॉडल और नागरिक सूचना काउंटर जैसे स्थायी प्रदर्शन हो सकते हैं माना जाता है। अन्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं:

- राज्य भर में पंचायत सप्ताह / पखवाड़े समारोह / राज्य भर में अन्य अभियान के साथ अभियान मोड में आईईसी–बीसीसी अभिशन
- पंचायत द्वारा अच्छे प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करना
- सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ऑडियो विजुअल मीडिया, सामुदायिक रेडियो का उपयोग
- टेलीविजन चैनलों में विशेष कार्यक्रम / फीचर
- पंचायत और प्रासंगिक सरकारी योजनाओं या मुद्दों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां, प्रदर्शनियां, मोबाइल वैन पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अभियान बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए। अभियान राज्य स्तर पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा अभियान सीधे पीआरआई के काम से संबंधित है, खासकर सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में और पंचायतों द्वारा सुशासन और सेवा वितरण। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर अभियान आयोजित करने के लिए ग्राम पंचायत को पर्याप्त लचीलापन दिया जाए।

गरीब परिवारों, पीआरआई प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, विचारकों और सरकारी कर्मियों और ग्राम सभा सदस्यों जैसे कई लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

10.19 राज्य स्तर पर कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र :–

आरजीएसए नियमित विभागीय तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर निम्नलिखित संस्थागत तंत्र की कल्पना की गई है।

10.20 राज्य में पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति

आरजीएसए की योजना के कार्यान्वयन में प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा के लिए संबंधित राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य में एक सलाहकार समिति की स्थापना की जा सकती है और उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त सलाह देनी चाहिए।

इस समिति की सुझाई गई संरचना निम्नानुसार हो सकती है:

पंचायती राज मंत्री	अध्यक्ष
पंचायती राज राज्य मंत्री	सदस्य
ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
पेयजल मंत्री	सदस्य
पंचायती राज के क्षेत्र में काम कर रहे 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी पंचायतों में से पंचायतों के 2 निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी पंचायतों में से 2 पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
रोटेशन द्वारा 2 जिला परिषद अध्यक्ष	सदस्य
रोटेशन द्वारा 2 ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
सचिव, पंचायती राज	सदस्य
सचिव, सामाजिक न्याय	सदस्य
सचिव, जनजातीय मंत्रालय	सदस्य
सचिव, वित्त	सदस्य
आयुक्त, पंचायती राज	सदस्य सचिव
आयुक्त, आरडी	सदस्य
सचिव, महिला और बाल विकास	सदस्य

10.21 राज्य संचालन समिति (एसएससी)

आरजीएसए के अधिदेश की प्रभावी सराहना के लिए, योजना के कार्यान्वयन के लिए उचित रणनीति और नीति तैयार करना, आरजीएसए के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की निगरानी और सभी स्तरों पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना,राज्य सरकार इस योजना की निगरानी और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एसएससी स्थापित कर सकती है।

इस समिति की सुझाई गई संरचना निम्नानुसार है:–

राज्य स्तरीय समिति

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
प्रधान सचिव, पंचायती राज	सदस्य सचिव
कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
प्रधान सचिव, योजना विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	सदस्य
महानिदेशक / निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)	सदस्य
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव , समाज कल्याण विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव, युवा कल्याण विभाग	सदस्य
प्रधान सचिव,वित्त - विभाग	सदस्य
निदेशक, पंचायती राज	सदस्य
अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य
अध्यक्ष के अनुमोदन से दो से अधिक विशेष आमंत्रितों को नामांकित नहीं किया जा सकता है।	

10.22 राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)

इसके साथ–साथ आरजीएसए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने के लिए सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राज्य में एक एसईसी स्थापित की जा सकती है,अपने जीपीडीपी के आधार पर पंचायतों की आवश्यकताओं, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए और एसडीजीज़ हासिल करने के लिए योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। इस तरह की योजनाओं को उस मिशन द्वारा कवर किए गए पंचायतों में मिशन अंत्योदय के उद्देश्यों और 117 आकांक्षी जिलों में शामिल लोगों के साथ गठबंधन/संरेखन करने की भी आवश्यकता है।

इस समिति की सुझाई गई संरचना निम्नानुसार है:–

सचिव, पंचायती राज विभाग	अध्यक्ष
सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, पंचायती राज	सदस्य सचिव
महानिदेशक / निदेशक, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान (एसआईआरडी) / पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
संयुक्त सचिव,योजना विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, युवा कल्याण विभाग	सदस्य
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
निदेशक, पंचायती राज	सदस्य
अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य
अध्यक्ष के अनुमोदन से दो से अधिक विशेष आमंत्रितों को नामांकित नहीं किया जा सकता है।	

अध्याय 11
राज्य घटक के तहत धन की पहुंच के लिए प्रक्रिया

11.1 आरजीएसए (राज्य घटक) के तहत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजनाएं

राज्यों को आरजीएसए दिशानिर्देशों के अनुसार पीआरआई के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार करने और मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए उन्हें एमओपीआर में जमा करने की आवश्यकता है। वार्षिक योजनाओं को राज्य द्वारा एक आवश्यकता मूल्यांकन और एक प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाना चाहिए जिसमें संबंधित ईआरएस, पीएफ और संबंधित अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होना चाहिए। आरजीएसए की योजना पीआरआई के सीबी एंड टी के लिए राज्य विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार करने के लिए राज्यों को आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। राज्य मिशन अंत्योदय द्वारा कवर किए गए एसडीजी और ग्राम पंचायतों और पहचान किए गए 117 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आने वाले लोगों के साथ–साथ अन्य बातों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही, राज्यों को सुमित बोस कमेटी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करने की भी आवश्यकता है। खासतौर पर कई कार्यों और नौकरी के स्तर पर फ्रंटलाइन श्रमिकों को नौकरियों के बारे में बताते हुए, ताकि विभिन्न सेवाओं में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके जो व्यय में समग्र अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के परिणामस्वरूप होगा। इन फ्रंटलाइन श्रमिकों का नौकरी विवरण एसएससी की देखरेख में राज्यों द्वारा समीक्षा की जा सकती है और ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी समग्र प्रणाली में फिट करने के लिए तैयार की जा सकती है। राज्य उन गांवों/पंचायतों को क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगे जिनके पास कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की प्रमुख आबादी है।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार के लिए आरजीएसए के लिए ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली सीबी और टी गतिविधियों की निगरानी के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली को शामिल करने के लिए रखा जाएगा। आरजीएसए फंड की निर्मुक्ति और निगरानी लेनदेन आधारित पीएफएमएस के माध्यम से की जाएगी।

अध्याय 12
आरजीएसए के तहत लागत शर्तें

क्र.सं	गतिविधि	लागत मानदंड
1.	पंचायतों के लिए तकनीकी सहायता	ग्राम पंचायत / ग्राम पंचायतों के समूहों @ 50,000 / माह ब्लॉक के लिए मानदेय तकनीकी समर्थन
2.	ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और मरम्मत / और सामुदायिक हॉल (मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायत पर प्राथमिकता और पहचाने जाने वाले जीपी)	20 लाख / पंचायत भवनों के साथ/और सामुदायिक हॉल आम सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह-स्थापना के लिए पंचायत भवन में अतिरिक्त हॉल / कमरे के लिए 4 लाख रुपये ग्राम पंचायत भवन के नवीकरण मरम्मत, शौचालयों का निर्माण, पेयजल, बिजली और बाधा मुक्त पहुंच का निर्माण सहित के लिए 4 लाख रुपये

प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. आरजीएसए के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रति दिन प्रतिभागी लागत

क्र.सं.	श्रेणी	* प्रति दिन प्रतिभागी लागत (रुपये में)
i.	ईआरज़, कार्यकर्ताओं, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण	1900.00
ii.	ईआरज़, कार्यकर्ताओं, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों आदि के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण	1100.00
iii.	ब्लॉक पंचायत / ईआरएस, कार्यकर्ताओं, संसाधन व्यक्तियों, प्रशिक्षकों आदि का समूह स्तर पर प्रशिक्षण	800.00

क्र.सं.	गतिविधि	लागत मानदंड
ख	अकादमिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी फॉर्मूलेशन के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट	प्रति जीपी @ 10,000 / -
ग		प्रति राज्य / यूटी प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक
घ	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रति राज्य (5 लाख / वर्ष / राज्य)
ड़		प्रति वर्ष 10 लाख रुपये प्रति राज्य (10 लाख / वर्ष / राज्य)
च	राज्य में एक्सपोजर यात्रायें	प्रत्येक प्रतिभागी प्रति दिन 2500 / - तक
छ		प्रत्येक प्रतिभागी प्रति दिन 4000 / - तक
ज	पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी)	प्रति पीएलसी 5 लाख रुपये तक
झ		प्रति राज्य / यूटी प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक

नोट)* : (संबंधित स्तर पर प्रशिक्षण प्रतिभागी प्रति दिन होने वाली विभिन्न वस्तुओं की लागत में भिन्नता के कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में यह लागत है। **आरजीएसए का सीईसी औचित्य के मामलों में संशोधित कर सकती है।

4.	संस्थागत संरचना	
क	एसपीआरसी में बिल्डिंग और उपकरण	1 करोड़ / राज्य तक (केवल एक बार लागत)
ख	एसपीआरसी के अतिरिक्त संकाय और ओ एंड एम पर आवर्ती लागत	प्रति एसपीआरसी प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक
ग	नए डीपीआरसी के निर्माण और बुनियादी उपकरणों के प्रावधान का निर्माण।	पहले ही अनुमोदित डीपीआरसी के लिए नए डीपीआरसीज़ के लिए 2 करोड़ रुपये तक
घ	अतिरिक्त संकाय और डीपीआरसी के रखरखाव पर आवर्ती लागत	प्रति डीपीआरसी प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक

5.	सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
	राज्य स्तर पर स्टूडियो	• राज्य द्वारा प्रस्तावित लागत • प्रस्ताव की मेरिट के आधार पर निर्णय लेने के लिए सीईसी -आरजीएसए
ख	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटीज़)	
ग	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव / तकनीकी जनशक्ति	
घ	प्रौद्योगिकी का कोई वैकल्पिक तरीका	

6.	राज्यों में प्रशासनिक और वित्तीय डेटा विश्लेषण और योजना सेल (एचआर और परिचालन लागत)	एचआर समर्थन के लिए 6 लाख रुपये / वर्ष

7.	ई-सक्षमता	
	ई-गवर्नेंस संसाधन समूह (राज्य और जिला)	ई-एसपीएमयू / माह के लिए 50,000 रुपये ई-डीपीएमयू / माह के लिए 35,000 रुपये
ख	स्थानीय भाषा में अनुप्रयोगों के लिए अनुवाद (एक बार सहायता)	जैसा कि राज्य से प्रस्ताव के आधार पर सीईसी द्वारा
ग	कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर (जरूरत आधारित, सबसे पिछड़े जिलों और	40,000 / ग्राम पंचायत

8.	पीईएसए क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष समर्थन	
क	1 ग्राम सभा संघटक / पीईएसए ग्राम पंचायत का मानदंड	प्रति माह रु. 2500/- प्रति पीईएसए जीपी (0.30 लाख रुपये
ख	पीईएसए ब्लॉक में 1 पीईएसए समन्वयक का मानदंड	रु. 20,000 / - प्रति माह प्रति आईपी / ब्लॉक (रुपये 2.40
ग	पीईएसए जिले में 1 पीईएसए समन्वयक का मानदंड	रु. 25,000/- प्रति माह प्रति जिला (रु. 3 लाख प्रति वर्ष)
घ	ग्राम सभा उन्मुखीकरण	रु. 10,000 प्रति पेसा ग्राम पंचायत प्रति वर्ष

9	नवाचारों के लिए समर्थन (अभिनव गतिविधियों)	मामला दर मामला: सभी राज्यों के लिए 10 करोड़ रुपये / वर्ष तक राज्य प्रस्तावों के आधार पर

10	आय सृजन और आय में वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन	मामला दर मामला: राज्य प्रस्तावों के आधार पर 2 करोड़ रुपये की परियोजना की औसत लागत और 5 करोड़ रुपये तक की अधिकतम लागत

11.	आईईसी गतिविधियां	अनुमोदित योजना आकार के 2% तक

12.	कार्यक्रम प्रबंधन	अनुमोदित योजना आकार के 5% तक

नोटः

- संबंधित राज्य द्वारा अनुमोदित यूनिट लागत/मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां किसी भी गतिविधि के लिए कोई यूनिट लागत तय नहीं की गई है
- ऊपर दी गई इकाई लागत अधिकतम सीमा इंगित करती है और योजना वास्तविक अनुमानों पर आधारित होनी चाहिए जहां वे कम हैं।

अनुबंध

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान समिति द्वारा सिफारिशों का सारांश

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए जो नियमित कर्मचारी हो। आबादी के आकार के आधार पर सचिव की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग–अलग हो सकती हैं। 10,000 या उससे अधिक की आबादी वाली बड़ी पंचायतों के लिए, ग्रुप बी/सी सेवाओं से संबंधित पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है। (पैरा 3.2.1)

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में तकनीकी सहायक होना चाहिए। मौजूदा जीआरएस को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित आवश्यक इंजीनियरिंग कार्यों को पूरा करने के लिए बेयरफुट तकनीशियनों के रूप में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें विकास प्रशासन में सचिव का भी सहयोग करना चाहिए और एक योग्य तकनीकी व्यक्ति द्वारा इन सबका पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। 20,000 से कम आबादी वाली पंचायतों के लिए इस व्यवस्था की अनुशंसा की जाती है और 20,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों के लिए डिप्लोमा या डिग्रीधारी एक योग्य कर्मचारी की आवश्यकता हो सकती है। (पैरा 3.2.2)

3. छोटी पंचायतों (10,000 से कम आबादी) के लिए आईटी और लेखांकन के लिए सहायक कर्मचारियों के संबंध में, एसएसजी नेटवर्क से आउटसोर्सिंग या एसएचजी नेटवर्क से सीएससी या प्रशिक्षित सीआरपी की सिफारिश की जाती है। बड़ी पंचायतों के लिए प्रशिक्षित सीआरपी को वरीयता देते हुए या अधिक औपचारिक आउटसोर्सिंग हो सकती है। (पैरा 3.2.3)

4. सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए और मौजूदा कर्मचारियों को राज्य से समर्थन की सहायता से एक निश्चित अवधि के भीतर आवश्यक प्रवीणता हासिल करने के लिए सक्षम होना चाहिए। (पैरा 3.2.4)

5. छोटे आकार और कम आबादी की पंचायतों वाले राज्यों में पंचायतों का क्लस्टर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 से कम आबादी वाली पंचायतों में, पर्याप्त योग्यता वाले क्लस्टर स्तर पर स्थायी खासकर इंजीनियरिंग, लेखा और आईटी के कार्यों के लिए स्थायी कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जा सकता है। यदि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो तो इन पदों को विशेष रूप से मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए दौरों की आवृत्ति, प्रदर्शन प्रमाणन जवाबदेही इत्यादि से संबंधित सेवाओं के लिए स्पष्ट मानदंडों के साथ पदों का सृजन किया जा सकता है। पेसा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक आकार या कम आबादी की सीमा रेखा राज्यों द्वारा तय की जा सकती है। (पैरा 3.2.5)

6. सचिवों की ताजा भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कंप्यूटर में प्रवीणता के साथ स्नातक होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को कम से कम सोलह सप्ताहों का प्रेरण प्रशिक्षण देना चाहिए जिसमें चार सप्ताह के फील्ड प्रशिक्षण शामिल हो। (पैरा 3.2.6)

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्यों को विभिन्न पदों पर सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए एक व्यापक योग्यता ढांचा (कम्पेंटेन्सी फ्रेमवर्क) विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। (पैरा 3.2.7)

8. कॅरियर संभावना को देखते हुए स्थायी भर्ती (कर्मचारियों) को राज्य कैडरों में लेने की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। (पैरा 3.2.9)

9. अनुबंध पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम योग्यता और सख्त चयन प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है। ऐसे कर्मचारियों के लिए पंचायतों में स्थायी पदों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करके उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जो अनुबंध सेवा की निर्धारित अवधि पूरी करते हैं और न्यूनतम योग्यता रखते हैं। (पैरा 3.2.10)

10. आउटसोर्सिंग के मामले में योग्यता और अनुभव को मानदंड में शामिल होना चाहिए। (पैरा 3.2.11)

11. मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर इंजीनियरिंग और आईटी में पर्याप्त पर्यवेक्षी पद होने चाहिए। जिला पंचायत के मामले में, समिति ने गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है। (पैरा 3.2.12)

12. समिति राज्यों में जिला पंचायतों के साथ डीआरडीए के विलय की सिफारिश करती है जहां यह अभी तक नहीं किया गया है। (पैरा 3.2.13)

13. समिति एक क्रियाशील शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है। (पैरा 3.2.14)

14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना कार्यान्वयन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, एमओआरडी राज्यों को मौजूदा योजना विशिष्ट कर्मचारियों को कई कार्यों को सौंपने की सुविधा प्रदान में सक्षम करने वाले दिशानिर्देश जारी करेगा। (पैरा 3.2.15)

15. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्लूएस) संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक लागत के लिए निर्धारित धनराशि आई पी और पंचायत स्तर पर राज्यों को दी गई एच आर से संबंधित लागत पर खर्च करने की स्वतंत्रताओं और योजनाओं से अबद्ध हो। (पैरा 3.2.16)

16. उपरोक्त 1–15 सिफारिशों को मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायत/क्लस्टर में तेजी से ट्रैक किया जा सकता है। (पैरा 3.2.17)

17. व्यावहारिकता के लिए समिति ने सिफारिश की है कि आकार और आबादी के मामले में नए और छोटे पंचायतों के निर्माण से बचा जा सके। (पैरा 3.2.18)

18. इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए धन की कमी के मामले में, संशोधित आरजीएसए में राज्यों के प्रोत्साहनीकरण के लिए पांच साल तक का समर्थन को शामिल किया जा सकता है। (पैरा 3.4)

19. ब्लॉक/मध्यवर्ती स्तर पर अपने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को मजबूत करने के लिए राज्यों की मदद के लिए एमओपीआर पांच साल की अवधि के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपये का बजट बना सकता है। यह सहायता राज्यों के साथ साझाकरण आधार पर होनी चाहिए। (पैरा 3.5)

20. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा संघटक के साथ पीईएसए क्षेत्रों में पंचायतों के लिए मौजूदा मानव संसाधन समर्थन, इंटरमीडिएट स्तर पर एक पीईएसए समन्वयक, जिले में एक पीईएसए समन्वयक को भविष्य में जारी रखा जा सकता है। (पैरा 3.6)

21. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के मानव संसाधनों का उपयोग विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित गतिविधि समूहों के रूप में और विशेष कार्यों को करने और ग्राम सभा के दौरान भागीदारी बढ़ाने के लिए एसएचजी के बीच प्रशिक्षित सीआरपी के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है। (पैरा 4.7)

22. वीओ का उपयोग पैरा 4.16 में उल्लिखित कुछ विशिष्ट कार्यों को आयोजित करने में जीपी का समर्थन करने में किया जा सकता है।

23. पैरा 4.17 और 4.18 में वर्णित विभिन्न कार्यों को करने के लिए सीआरपी और गतिविधि समूहों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

24. ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क–वीओ के बीच कार्यात्मक और प्रभावी साझेदारी के लिए औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत की कार्यशील समितियों की स्थिति दी जा सकती है (पैरा 4.1 9 .1 से 4.1 9 .8)

25. एनजीओ, स्थानीय नियोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्य, सर्वेक्षण और अध्ययन का संचालन, सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार, कर और फीस का भुगतान करने, सामुदायिक संघटक, एफआरए और पीईएसए के तहत दावों और कानूनी मामलों, विवादों का समाधान, ग्राम पंचायतों के बीच गठजोड़ बनाने के लिए ग्राम पंचायतों और अन्य संस्थानों का समर्थन कर सकता है। (पैरा 4.20)

26. क्रियाशील समितियां, ग्राम पंचायत संघटन, लाभार्थियों की पहचान, पेशागत सहायता, क्रियाशील समितियों के लिए भूमिका की स्पष्टता के लिए गुणवत्ता आश्वासन और आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का समर्थन कर सकती हैं। (पैरा 4.23 और 4.24)

27. पंचायतों में सामाजिक उत्तरदायित्व में सुधार के लिए, पैरा 5.7 से 5.8.3 में उल्लिखित कुछ कदमों की सिफारिश की गई है।

28. सहभागितापूर्ण आयोजना और बजटन, सक्रियता समर्थक प्रकटीकरण, जनता सूचना प्रणाली, सार्वजनिक पुस्तकालय, सेवाओं के वितरण के अधिकार, नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण, लोगों से संपर्क के दिन, निर्धारित बजट के प्रभावी उपयोग के लिए स्टेटस अध्ययन की तैयारी, भागीदारीपूर्ण आकलन, भागीदारीपूर्ण व्यय ट्रैकिंग, समुदाय आधारित

निगरानी, नागरिक स्कोर कार्ड, नागरिक जूरी/पैनल, पंचायत आदि के सामाजिक लेखापरीक्षा को लागू करने की आवश्यकता है। (पैरा 5.9– 5.26)

29. इस समिति द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा प्रस्तावित अभिशासन और उत्तरदायित्व उपायों का एक सेट है जिसमें समुदाय के क्षमता निर्माण, आंतरिक लेखा परीक्षा और समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। (पैरा 5.27 और 5.28)

30. मिशन अंत्योदय के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में तत्काल परिचालन के लिए, भागीदारीपूर्ण आयोजना और बजटन, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, नागरिक चार्टर, प्रकटीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक स्कोर कार्ड पर विचार किया जा सकता है। (पैरा 5.2 9)

31. आईटी के मोर्चे पर यह सिफारिश की जाती है कि पंचायतों को केवल लेनदेन आधारित सॉफ्टवेयर, लेखांकन के डबल एंट्री सिस्टम को सेक्यूर (एसईसीयूआरई) सॉफ्टवेयर को सार्वभौमिक बनाने, पीईएस को ग्राम पंचायत स्तर पर लेनदेन का समर्थन करने के लिए अपग्रेड करने और बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के सॉफ्टवेयर चलाने के प्रावधान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एनआईआरडी एवं पीआर विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकसित सभी आईसीटी अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी के आदान–प्रदान के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिए काम करे। (पैरा 6.19– 6.27)

32. समिति पैरा 7.4.1 से 7.4.15 में वर्णित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश करती है।

33. समिति पैरा 7.9.1 से 7.9.14 में वर्णित गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अपनाने की सिफारिश करती है।

34. विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन में शामिल इंजीनियरों का प्रशिक्षण अनुशंसित है। (पैरा 7.10)

35. ग्रामीण स्तर पर संपत्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि गुणवत्ता की एक प्रणाली को अपनाया जाए जो कि पीएमजीएसवाई के तहत समान है। (पैरा 7.11.1 से 7.11.7)

36. सभी मौजूदा ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और नए सचिवों को सख्त प्रेरणादायी प्रशिक्षण के माध्यम से रखा जाना चाहिए। एमओआरडी–आईएलओ मॉड्यूल जीआरएस को अतिरिक्त कौशल प्रदान करने, लेखांकन पर प्रशिक्षण और एसएचजी और सीआरपी के लिए काम के क्षेत्रों में आईटी से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का मूल बना सकता है। विभिन्न कर्मियों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण पर विशेष प्रशिक्षण और गुणवत्ता निगरानी के प्रशिक्षण की सिफारिश की जाती है। (पैरा 8.4.1 से 8.4.10)

37. समिति ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण मूलक आवश्यकता आकलन (टीएनए) का संचालन किया जाए, प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त विषयों को तैयार किया जाए और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी को पंचायत प्रणाली की समग्र सीमा के तहत विभिन्न कर्मियों के प्रभावी कामकाज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। (पैरा 8.4.12)

38. एसएचजी के गांव संगठनों के नेताओं को ग्राम पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के अधिकारियों को समान भागीदारों के रूप में उनके साथ काम करने के लिए संवेदनशील किया जाना चाहिए। कार्यात्मक समितियों और स्थायी समितियों के सदस्यों को उनकी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सीआरपी को अच्छे शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के मांग पक्ष को मजबूत करने के लिए नागरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए सेवाओं और कार्यक्रमों का अभिसरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क में नैतिकता और उत्तरदायित्व, जलवायु परिवर्तन, विकास की स्थिरता और संभावित स्थानीय कार्रवाई जैसे विषयों को शामिल करना चाहिए। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों में सामाजिक संवेदनाएं स्थापित करने की जरूरत है। समिति भी प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ–साथ संस्थानों को प्रशिक्षण देने और उन्हें मजबूत करने में कर्मियों को शामिल करने की भी सिफारिश करती है। (पैरा 8.4.13.1 से 8.4.13.6)।

39. समिति ने सिफारिश की है कि ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों के मानव संसाधनों के साथ जोड़ा जा सकता है। एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा) के तहत विविध कार्यों के लिए, विभिन्न संबंधित विभागों के मानव संसाधनों का औपचारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। सरकारी विभाग में अतिरिक्त क्षमता के मामले में ग्राम पंचायत औपचारिक रूप से उस क्षमता तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। कार्यों और काम के लिए भुगतान के मामले में ग्राम पंचायत को निर्णय लेने वाला प्राधिकारी होना चाहिए। (पैरा 9.5.1)

40. उन्नत भारत अभियान (यूबीए) को सर्वेक्षण और अध्ययन, स्थानीय आयोजनाओं की तैयारी, जीएस के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए पंचायतों को औपचारिक समर्थन प्रदान करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के साथ अभिसरण के लिए ढांचे को राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रखा जा सकता है। (पैरा 9.5.4)

41. सभी ग्रामीण सीएसआर परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन में स्थानीय पंचायतों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, ये कंपनियां पात्र ग्राम पंचायतों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से पेशेवरों का समर्थन कर सकती हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीएसआर पहल के लिए इन सुझावों को उचित रूप से शामिल किया जा सकता है। (पैरा 9.5.6)

42. उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईसीएआर और सीएसआईआर जो विशेष रूप से भारत सरकार के अंतर्गत हैं को अपने क्षेत्रीय केंद्रों के इलाके में तत्काल ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इन संस्थानों को उनके नियमित पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रमों में ऐसे समर्थन को संस्थागत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। (पैरा 9.5.7)

43. विशेष रूप से जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास जैसे क्षेत्रों में पेशेवर समर्थन प्राप्त करने के लिए पंचायतों के बीच क्षैतिज अभिसरण जिसमें वे स्वयं को क्लस्टर और पूल संसाधनों में समूहित कर सकते हैं, की सिफारिश की जाती है। (पैरा 9.5.8)

44. अभिसरण के नियम और शर्तों को सरकारी आदेशों के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित और जारी करना होगा। ग्राम पंचायत की स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति को बरकरार रखते हुए अभिसरण के तरीके और प्रकृति पर औपचारिक क्षमता निर्माण हेतु सिफारिश की जाती है। (पैरा 9.6.1– 9.6.5)

अनुबंध II

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

सत्यमेव जयते

अ.शा. # सचिव (ग्रामीण विकास)/विभिन्न/2018–जीएसए

22 मई, 2018

विषयः ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्वयं सहायता समूह का अभिसरण।

प्रिय मुख्य सचिव,

यह पत्र गरीब परिवारों (समुदायों) के जीवन की गुणवता में सुधार करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों की प्रभावी आवश्यकता आधारित आयोजना और कार्यान्वयन के लिए समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित सदस्यों को संघटित करने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय सरकार ढांचा भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य है। आवास/गांव में महिला स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ अभिसरण और सभी स्तरों पर पूरी तरह क्रियाशील और परिचालित है और इससे ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के सामुदायिक स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2. यही कारण है कि पंचायतों में शासन सुधार के लिए नए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना में पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण के लिए ढांचे को जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी, 2016 को जारी किया गया था को पूरी तरह से अपनाएगा। इसकी एक प्रति संलग्न है। दीनयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के ग्राम पंचायत और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के बीच साझेदारी पर दिशानिर्देशों की एक प्रति साथ ही डीएवाई–एनआरएलएम में पीआरआई–सीबीओ अभिसरण पर प्रस्तुति की भी एक प्रति संलग्न है।

3. आपसे अनुरोध है कि आप भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यक्रमों की योजनाओं और कार्यान्वयन में इस अभिसरण को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए सभी संबंधित विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित करें। यह पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक प्रणाली के संवैधानिकता के भीतर सार्वजनिक कार्यक्रमों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामुदायिक स्वामित्व को आगे बढ़ाएगा। सभी राज्यों का अनुभव संकेत देता है कि कम्युनिटी संगठनों के साथ ऐसी साझेदारी को भी यदि सबसे गरीब परिवारों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाती है तो स्थानीय सरकारों की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार आता है।

4. हम ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह के अभिसरण के लिए आपके सक्रिय सहयोग की उम्मीद करते हैं।

सादर।

आपका,

(अमरजीत सिन्हा)

संलग्नक : यथोपरि।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को

संख्या के–11022/31/2015–सीबी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016.

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषयः ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना हेतु पंचायत–एसएचजी का अभिसरण पर परामर्शिका के संबंध में।

महोदय/महोदया,

देश भर की ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान के उपयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की भी आवश्यकता होती है। इस योजना में गरीबी के कारणों, हाशिए पर के लोगों की कमजोरियों और आजीविका के अवसरों को एक समेकित गरीबी उन्मूलन योजना जिसका अभिसरण एमजीएनआरईजीएस के तहत श्रम बजटन और प्रक्षेपण अभ्यास के साथ हो, के माध्यम से हल किए जाने वाले घटक शामिल किए जाएं। गरीबों के संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघ के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। एनआरएलएम ढांचे में सूचीबद्ध एसएचजी नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभा और पंचायतों के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना, समुदाय आधारित निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना और ग्राम पंचायतों को उनके विकास पहल और योजना अभ्यास में सहायता करना शामिल है। एनआरएलएम ढांचा एनआरएलएम के संदर्भ में पंचायतों की भूमिका को चित्रित करता है, जिसमें बीपीएल परिवारों को एसएचजी में पहचान और संगठित करना, सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए प्राथमिकता तय करना, विभिन्न स्तरों पर एसएचजी संघों की सुविधा प्रदान करना और उनके प्रभावी कामकाज के लिए आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं/गतिविधियों में एसएचजी और उनके संघों की प्राथमिक मांगों के लिए उपयुक्त वित्तीय आवंटन को शामिल करना और नेटवर्क की ओर से विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है।

2. ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना में एसएचजी और उनके संघों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार ने संयुक्त रूप से सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए पंचायत–एसएचजी अभिसरण पर 11, 12 और 13 दिसंबर, 2015 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के उद्देश्यों में (i) गरीबों के संस्थानों के लिए पंचायत क्या कर सकती हैं और एसएचजी संघ कैसे पंचायतों के विकास और कल्याणकारी पहलों का समर्थन कर सकते हैं, पर स्पष्टता विकसित करना; (ii) पीआरआई–सीबीओ अभिसरण को संस्थागत बनाने की आवश्यकता और रणनीतियों पर प्रमुख हितधारकों के बीच आम सहमति बनाना; (iii) एसएचजी सामूहिक रूप से पीआरआई अभिसरण के लिए विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस, स्वच्छ भारत और एनआरएलएम के साथ जीपीडीपी के एकीकरण के संदर्भ में पीआरआई अभिसरण के लिए राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण योजनाएं विकसित करना; और (iv) एनआरएलएम के पंचायतों और एसएचजी सामूहिक सामग्रियों के बीच निरंतर संबंध बनाने के लिए राज्य विशिष्ट रोड मैप विकसित करना शामिल था।

3. कार्यशाला के दौरान विचार–विमर्श और सर्वसम्मति के आधार पर निम्नलिखित कार्य बिंदु उभर कर सामने आए। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें:

3.1 एसएचजी संघों के कार्यालय के लिए जीपी कार्यालय के परिसर में एक अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है। इससे न केवल एसएचजी और उनके संघों की दक्षता में वृद्धि होगी बल्कि पंचायतों के साथ उनकी संवाद की गुणवत्ता में सुधार होगा। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त स्थान मनरेगा का उपयोग करके बनाया जा सकता है।

3.2 ग्राम पंचायतों को अपने आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक भूमि, तालाबों, बाजार स्थानों आदि जैसे सामान्य संसाधनों तक पहुंच बनाने में एसएचजी को प्राथमिकता देना आवश्यक किया जा सकता है। यह न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करेगा बल्कि ग्राम पंचायतों के अपने राजस्व स्रोत को भी बढ़ाएगा।

3.3 कई स्थानीय सेवाओं के वितरण में एसएचजी की भागीदारी मूल्यवर्द्धन कर सकती है। एसएचजी मध्यान्ह भोजन (मीड डे मील), घरों से कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति एवं इसका संचालन, ई–सेवाओं आदि के रखरखाव जैसी सेवाओं के वितरण में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों की ओर से पहचाने गए क्षेत्रों में सेवा वितरण के एसएचजी के लागत मानदंडों को अधिसूचित कर सकती हैं। इस तरह के लागत मानदंड अवसर लागत को ध्यान में रख कर बनाए जाने चाहिए जो टिकाऊ और आकर्षक होने चाहिए।

3.4 राज्य एसएचजी की स्वायत्तता सुरक्षित को सुनिश्चित कर सकते है, जबकि आम संसाधनों तक पहुंचने और उन्हें सेवाओं के वितरण में प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है

3.5 जीपीडीपी में एकीकरण

3.5.1 एनआरएलएम के तहत, एसएचजी को सभी सदस्य परिवारों को कवर करने वाली माइक्रो क्रेडिट योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों में एसएचजी को गरीबों की भागीदारीपूर्ण पहचान, या पात्रता के सहभागितापूर्ण मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। जहां भी उपलब्ध हो, इन रिपोर्टों और योजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार ग्राम पंचायत विकास रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।

3.5.2 जीपीडीपी की सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं में एसएचजी की भूमिका को या पूरक दिशानिर्देशों में जारी की जा सकती है, जो ग्रामसभा प्रक्रियाओं तथा एसएचजी/एसएचजी फेडरेशन को शामिल करने को सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण की चर्चा की सुविधा प्रदान करने को शामिल करेगा। जिन राज्यों में इस पर विचार किया गया है, वहां इन भूमिकाओं को औपचारिक रूप से विजन तैयार करने/आयोजना ग्राम सभा और महिला सभा की सुविधा के लिए उन्हें औपचारिक रूप से भूमिका सौंप कर इसे संस्थागत बनाया जा सकता है।

3.5.3 ग्राम पंचायत–एसएचजी इंटरफेस के लिए एक संस्थागत रूपरेखा विकसित और परिचालित की जा सकती है। ऐसा तमिलनाडु गांव गरीबी न्यूनीकरण समितियों (वीपीआरसी) या केरल की सीडीएस मूल्यांकन समितियों जैसे अभिसरण प्लेटफार्मों को स्थापित करके, निश्चित तारीखों पर संयुक्त बैठकें आयोजित करके किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों की कार्यशील समितियों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान, जीपीडीपी के लिए कार्यबल/कार्यकारी समूहों में और गांव स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी), स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), अस्पताल समिति इत्यादि जैसी विभागीय समितियों में जीपीडीपी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संस्थागत बनाया जा सकता है। इन समितियों की बैठकों और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के रिकॉर्ड एसएचजी/संघों के साथ साझा किए जा सकते हैं।

3.5.4 ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संस्थानों और सेवाओं के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पंचायतों की योजनाओं और परियोजनाओं की समुदाय आधारित निगरानी में एसएचजी/संघों को शामिल करने पर परिचालन निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस तरह की निगरानी में प्रक्रियाओं के साथ–साथ परिणामों की निगरानी शामिल हो सकती है, और ग्राम पंचायत की कम लागत निगरानी परियोजनाओं का कारक हो सकता है।

3.5.5 पीआईआर–एसएचजी अभिसरण हेतु राज्य के लिए लागू होने वाले पीआरआई पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री को तैयार और प्रसारित करने और प्रशिक्षण की अभिसारित हुई लेनदेन को राज्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

3.5.6 जीपीडीपी के तहत एसएचजी के साथ अभिसरण के लिए राज्य बीकन ग्राम पंचायत की प्रकृति और पहचान कर सकता है। ये बीकन ग्राम पंचायत पूर्व शिक्षा केंद्रों के रूप में सेवा कर सकती हैं जहां निर्वाचित प्रतिनिधि और कर्मी, अन्य ग्राम पंचायतों के संघों तथा एसएचजी के प्रतिनिधि एक्सपोजर दौरे में आ सकते हैं।

3.6. निगरानी

- राज्य सरकार ग्राम पंचायत–एसएचजी अभिसरण के लिए ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर सकती है। राज्य ग्राम पंचायत–एसएचजी फेडरेशन अभिसरण के लिए संकेतक विकसित कर सकता है।

- संकेतकों की एक सूचक सूची अनुबंध के रूप में दी गई है– राज्य इन संदर्भों के अनुसार इन संकेतकों में संशोधन कर सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं।

3.7. पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र

- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में, जहां ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, वहां एसएचजी पीईएसए अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को साकार करने में शामिल हो सकते हैं। राज्य ग्राम सभा प्रधान/एसएचजी के अध्यक्ष और वीओ/सीएलएफ से नियमित संपर्क/संवाद का भी प्रावधान कर सकता है।

3.8. राज्य स्तरीय संचालन समिति

- जीपीडीपी और एफएफसी के लिए राज्य संचालन समिति को ग्राम पंचायत–स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अभिसरण के समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है।

4. आपसे ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना में पंचायत और एसएचजी और उनके संघों के अभिसरण के मामले में आपके राज्य के संदर्भ में उपरोक्त के अनुसार उपयुक्त और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

(सी. चिनप्पा)
निदेशक
9650655366 (मो)
e-mail: c.chinnappa@nic.in

ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचएजीएच) नेटवर्क के बीच साझेदारी के लिए दिशानिर्देश

पृष्ठभूमि

पंचायती राज को 1993 में एक संवैधानिक अधिदेश दिया गया था। लगभग उसी समय ज्यादातर नाबार्ड द्वारा समर्थित महिलाओं के एसएचजी उभरने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय सरकार और गरीबों के संस्थानों के बीच ज्यादा तालमेल विकसित नहीं हुआ है। चूंकि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के जुड़वां कार्यों को सौंपा गया है, इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए, स्वाभाविक रूप से समुदाय आधारित संगठनों, विशेष रूप से गरीबों के साथ घनिष्ठ साझेदारी की आवश्यकता होती है।

यह मानते हुए कि पंचायतों, विशेष रूप से ग्राम पंचायत और महिलाओं के एसएचजी, विशेष रूप से ग्राम संगठनों (वीओ) के बीच एक प्रभावी और कार्यात्मक कार्य संबंध की आवश्यकता है, स्थानीय सरकारों और गरीबों के संगठन के बीच औपचारिक संबंध बनाने के लिए एनआरएलएम ढांचे को संशोधित किया गया था।

चूंकि देश भर में पंचायतों की प्रति, शक्तियां और अधिकार काफी भिन्न हैं, इसलिए साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए एक तरह का ढांचा सही नहीं होगा। इसलिए, एनआरएलएम ने विभिन्न स्थितियों में क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर कार्यविधियां तैयार करने के लिए छह राज्यों में पायलेट योजनाएं शुरू किया गया है। पायलेट योजना के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि साझेदारी का मंच संदर्भ विशिष्ट होगा। यह परस्पर लाभकारी है और इसका नतीजा सकारात्मक होता है।

तत्काल संदर्भ

यह जानने हुए भी कि एमजीएनआरईजी गरीबों के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन गरीबों की अपनी प्राथमिकताओं का निर्णय लेने और उनकी आजीविका को सीधे बढ़ाने के लिए कार्य की सहभागितापूर्ण आयोजना और योजना की मांग सीमित थी और इसलिए गहन भागीदारी योजना (आईपीपीई) शुरू की गई थी। पहली बार, श्रम बजटन की तैयारी में एसएचजी और उसके संघों को केंद्रीय भूमिका दी गई। चूंकि एमजीएनआरईजीएस के तहत बड़े पैमाने पर काम ग्राम पंचायत द्वारा योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया जा रहा है, इससे इसने एक परिचालन जुड़ाव लाया है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा ग्राम पंचायतों को पर्याप्त धन के अंतरण के साथ, राज्यों ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर राज्यों ने विभिन्न स्थितियों में आदेश दिया है और एमजीएनआरजीएस ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करता है। चूंकि फोकस सहभागितापूर्ण आयोजना पर है, इसलिए एसएचजी नेटवर्क को शामिल करना जरूरी है ताकि गरीबों को स्थानीय विकास में उनका हिस्सा मिल सके।

उद्देश्य

ग्राम पंचायत और एसएचजी के बीच साझेदारी के उद्देश्य हैं:

1. गरीबों को उनके अधिकारों, अधिकारों की मांग करने और उन्हें पाने की जानकारी के लिए सशक्त बनाना।
2. स्थानीय विकास प्रक्रिया में समुदाय के गरीब और कमजोर वर्गों को शामिल करने और उन्हें इससे लाभ उठाने में सक्षम बनाना।
3. स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रतिक्रियाशील और उत्तरदायी बनाना।
4. स्थानीय स्तर के विकास को बढ़ावा देने और इसे सहभागी और समावेशी बनाना।
5. नागरिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना।

साझेदारी का औचित्य

1. रणनीतिक रूप से, एसएचजी और उनके संघ लोकतांत्रिक शक्ति के कार्यकलापों को सीखेंगे और सहभागितापूर्ण आयोजना के माध्यम से निर्णयों को प्रभावित करेंगे। इससे उन्हें अपने अधिकारों, अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और उन्हें अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जाएगा। इससे सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्थानीय रूप से प्रासंगिक मानदंडों को विकसित करने में मदद मिलेगी, खासतौर पर ग्राम सभा में, जो बदले में सार्वजनिक कार्य के लिए सार्वजनिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती है।

2. व्यावहारिक रूप से, यह एसएचजी को स्थानीय योजना, विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस से काम और आजीविका, एफएफसी अनुदान से बुनियादी सेवाओं, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से मूलभूत आवश्यकताओं आदि से सीधे लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। ।

3. पंचायतों के दृष्टिकोण से, यह भागीदारी को बढ़ाकर और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मजबूत करके लोकतंत्र को व्यापक और सघन कर देगा। बराबरी की शर्तों पर गरीबों के साथ मिलकर संलग्न होने से ग्राम पंचायतों की वैधता और स्थिति में वृद्धि होगी।

4. इसके अलावा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एसएचजी नेटवर्क का उपयोग खासतौर से स्थानीय स्तर की योजना बनाने में सुधार, आउटरीच, विस्तार और सेवा वितरण के साथ–साथ फीड–बैक के लिए भी उनका प्रयोग कर सकते हैं,

इस प्रकार, साझेदारी परस्पर लाभकारी होगी और इसके लिए सक्रिय रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है।

साझेदारी के अंतर्निहित सिद्धांत

पंचायतों और एसएचजी के बीच साझेदारी स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

उन सिद्धांतों में शामिल हैं :

- स्थानीय स्व सरकार की संस्थाओं के रूप में पंचायतों की स्वीकृति।
- स्पष्ट अधिकारों और कार्यों के साथ गरीबों के स्वायत्त संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघ को पहचानना। किसी भी परिस्थिति में पंचायतों द्वारा उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
- पंचायत और एसएचजी दोनों को जानकारी साझा करने और परामर्श और संवाद आयोजन के माध्यम से कार्यों, जिम्मेदारियों और एक दूसरे की गतिविधियों के विवरण जानने का पूरा अधिकार है।
- एक साथ पर काम करना अनिवार्य है लेकिन यह मानकों और मानदंडों के आधार पर पारदर्शी और नियम आधारित प्रणाली के तहत हो।
- साझेदारी को कार्यात्मक और सुगम बनाने के लिए, संरचनात्मक, वित्तीय, विकास जुड़ाव आदि के लिए काम करने की आवश्यकता है।

साझेदारी को साकार करने के लिए आयोजना प्रक्रिया

एसएचजी को ग्राम पंचायत स्तर की योजना की प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल और एकीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

1. एसएचजी और उनके संघों को एसईसीसी डेटा और सहभागी आकलन के आधार पर अपनी गरीबी और आजीविका की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें ग्राम पंचायत में गरीबी की प्रोफाइल विकसित करनी चाहिए।
2. इसके बाद वे मुख्य कारणों और समाधानों को इंगित करने वाले मैट्रिक्स को विकसित कर सकते हैं।
3. इसके आधार पर, ग्राम पंचायत के परामर्श से गरीबी में कमी की योजना को जीपीडीपी के हिस्से के रूप में तैयार की जा सकती है, एमजीएनआरईजीएस, एफएफसी अनुदान और ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित अन्य धन से संसाधनों को आकर्षित किया जा सकता है। इस योजना का ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर लागू होने वाले अन्य गरीबी कार्यक्रमों के साथ भी अभिसरण किया जा सकता है। कमजोर (गरीब) क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायत को आश्वासन के माध्यम से इसे और मजबूत किया जा सकता है।
4. इसके अलावा, एसएचजी और उनके संघों को जीपीडीपी के लागत रहित विकास घटकों में जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में अंतिम लिंक प्रदान करना और सामाजिक बुराइयों को संबोधित करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

ग्राम पंचायतों की भूमिका

1. गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान करने, उनके सामाजिक संघटनीकरण और फिर एसएचजी के रूप में संस्था निर्माण और गांव संगठनों के रूप में उनका संचालन करने में सहायता और समर्थन।

2. जरूरतों और प्राथमिकताओं पर एसएचजी के भीतर पूर्व चर्चा के बाद जानकारीपूर्ण भागीदारी के माध्यम से ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एसएचजी और उनके संघों का सावधानीपूर्वक और औपचारिक रूप से उपयोग।

3. स्थानीय स्तर की नियोजन प्रक्रिया में विशेष रूप से गरीबी में कमी से संबंधित मामलों में एसएचजी और उनके संघों का सक्रिय रूप से उपयोग। उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है :

   - सामाजिक संघटन के लिए;
   - सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए;
   - सहभागितापूर्ण आयोजना की टीम सदस्य के रूप में;
   - पीआरए कार्यों के संचालन के लिए;
   - सहभागितापूर्ण हकदारी आकलन (एंटाइटेलमेंट्स, पीएई), सहभागितापूर्ण गरीबी आकलन (पीपीए) और आयोजना के लिए आधारभूत जानकारी के रूप में सहभागितापूर्ण गरीबों की पहचान (पीआईपी) पर विचार करने के लिए;
   - ग्राम सभा को प्रस्तुत विकास रिपोर्ट में माइक्रो क्रेडिट प्लान (एमसीपी) और कमजोरी (भेद्यता) में कमी योजना को शामिल करने के लिए;
   - ग्राम सभा से पहले महिला सभा और वार्ड सभा में भाग लेने के लिए।

4. ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजना के हिस्से के रूप में गरीबी में कमी की योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसमें एसएचजी की मांगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

5. एमजीएनआरईजीएस में श्रमिकों की पहचान, काम की मांग, श्रम बजट तैयार करने आदि जैसे कामों में एसएचजी और उनके संघों को विशिष्ट भूमिकाएं दी जाएं।

6. व्यवहार परिवर्तन, विकास की प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना का प्रसार, लक्षित समूहों तक विकास संदेशों का संचार और विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के बारे में जानकारी देने या इसके लिए लोगों तक पहुंच बनाने में विशेष रूप से एसएचजी का उपयोग करें।

7. समुदाय आधारित निगरानी, विशेष रूप से सेवा वितरण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के विशिष्ट संदर्भ के साथ विकास संबंधी हस्तक्षेप के प्रदर्शन के लिए एसएचजी का उपयोग करें।

8. स्थानीय रूप से उपयुक्त पात्र के रूप में सामुदायिक अनुबंध के माध्यम से एसएचजी और उनके संघों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियां सौंपने पर भरोसा करें।
9. उचित उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने की स्वतंत्रता के साथ उपयोगिता और परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए एजेंसियों के रूप में एसएचजी का उपयोग करें।
10. एसएचजी के बीच से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को उचित पारिश्रमिक पर विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार करें।
11. आजीविका गतिविधियों के लिए एसएचजी को तालाब, सार्वजनिक भूमि इत्यादि का पट्टा दें।
12. सहभागितापूर्ण आकलन और लैंगिक स्थिति, बच्चों की स्थिति, गरीबी विश्लेषण, निराशा की स्थिति इत्यादि जैसे अध्ययनों में एसएचजी का प्रयोग करें।
13. स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि के स्थानीय अभियानों के लिए एसएचजी का प्रयोग करें।
14. शराब और नशीले पदार्थों के सेवन , सिर पर मैला ढोने (मैनुअल स्कावेन्जिंग), बाल विवाह, बाल श्रम, महिलाओं की तस्करी आदि जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एसएचजी की सामाजिक पूंजी का उपयोग करें।
15. सामान्य सेवा केन्द्रों को चलाने खासकर आईटी आधारित सेवाओं को वितरित करने और वित्तीय समावेशन के लिए एसएचजी का उपयोग करें, ।
16. एसएचजी को सामाजिक लेखा परीक्षा करने की अनुमति दें।
17. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ एसएचजी को निकटता के साथ काम करने की सुविधा दें।
18. उचित भुगतान पर एसएचजी को शासन से संबंधित कार्यों को आउटसोर्स करें।
19. सौंपे गए कार्यों को करने के लिए एसएचजी का क्षमता निर्माण करें।
20. पंचायत कार्यालय में ग्राम संगठन को जगह प्रदान करें।
21. एसएचजी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए धन उपलब्ध कराएं।
22. विभिन्न विकास कार्यों के लिए एसएचजी का पक्ष सर्मथन।
23. कार्यात्मक समितियों और अन्य ग्राम पंचायत स्तर समितियों में एसएचजी और उनके संघों को शामिल करें।
24. एसएचजी और उनके संघों के साथ साझेदारी योजना तैयार करें।
25. एसएचजी की मांगों पर चर्चा के लिए कम से कम तीन महीने (तिमाही) पर एक बार एसएचजी फेडरेशन के साथ पंचायत की संयुक्त बैठकों की सुविधा प्रदान करें।

एसएचजी और उनके संघों की भूमिका

1. ग्राम पंचायत से एसएचजी गठन के सामाजिक जुड़ाव में और एसएचजी में लाने के लिए समुदाय के बाकी बचे और कमजोर वर्गों की पहचान के लिए समर्थन करें।
2. गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान (पीआईपी) करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करें और ग्राम सभा में अनुमोदित प्रक्रिया प्राप्त करें।
3. ग्राम सभा में सक्रिय रूप से एसएचजी और एसएचजी फेडरेशन में एमजीएनआरईजीएस के तहत काम और परिसंपत्तियों तक पहुंच और जीपीडीपी से लाभ के रूप में सहमत समेकित मांगों के साथ सक्रिय रूप से भाग लें।
4. ग्राम पंचायतों को प्रचार में उनकी मदद करके, ग्राम सभा आयोजित करने, चर्चाओं और दस्तावेजीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करें।
5. ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार्य फायदेमंद सहयोग के लिए सुझाए गए कार्यों को निष्पादित करें।
6. ग्राम पंचायतों की सभी कार्यात्मक समितियों में भाग लें।
7. उपयुक्त फीस का दावा करके करों, घरों के कर संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन और पाइप पेयजल की आपूर्ति, ई–सेवाओं इत्यादि के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई सेवा वितरण जिम्मेदारियां लें।
8. ग्राम पंचायत परियोजना कार्यान्वयन के समुदाय आधारित निगरानी तंत्र में भाग लें।
9. एसएचजी के लिए आजीविका आधार के रूप में, ग्राम पंचायत के सामान्य संसाधनों (जैसे मछली तालाब, निहित भूमि, आम गुण, बाजार यार्ड इत्यादि) के सामान्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत के साथ काम करें।
10. लैंगिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए ग्राम पंचायत की सहायता करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय की लैंगिक आवश्यकताओं को स्थानीय योजना में दर्शाया गया है।
11. ग्राम पंचायत से उपलब्ध जानकारी और उपलब्ध सरकारी सेवाओं और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर एसएचजी सदस्यों के बीच प्रसारित करें।
12. प्रत्येक एसएचजी में हकदारी (एंटाइटेलमेंट्स) का सहभागितापूर्ण आकलन (पीएई) और वीओ और ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित करना और ग्राम पंचायत में हकदारी (एंटाइटेलमेंट्स) पहुंच योजना (ईएपी) तैयार करना।
13. एसएचजी की मांगों को प्राप्त करने के लिए जीपीडीपी प्रक्रिया की गतिविधि शामिल होना।
14. ग्राम पंचायत और अन्य हितधारकों के सहयोग से ग्राम पंचायत गरीबी कमी करने की योजना को तैयार करने का नेतृत्व करें और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत और अन्य संबंधित विभागों से पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करें।

15. साझेदारी को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करें।
16. निश्चित तारीखों पर ग्राम पंचायत के साथ संयुक्त बैठक के लिए समन्वय।
17. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एसएचजी के सदस्यों के रूप में नामांकित करें और उनका सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के रूप में पोषण करें।
18. विकास संबंधी मुद्दों पर पंचायतों के साथ नियमित बातचीत करें।
19. संयुक्त परियोजनाओं के संबंध में एसएचजी के कामकाज पर जानकारी प्रदान करें।
20. माइक्रो योजनाओं की तैयारी करते समय ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय और औपचारिक वित्तीय सहायता की तलाश करें।
21. आयोजना और कार्यान्वयन तथा सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्त करने, समीक्षा और निगरानी में भागीदारी करने के लिए एसएचजी और संघों की सभी नियमित बैठकों में एक अलग एजेंडा के रूप में पंचायत–एसएचजी साझेदारी को जोड़ें। एजेंडा में ग्राम सभा, जीपीडीपी, गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत, एमजीएनआरईजीएस, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम पंचायतों की कार्यशील समितियों में कार्य, ग्राम स्वास्थ्य योजना, आईसीडीएस इत्यादि शामिल हो सकते हैं ।

साझेदारी की सुगमता

राज्य सरकार की भूमिका :

राज्य सरकारों को निम्न के अनुसार साझेदारी को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बनाना है:

1. वीओ और ग्राम पंचायतों के बीच भौगोलिक अनुरूपता लाने के लिए यानी एक ग्राम पंचायत में एक या पूर्णांक में वीओ होने चाहिए।
2. पंचायत कार्यालय के भीतर वीओ के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देशित करें। यदि मौजूदा स्थान पर्याप्त नहीं है तो जगह बनाने के लिए एमजीएनआरईजीएस का उपयोग किया जा सकता है।
3. ग्राम पंचायत के नियंत्रण में तालाब, चारागाह भूमि जैसी सामान्य संपत्तियों से लाभ उठाने के लिए एसएचजी को सक्षम करने के लिए आदेश जारी करना।
4. ग्राम पंचायत स्तर की आयोजना के हिस्से के रूप में, गरीबी में कमी योजना की तैयारी के लिए एसएचजी को केंद्रीय भूमिका दिए जाने हेतु प्रक्रिया तैयार करना।
5. ग्राम पंचायत स्तर विकास योजना के लिए योजना शर्तों में एसएचजी से सह–चयन सीआरपी जिसमें एमजीएनआरईजीएस शामिल होंगे।
6. स्पष्ट मानदंडों के आधार पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा की सहायता करने में एसएचजी को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपे।
7. सुनिश्चित करें कि सभी योग्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एसएचजी के सदस्य वनाया गया है।

8. ग्राम पंचायत और एसएचजी और उनके संघों के बीच साझेदारी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को विशेष रूप से आंतरिक सीआरपी के रूप में उपयोग करें।

9. स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के लिए पंचायत और एसएचजी के संयुक्त अभियान आयोजित करें।

10. गरीबी में कमी और महिलाओं के मुद्दों को हल करने वाले ग्राम पंचायत की कार्यात्मक समिति में एसएचजी और उनके संघीय कार्यकर्ताओं को शामिल करें।

11. वीओ को सभी ग्राम स्तरीय समितियों में औपचारिक सदस्यता दें।

12. ग्राम पंचायतों के साथ सालाना कम से कम दो बार वीओ के नियमित बातचीत के लिए एक मंच तैयार करें जिसमें वीओ जरूरतों को समझाएगा और ग्राम पंचायत इसके विकास संबंधी समर्थन को औपचारिक रूप से लागू करेगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने से पहले होना चाहिए।

13. साझेदारी की निगरानी के लिए वीओ और ग्राम पंचायत के नेताओं (अग्रणी व्यक्तियों) से मिलकर संयुक्त समितियां स्थापित करें।

14. साझेदारी और पद्धतियों की आवश्यकता को समझाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और वीओ नेताओं (अग्रणी व्यक्ति) के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करें।

15. पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में एसएचजी विशेष रूप से ग्रामसभा को मजबूत करने और उनकी क्षमता को उचित रूप से निर्मित करने में शामिल हो सकते हैं।

16. यदि आवश्यक हो तो समस्याओं को दूर करने (ट्रबल शूटिंग) के लिए ब्लॉक स्तर पर एक समिति की स्थापना की जा सकती है।

एसआरएलएम की भूमिका :

ऊपर बताई गई भूमिकाओं में राज्य सरकार का समर्थन के अलावा, एसआरआईएम को निम्नलिखित कार्य करने की जरूरत है :

1. बीएमएमयू, डीएमएमयू और एसआरएलएम के एक अधिकारी को विशेष रूप से भागीदारी की सुविधा के पर्यवेक्षण का कार्य सौंपे।

2. सभी हितधारकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फेडरेशन/ग्राम पंचायत स्तर पर सक्षम सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों या स्थानीय संसाधन समूहों का विकास करें।

3. ब्लॉक स्तर मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करें।

4. जीपीडीपी और एमजीएनआरईजीएस के लिए एक सामान्य राज्य संसाधन टीम बनाएं।

5. ब्लॉक स्तर पर समेकित हकदारी (एंटाइटेलमेंट) योजना को आवधिक सत्यापन और निगरानी के लिए एमआईएस पर अपलोड/दर्ज किया जाना चाहिए।

6. अच्छी तरह से विकसित आईईसी सामग्री की सहायता से एसएचजी नेताओं और ग्राम पंचायत नेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का संचालन करें।

7. एनआरएलएम पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों) को प्रशिक्षित करें और उन्हें एसएचजी के साथ मिलकर काम करने के कार्य के महत्व को समझाएं ।

8. बीएमएमयू साझेदारी गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी कर सकता है और समय–समय पर डीएमएमयू और एसएमएमयू को रिपोर्ट कर सकता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति रिपोर्ट की जांच कर सकती है और एसआरएलएम और पंचायती राज विभाग को सलाह दे सकती है।

राज्य सरकारों के अनुवर्ती कार्य :

1. साझेदारी को साकार करने के लिए राज्य विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं। यह सभी गहन/संसाधन खंडों में तुरंत कार्यान्वित किया जा सकता है। नए ब्लॉक जो एनआरएलएम के तहत लाए जाते हैं, गतिविधि शुरुआत से शुरू होनी चाहिए। जबकि एसएचजी की संस्था निर्माण ग्राम पंचायतों के साथ संबंध को सार्थक और सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए।

2. राज्य एनआरएलएम और/या राष्ट्रीय संसाधन संगठन के राष्ट्रीय मिशन यूनिट जैसे केरल के कुडुम्बश्री से तकनीकी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

3. राज्य जहां साझेदारी की कल्पना की गई है वहां संसाधन/गहन ब्लॉक में बीकन पंचायत विकसित कर सकते हैं। वे सीखने के लिए अन्य ग्राम पंचायतों और वीओ के अभ्यास के स्कूल के रूप में कार्य कर सकते हैं।

4. जीपीडीपी के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति को इस अभ्यास को समन्वयित करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि यह उपयुक्त रूप से एसआरएलएम को शामिल करता है।

वांछित परिणाम और उत्पाद :

1. वांछित उत्पाद :

ग्राम पंचायत–एसएचजी साझेदारी पहलों को स्पष्ट और मापनीय आउटपुट का कारण बनना चाहिए। आउटपुट की एक सूचक सूची निम्नलिखित है:

i. एसएचजी परिवारों और समुदायों की व्यक्तिगत हकदारी, सामुदायिक सेवाओं, सार्वजनिक सामान और सामाजिक सुरक्षा में बढ़ी हुई पहुंच।

उदाहरण के लिए: एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड, एमजीएनआरईजीएस काम और संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक पहुंच, स्कूलों और आंगनवाड़ी के उचित कामकाज, मध्यान्ह –भोजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और खाद्य अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता सुनिश्चित करने, टीकाकरण में वृद्धि, संक्रमणीय घटनाओं में कमी, रोग, आदि।

ii. साझेदारी प्लेटफॉर्म और सक्रिय सामुदायिक कार्यकर्ताओं के नियमित कार्य।

उदाहरण के लिए: कार्यकारी समितियों की नियमित बैठक और समितियों में एसएचजी सदस्यों की भागीदारी का स्तर, ग्राम पंचायत आदि के लिए सामुदायिक कैडर के रूप में काम कर रहे एसएचजी सदस्यों की संख्या।

iii. ग्रामसभा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और विभिन्न संस्थागत और विकास समितियों जैसे आंगनवाड़ी माताओं की समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, जल और स्वच्छता समितियां इत्यादि।

iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीबी न्यूनीकरण योजना, वीओ के साथ ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाए।

v. वितरण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी को सौंपी गई सेवा।

vi. सीआरपी के रूप में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या।

vii. ग्राम पंचायत द्वारा एसएचजी और उनके संघों को प्रदान की गई निधि।

2. परिणामः

मध्यम से दीर्घ कालिक कुछ परिणामों की अपेक्षा की जाती है। इसमें शामिल हैः

i. ग्राम पंचायत से स्थानीय आर्थिक विकास में वृद्धि, गरीबी और अंत्योदय में कमी।

ii. गरीबी के मुद्दों पर और समुदायिक संस्थानों के साथ काम करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की बढ़ी हुई क्षमता और संवेदनशीलता।

iii. साझेदारी गतिविधियों की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए संयुक्त संस्थागत प्लेटफॉर्म की सतत कार्यप्रणाली।

iv. स्थानीय सरकारों में निर्वाचित पदों सहित सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों तक पहुंच के लिए महिलाओं की वढ़ी क्षमता और आत्मविश्वास।

एनआरएलएम में
पीआरआई सीबीओ अभिसरण का औचित्य
पंचायत महिलाओं के संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं

दिनांक 08 मई 2015 को
नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/राज्य संघ क्षेत्रों के
पंचायती राज विभाग के
प्रधान सचिव/सचिव की बैठक में प्रस्तुति

पीआरआई सीबीओ अभिसरण का औचित्य

- गरीब केन्द्रित कार्यक्रमों तक पहुंच और दक्षता को बढ़ाना
- सामुदायिक संगठनों के साथ पंचायत द्वारा बेहतर आयोजना
-
- लोकतांत्रिक रूप से जागरूक समुदायों द्वारा स्थानीय सकार संस्थाओं का सशक्तिकरण और स्थायीकरण में मदद करना

केरल में कुदुम्बश्री मिशन के अनुभव के आधार पर

लक्ष्य

- एनआरएलएम के तहत एसएचजी के सदस्यों को प्राप्त विभिन्न अधिकारों और योजनाओं का लाभ
- स्थानीय स्व–शासन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ बनाना
- समाज, विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी पंचायती राज प्रणाली
- अभिसरण के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सामुदायिक संस्थानों और स्थानीय सरकारों के साथ काम करने के लिए सामुदायिक पेशेवरों के कैडर वकसित करने में सहायता करना

अभिसरण के लिए परिणाम फ्रेमवर्क

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शुरू की गई पीआरआई सीबीओ अभिसरण परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों का आकलन के लिए एनआरएलएम द्वारा कुदुम्बश्री के समर्थन से विकसित

1. **परियोजना गतिविधि परिणाम** — प्रमुख आउटपुट के संदर्भ में परिणामों को मापने के लिए
2. **शासन प्रक्रिया सुधार** — पीआरआई, ग्रामसभा और सीबीओ के कामकाज से संबंधित शासन प्रक्रिया की गई सुधार को मापने के लिए
3. **परिवार लाभ परिणाम** — गरीब परिवारों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा पर योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन से प्राप्त परिणामों को मापने के लिए

1. परियोजना गतिविधि परिणाम

विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के मौजूदा संभावना के आधार पर

1
परियोजना गतिविधि परिणाम

- प्रशिक्षित पीआरआई प्रतिनिधियों की संख्या और अनुपात
- प्रशिक्षित निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या और अनुपात
- प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों की संख्या और अनुपात
- प्रशिक्षित वीओ नेताओं की संख्या और अनुपात
- प्रशिक्षित एलआरजी सदस्यों की संख्या
- पायलेट परियोजना के अंत में सक्रिय एलआरजी सदस्यों का अनुपात
- नये गठित एसएचजी की संख्या
- पुनर्जीवित निष्क्रिय एसएचजी की संख्या
- नए गठित वीओ की संख्या
- पायलेट की प्रतिकृति के लिए एसआरएलएम द्वारा शुरू किये गए ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों की संख्या

2. अभिशासन प्रक्रिया में सुधार

सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए स्थानीय शासन संरचनाओं के आधार पर

1 अभिशासन प्रक्रिया में सुधार

राज्य नीति

राज्य सरकार को एनआरएलएम अभिसरण ढांचे के साथ अभिसरण के लिए नीति दिशानिर्देशों और परिचालन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।

ग्राम पंचायत

ऐसी उप समितियों में सीबीओ सदस्यों का समावेश और नियमित बैठक में उनकी उपस्थिति

ग्राम सभा

- ग्रामसभा उपस्थितियों (महिला सभा/पाली सभा, टोला सभा) के बीच महिला एसएचजी सदस्यों का अनुपात
- एजेंडा सामग्री की पूर्व तैयारी के साथ ग्रामसभा में आने वाले एसएचजी की संख्या
- ग्राम सभा की उपसमितियां की नियमित बैठकों की संख्या और ग्राम सभा में एजेंडा चर्चाओं में योगदान

सीबीओ स्तर की प्रक्रिया

- उनके नियमित बैठकों में हकदारी एजेंडा (जैसे एनआरईजीए) को शामिल करने वाले एसएचजी की संख्या
- ग्राम पंचायतों की संख्या जहां सीबीओ के लिए सह–टर्मिनस प्लेटफॉर्म–पीआरआई लिंकेज का गठन हुआ हो ।
- ग्राम पंचायतों की संख्या जहां सीबीओ के लिए सह–टर्मिनस प्लेटफार्म–पीआरआई लिंकेज बैठक नियमित रूप से होती है।

3. परिवार लाभ परिणाम (1/3)

प्रत्येक राज्य के संदर्भ के अनुसार सूचक सूची का अनुकूलन किया जाएगा।

3
परिवार
लाभ परिणाम

एनआरईजीएस

- जॉब कार्ड वाले एसएचजी परिवारों की संख्या
- एसएचजी परिवारों की संख्या जिन्होंने काम मांगा हो
- एसएचजी परिवारों की संख्या जिन्हें काम मिला हो
- एसएचजी परिवारों द्वारा प्राप्त कार्य दिवसों की औसत संख्या
- एसएचजी द्वारा मांगे गए कुल कार्यों के क्रियान्वित कार्यों की संख्या
- एसएचजी सदस्यों द्वारा मांगा गया बेरोजगारी भत्ता
- एसएचजी सदस्यों को भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता
- एमजीएनआरजीएस श्रमिकों के बीच महिलाओं का अनुपात
- योजना में मांगी गई सामुदायिक संपत्ति और योजना में शामिल संपत्ति जो एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन के माध्यम से बनाई गई।

3. परिवार लाभ परिणाम (2/3)

प्रत्येक राज्य के संदर्भ के अनुसार सूचक सूची का अनुकूलन किया जाएगा

3
परिवार
लाभ परिणाम

एनबीए

- आईएचएचएल बनाने वाले एसएचजी परिवारों की संख्या
- एनबीए के तहत निर्मित आईएचएचएल का उपयोग करने वाले एसएचजी परिवारों की संख्या
- एनबीए के तहत निर्मित आंगनवाड़ी और स्कूल शौचालयों की संख्या
- सामुदायिक शौचालय – निर्मित, उपयोग और प्रबंधित

सामाजिक सुरक्षा

- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं (एनएसएपी, आरएसबीवाई इत्यादि) के तहत लाभ प्राप्त करने योग्य पात्र एसएचजी महिलाओं/परिवारों की संख्या

3. परिवार लाभ परिणाम (3/3)

प्रत्येक राज्य के संदर्भ के अनुसार सूचक सूची का अनुकूलन किया जाएगा

3

परिवार
लाभ परिणाम

आईसीडीएस

- आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने वाले दिनों की संख्या और भोजन प्रदान किया गया
- आंगनवाड़ी केंद्रों और वास्तविक उपस्थिति में पात्र शिशुओं/बच्चों के नामांकन
- आंगनवाड़ी की संख्या जहां एसएचजी द्वारा परिचालन की निगरानी की जाती है
- पात्र एसएचजी महिलाओं/परिवार के सदस्यों की संख्या जो आईएफए टैबलेट प्राप्त कर रहे हैं
- टीकाकरण के तहत कवर पात्र शिशुओं की संख्या

अभिसरण परियोजना चरण (1/2)

अभिसरण परियोजना चरण (1/2)

राज्यों को कुदुम्बश्री एनआरओ समर्थन

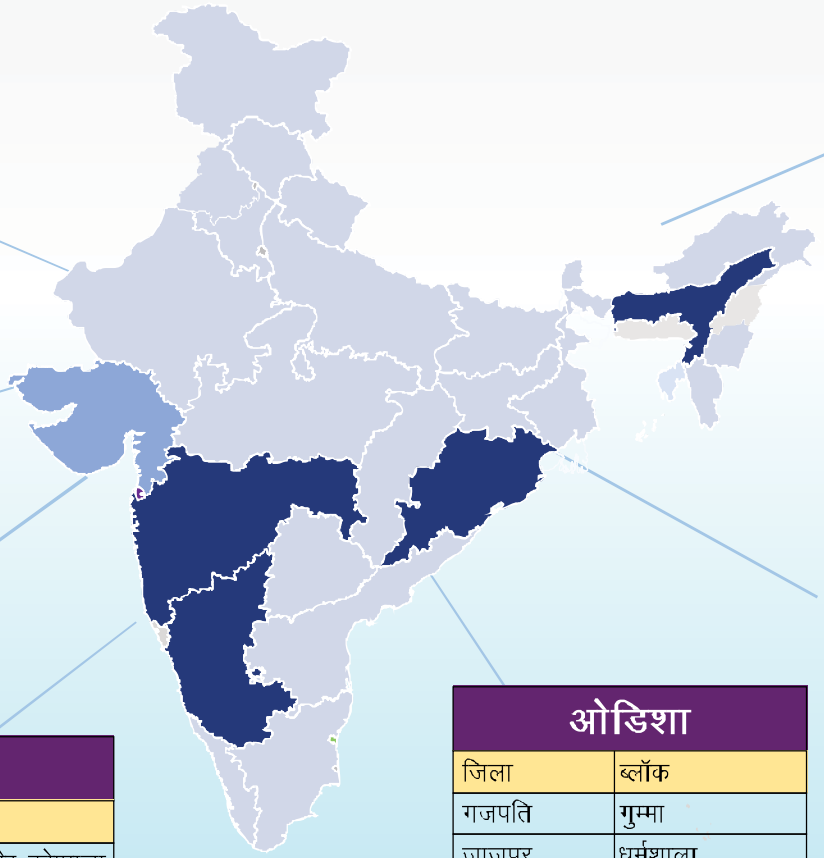

राजस्थान	
जिला	ब्लॉक
भिलवारा	असिंद
कोटा	संगोड
उदयपुर	खेरवार

गुजरात	
जिला	ब्लॉक
पाटन	समी
नर्मदा	सगबारा

महाराष्ट्र	
जिला	ब्लॉक
सोलापुर	मोहोल
थाने	शाहपुर
वर्धा	देवली

कर्नाटक	
जिला	ब्लॉक
कोप्पल	गंगावथी और कोप्पाला
तुमकुर	गुब्बी और पावगडा

असम	
जिला	ब्लॉक
मोरीगांव	लाहोरीघाट
नगांव	बाजिगांव

झारखंड	
जिला	ब्लॉक
पूर्व सिंहभूम	घाटशिला
रांची	वुंडु , अंगेरा
पश्चिम सिंहभूम	खुंटपानी, मनोहरपुर
पाकुर	पकुरिया

ओडिशा	
जिला	ब्लॉक
गजपति	गुम्मा
जाजपुर	धर्मशाला
मलकानगिरी	मलकानगिरी
सुंदरगढ़	बालिशंकरा

राज्य के विभागों से समर्थन

- **पायलेट ब्लॉक में परियोजना के लिए सकल मार्गदर्शन और समर्थन**
  - ब्लॉक स्तर के कर्मियों की भागीदारी के लिए निर्देश जारी करना
  - ग्रामसभा में एसएचजी और संघों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश जारी करना
  - सीबीओ संरचना के साथ योजना और निगरानी के एकीकरण के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की उप समितियों का गठन
- **एसआईआरडी की प्रशिक्षण योजनाओं के साथ अभिसरण**
  - पीआरआई–सीबीओ अभिसरण को पीआरआई प्रतिनिधियों और कर्मियों के प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल करना
  - उचित स्तर पर संसाधन व्यक्तियों के रूप में परियोजना से प्रशिक्षित कैडर का उपयोग।

आजीविका
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

कुदुम्बश्री
केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन

कुदुम्बश्री – एनआरओ, III मंजिल, कार्मेल टावर कोट्टन हिल,
वज्झुथकौड पीओ तिरुअनंतपुरम, केरल, भारत–695014
keralanro@gmail-com

मिशन अंत्योदय पर नोट

भारत में वर्ष 2011 की शहरी सामाजिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार बहु–आयामी वंचितों जैसे भूमिहीनता, एकल महिलाओं वाले परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार या परिवार में विकलांग सदस्य के रूप में 8.88 करोड़ परिवार वंचित पाए गए है। इन परिवारों के लिए मजदूरी रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका निर्माण जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा ग्रामीण मजदूरी, ग्रामीण सड़कों, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, पर्यावरण आदि के क्षेत्र की योजनाओं पर ग्रामीण गरीबों के जीवन को प्रभावित करने के लिए पहले से ही चार लाख करोड़ रुपये की वार्षिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया गया है।

इस संदर्भ में, 'मिशन अंत्योदय', ग्राम पंचायत के साथ सरकार के हस्तक्षेपों को एक बुनियादी इकाई के रूप में संसाधनों को अभिसारित करके एक संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन कर, मानव और वित्तीय – निरंतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने का प्रयास करता है। यह 1,000 दिनों में 50,000 ग्राम पंचायतों सहित 5000 ग्रामीण समूहों में 1,00,00,000 परिवारों के जीवन स्तर में मापनीय परिणामों के आधार पर ग्रामीण परिवर्तन की एक राज्य–नेतृत्व पहल है।

'मिशन अंत्योदय' ने ग्रामीण आजीविका में बदलाव में और तेजी लाने के लिए पेशेवरों, संस्थाओं और उपक्रमों के नेटवर्क के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सामाजिक संघटन के लिए उनकी सिद्ध क्षमता के कारण अभिसरण दृष्टिकोण से समर्थक हो सकते हैं। यह जोर केवल भौतिक आधारभूत संरचना पर ही नहीं है बल्कि सामाजिक संरचनाओं पर भी कृषि, बागवानी, पशुपालन गतिविधियों को मजबूत करने के साथ अंत्योदय समूहों में एसएचजी विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय और सामाजिक लेखा– परीक्षा की क्षमता भी जमीनी स्तर पर बनाई जाएगी। यह ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता टीमों, क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) और पेशेवरों के अभिसरण द्वारा पूरा किया जाएगा। क्लस्टर सुविधा टीम भी ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार, 'मिशन अंत्योदय', अभिसरण, जवाबदेही और मापने योग्य परिणामों के आधार पर, एसईसीसी, 2011 पर आधारित हर वंचित परिवार के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने में संसाधन प्रभावी रूप से प्रबंधित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए है।

यह रूपरेखा एसईसीसी के अनुसार सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। एक सामान्य स्थानीय गवर्नेंस डायरेक्ट्री (एलजीडी) कोड का उपयोग करते हुए योजनाओं की तिथि आधारित एक मजबूत एमआईएस द्वारा समर्थित, बेसलाइन की तुलना में प्रगति को मापने के लिए निर्धारित परिभाषित संकेतक के सेट के अनुसार शुरू से अंत तक तय किए गए लक्ष्यों को सुनिश्चित करना संभव हो पाएगा। ऐसे संकेतकों और समय–समय पर सुधार की आवधिक निगरानी से परिवारों को विकास प्रक्षेपवक्र/पथ की दहलीज स्तर तक ले जाने की उम्मीद है। केन्द्र और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और मंत्रालय अपने विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से इस मिशन में भाग लेंगे। विभिन्न योजनाओं का डेटा भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को साझा किया जाएगा , जिसे पूर्ण पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

पंचायत प्रतिनिधियों, एसएचजी, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, स्टार्ट–अप और युवा सीईओ के साथ–साथ क्षेत्रीय दौरे के साथ 'मिशन अंत्योदय' की रूपरेखा पर व्यापक विचार–विमर्श का आयोजन किया गया। इन सभी प्रयासों को 10 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में अंतिम रूप दिया गया जिसमें 'मिशन अंत्योदय' के लिए विषयगत सुझाव दिए गए थे। आईआरएमए द्वारा इन परामर्शों, अनुभवों, फील्ड दौरों के आधार पर किया गया अध्ययन जो दर्शाता है कि अभिसरण गरीबी कम कर देता है और परिवारों की आय बढ़ाता है। रूपरेखा 'मिशन अंत्योदय' को कार्यान्वित करने के रोडमैप को इंगित करती है।

राज्यों ने 'मिशन अंत्योदय' के तहत ग्राम पंचायतों/क्लस्टर का चयन किया है जो ओडीएफ, अपराध/विवाद मुक्त ग्राम पंचायत, पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत या डीएवाई एनआरएलएम, मिशन जल संरक्षण, एसएजीवाई/रूर्बन क्लस्टर या विशिष्ट लक्षित ग्राम पंचायत जैसी योजनाओं में शामिल हों। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतें देश के पिछड़े जिलों की भी हैं।

'मिशन अंत्योदय' से सभी हितधारकों के अभिसरण और संबंधित कार्यों के माध्यम से भाग लेने वाली ग्राम पंचायत की आंतरिक क्षमता को सामने लाने की उम्मीद है जिससे ये ग्राम पंचायत विकास के कई यथार्थवादी दौर चला पाने में सक्षम हो सकेंगी।

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए एक्सपोजर विज़िट आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश

एक्सपोजर विज़िट पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीखने के सबसे प्रभावी और प्रेरणादायक तरीकों में से एक मानी गई है। इन यात्राओं के दौरान उन्हें स्वयं अन्य पंचायतों द्वारा किए गए अच्छे काम का पहला अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है। यह सीख मिलती है कि प्रक्रियाधीन इन पंचायतों के सामने आने वाली चुनौतियां कौन सी थी और उन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया। अनुभवों के आदान–प्रदान के माध्यम से सीखने की यह प्रक्रिया मेजबान और आने वाले प्रतिभागियों दोनों के लिए एक उत्कृष्ट व्यावहारिक सहकर्मी शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार, बाहरी राज्य के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं वाली पंचायतों की यात्रा व्यावहारिक एक्सपोजर पर जानकारी प्रदान करती है और 'देखकर विश्वास करने' के रूप में प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देती है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचा (एनसीबीएफ) ने एक्सपोजर विजिट को पीआरआई की क्षमता निर्माण के एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में विशेष रूप से उजागर किया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में पंचायती राज मंत्रालय की मौजूदा योजना को पुनः स्थापित करने के लिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति ने पीआरआई सदस्यों द्वारा की जाने वाली एक्सपोजर यात्राओं में और अधिक वृद्धि करने की भी सिफारिश की है।

एक्सपोजर विज़िट संसाधन गहन हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्सपोजर विज़िट की उचित योजना बनाई जाए और निष्पादित की जाए। एक अनुवर्ती तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि यात्रा के दौरान ली गई शिक्षाओं को समेकित किया जाए, और प्रतिभागियों द्वारा स्थानीय समस्याओं का निराकरण एक अभिनव ढंग से करने के लिए उनका उपयोग किया जाए। तदनुसार, पीआरआई के लिए एक्सपोजर विज़िट आयोजित करने हेतु एक ढांचा नीचे दिया गया है:

1. प्रारंभिक चरणः

I. एक्सपोजर विज़िट स्थल या पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की पहचान

- एक्सपोजर विज़िट से अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए, विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर अच्छी प्रथाओं वाली पंचायतों या बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जहां दौरों का आयोजन किया जाएगा। राज्यों के भीतर और बाहर की पंचायतों की पहचान की जा सकती है। कार्य क्षेत्रों में निम्न शामिल हो सकते हैंः

  - प्रमुख संस्थागत कार्य जैसे नियमित पंचायत बैठकें, स्थायी समितियों के क्रियाकलाप, सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी, प्रभावी ग्राम सभा बैठकें, राजस्व संग्रह की उच्च प्रतिशतता, अद्यतित खाते और अभिलेखों का रखरखाव, बुनियादी नागरिक सेवाओं जैसे कि पेयजल, स्वच्छता इत्यादि के प्रावधान और रखरखाव।

  - क्षेत्रों/कार्यक्रमों के बीच विषयगत उत्कृष्टता को राज्य/पंचायतों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे जल संरक्षण, स्वच्छता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका प्रोन्नति, पंचायत–स्व–सहायता समूह (एसजीएच) अभिसरण, गरीबी उन्मूलन, ई–शासन या स्मार्ट पंचायतें, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, कमजोर समूहों को शामिल करना, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता इत्यादि से जोड़ा गया है ताकि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूरा किया जा सके।

  - अच्छी प्रथाओं वाली पंचायतों की पहचान करते समय, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जा सकता हैः

    - पंचायत द्वारा पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए।
    - प्रभावी कामकाज या सेवाओं की प्रदायगी (प्रणाली, पहुंच, गुणवत्ता, वहनीयता आदि) में सकारात्मक प्रभाव।
    - कैसे पंचायत ने सर्वोत्तम प्रथाओं/नवाचारों को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों का एकत्रण/ प्रबंधन किया।
    - स्थिरता पहलू।

- मौजूदा सम्मानित पंचायतों की राज्य द्वारा वर्तमान स्थिति पर सत्यापन के अधीन एक्सपोजर विज़िट के लिए साइट के रूप में पहचान की जा सकती है। इसके अलावा, राज्य अन्य पंचायतों की पहचान भी कर सकते हैं जिन्होंने सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कम नकदी/नकद रहित पहलों के तहत अनुकरणीय काम किया है। राज्य ऐसे पंचायतों की पहचान के लिए संगत पैरामीटर भी विकसित कर सकते हैं। राज्य एमओपीआर के यूट्यूब चैनल पर प्रासंगिक संकेतक अपलोड किए गए विभिन्न राज्यों की अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों पर लघु वीडियो क्लिप देख सकते हैं ताकि एक्सपोजर विज़िट के लिए संभावित पंचायतों की पहचान हो सके।

- राज्यों को मुख्य चयनित पंचायतों का फील्ड सत्यापन करना चाहिए ताकि एक्सपोजर विज़िट या सम्मेलन स्थल के लिए उनका चयन करने से पहले प्रतिकृति योग्य प्रथाओं की पुष्टि हो सके।

- **पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी):** राज्य भर में चर्चित सफल कहानियों की अच्छी प्रथाओं वाली ऐसी पंचायतों की सूची बनाई जा सकती है। इन पंचायतों को जिला या ब्लॉक स्थलों के रूप में कार्य करने के लिए (पीएलसी) पंचायत लर्निंग सेंटर के तौर पर विकसित किया जा सकता है। पीएलसी के ऐसे एक्सपोजर विज़िट स्थल राज्य के प्रत्येक जिले में विकसित किए जाने चाहिए। ताकि अंतःजिला एक्सपोजर दौरे भी आयोजित किए जा सकें। इन पीएलसी में अन्य पंचायतों के लिए नियमित एक्सपोजर दौरे आयोजित किए जा सकते हैं।

- इन पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) (प्रोफाइल, रिपोर्ट, लघु फिल्म इत्यादि) द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और दौरा करने वाली पंचायतों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इन अच्छी प्रथाओं पर लघु फिल्में भी तैयार की जानी चाहिए और हस्त संचालित प्रोजेक्टरों का उपयोग करके राज्यों की अन्य पंचायतों को दिखाया जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए इन्हें पंचायती राज मंत्रालय के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि अन्य राज्य इन पंचायतों का दौरा कर सकें।

- एक्सपोजर विज़िट के लिए स्थलों का चयन करते समय, भौगोलिक स्थान, आकार और पंचायतों की आबादी, अंतरण की स्थिति, विषयगत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने जैसी समानताओं पर विचार किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सीखने की प्रतिकृति बेहतर होगी। उदाहरण के लिए, एक्सपोजर विज़िट के लिए अन्य राज्यों का चयन करने से पहले, पर्वतीय राज्यों को पर्वतीय इलाके, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों की समान चुनौतियों वाले राज्यों की पंचायतों पर विचार करना चाहिए।

ii. एक्सपोजर विज़िट के लिए पंचायतों / प्रतिभागियों का चयनः

बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) और पंचायतों के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम कवरेज और एक्सपोजर दौरों के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। इसलिए, राज्य एक्सपोजर दौरों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं का चयन करने के लिए अपना मानदंड विकसित कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जा सकता है:–

- अपने जिला / राज्य के भीतर और बाहर एक्सपोजर दौरों के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन करने वाली आकांक्षी पंचायतों को प्रोत्साहन देना।
- संभावित अच्छा प्रदर्शन करने योग्य योग्य पंचायतों को राज्य / जिला / ब्लॉक के भीतर अच्छा प्रदर्शन करने वाला पंचायतों में एक्सपोजर दौरों के माध्यम से प्रेरित करना।
- मिशन अंत्योदय के तहत पहचाने गए ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का चयन करना।
- देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों से ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का चयन करना।
- ऐसी पंचायतों में एक्सपोजर विज़िट जो क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य (विषयगत चैंपियन) कर रही हैं।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतें भी जिला / राज्य के भीतर और राज्य के बाहर अपनी शिक्षा और परामर्श साझा करने के लिए उन पंचायतों में भेजी जा सकती हैं जो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।
- मांग आधारित एक्सपोजर दौरों को आकांक्षी और अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने के एक तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है। पंचायतों से उन विषयगत क्षेत्रों और समय अवधि का चयन करने के लिए कहा जा सकता है जिसमें वे एक्सपोजर दौरे करना चाहती हैं। तदनुसार, राज्य उन विषयगत क्षेत्रों पर एक्सपोजर दौरा स्थल का चयन कर सकता है और एक्सपोजर दौरा आयोजित कर सकता है।
- ग्राम पंचायत अध्यक्ष (सरपंच), उपाध्यक्ष (उप–सरपंच), स्थायी / उप समितियों के अध्यक्ष, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन– जाति सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- एक्सपोजर दौरों के अवसर नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके चयन के 6 महीने के भीतर दिए जाने चाहिए।

- एक्सपोजर दौरों के लिए बार–बार उन्हीं लोगों को चयन नहीं करना चाहिए।
- एक्सपोजर दौरों के बारे में जानकारी पीआरआई को दी जानी चाहिए और पीआरआई को प्राथमिकता देने के लिए उनकी इच्छा और समय अवधि पर विचार किया जा सकता है। अगर सही कारणवश वे चूक जाते हैं तो इच्छुक पीआरआई को दूसरे कार्यक्रम में मौका दिया जा सकता है।

iii. एक्सपोजर दौरों की अवधि

सीमा और स्थान (राज्य/जिले के भीतर/बाहर) के आधार पर, एक एक्सपोजर दौरा निम्न प्रकार का हो सकता है:

- तीन से पांच दिन का 'स्टैंडअलोन' एक्सपोजर दौरा कार्यक्रम (राज्य/जिले के बाहर)
- जिला/ब्लॉक के भीतर एक से दो दिन का स्थलीय दौरा कार्यक्रम
- औपचारिक संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रारंभिक/अभिमुखी और अनुवर्ती पुनश्चर्या प्रशिक्षण के दौरान) के रूप में एक दिन–आधा दिन का एक्सपोजर दौरा।

iv. दिशानिर्देश तैयार करना/करें और न करें

राज्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के लिए करने योग्य और न करने योग्य बातों सहित एक्सपोजर विज़िट के आयोजन पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

v. पीआरआई प्रशिक्षण कैलेंडर के एक भाग के रूप में नियोजित एक्सपोजर विज़िट का कैलेंडर

- आरजीएसए के तहत योजनाबद्ध एक्सपोजर दौरे पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य क्षमता निर्माण योजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
- राज्य (एसआईआरडी) द्वारा पीआरआई के लिए तैयार प्रशिक्षण कैलेंडर में एक्सपोजर दौरों का अनंतिम कार्यक्रम भी शामिल किया जाना चाहिए। दौरे पूरे साल किए जा सकते हैं और मौसम के कारकों (मानसून, विषम मौसम की स्थिति) को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा सकती है।

vi. रहने की व्यवस्था, दौरा करने वाले राज्य/जिला/पंचायत आदि के साथ पत्राचार

- एक टीम के लिए एक्सपोजर विज़िट आयोजित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करने की आवश्यकता होती है। रहने की व्यवस्था में गंतव्य राज्य/जिला/पंचायत नोडल व्यक्ति के साथ यात्रा, बोर्डिंग, आवास, संचार शामिल हो सकते हैं। इन सभी को पहले से ही योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है और जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग/एसआईआरडी/पंचायत प्रशिक्षण संस्थान (पीटीआई)/केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई)/राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी)/जिला पंचायत संसाधन केंद्र(डीपीआरसी) या राज्य द्वारा चयनित ऐसी किसी अन्य संस्था के नोडल आधिकारी/अधिकारी को दी जा सकती है। व्यवस्थाओं की सूचना प्रतिभागियों को पहले से ही दे दी जानी चाहिए।
- यात्रा शुरू करने से पहले प्रतिभागियों के लिए एक उचित ब्रीफिंग आयोजित की जा सकती है। पंचायत द्वारा की गई अच्छी प्रथाओं के विवरण सहित पंचायतों की प्रोफाइल प्रतिभागियों के साथ साझा की जानी चाहिए। बेहतर सीखने के परिणाम के लिए प्रतिभागियों को उन स्थानों से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दी जानी चाहिए, जिन बातों को देखा जा सके/मुद्दों को समझा/देखा जा सके।
- सीखने के लिए समय बढ़ाने के लिए जितना संभव हो सके यात्रा समय को कम रखने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। स्थलों और यात्रा योजना का चयन तदनुसार किया जाना चाहिए।

2. एक्सपोजर विज़िट के दौरान गतिविधियां

i. एक्सपोजर दौरा कार्यक्रम में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

- पंचायत की राज्य प्रोफ़ाइल में पंचायतों की स्थिति पर औपचारिक ब्रीफिंग/प्रस्तुति, संस्थागत कार्य/सेवा प्रदायगी/विशेष विषयगत क्षेत्र, नवाचारों आदि पर पंचायत द्वारा किए गए कार्य।
- पीआरआई सदस्यों, कर्मियों, लाभार्थियों आदि के साथ बातचीत जो अनुभव साझा कर सकते हैं, हो रहे परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, और समझा सकते हैं कि उन्होंने चुनौतियों का समाधान कैसे किया।
- क्षेत्र/स्थल दौरे
- दौरा करने वाले दल द्वारा अनुभव को साझा करना ताकि मेजबान सहकर्मी भी परस्पर सीखने से भी लाभ उठा सकें।
- संरचित व्याख्यान।

ii. बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए एक्सपोजर दौरे के दौरान अच्छे अभ्यास/नवाचारों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों का पालन करने के लिए दौरा दल को प्रोत्साहित किया जा सकता है:

- सेवाओं की प्रदायगी (प्रणाली, पहुंच, गुणवत्ता, वहनीयता आदि) में किए गए सुधार।
- पंचायत ने नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों को कैसे एकत्रित किया।
- स्थिरता पहलू।
- उनके स्थानीय संदर्भ के संबंध में प्रतिकृति।
- प्रमुख संबंधित व्यक्तियों (निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों, सीबीओ इत्यादि) के साथ बातचीत, जिन्होंने इस पहल में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

iii. मेजबान स्थलों या पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) के मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए नियमित आधार पर हर समय प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध रहना संभव नहीं होगा। एसआईआरडी या पंचायतें/पीएलसी क्षेत्रीय दौरों के समन्वय के लिए संबंधित कर्मियों या ग्राम पंचायतों निर्वाचित प्रतिनिधियों को नामित कर सकते हैं। एक्सपोजर दौरे के लिए प्रत्येक दल के पास सरकार से समन्वयक होना चाहिए। इन समन्वयकों की मुख्य भूमिका निम्न होगी:

- क्षेत्रीय दौरों का समन्वय, प्रस्तुति, और चर्चाओं के दौरान इनपुट प्रदान करना।
- रहने–खाने की व्यवस्था हेतु प्रशिक्षुओं की मदद करना।

3. एक्सपोजर दौरे के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी उपाय

i. **फीडबैकः** अपने क्षेत्रों में शिक्षाओं की प्रतिकृतिशीलता और मुख्य अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों से औपचारिक प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। ये प्रतिक्रियाएं राज्य, एसआईआरडी और पीआर और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।

ii. **अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानीः** एक बार क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, क्षेत्रीय दौरे की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए एसआईआरडी और पीआर/पंचायत प्रशिक्षण केंद्र द्वारा एक डी–ब्रीफिंग की जा सकती है। प्रमुख शिक्षाओं को लागू करने के लिए एक प्रारंभिक कार्य योजना इन पंचायतों द्वारा विकसित की जा सकती है जिन्होंने क्षेत्रीय दौरा करने वाली पंचायतों को अच्छे अभ्यासों से प्रेरित होकर अपने स्वयं के मॉडल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और निकटतम सहायता प्रदान करके समर्थन दिया जाना चाहिए। इन पंचायतों में काम की प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए।

iii. एक्सपोजर दौरा स्थलों या पीएलसी से प्रशिक्षु पंचायत द्वारा किए गए दौरों का अद्यतित रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा की जाती है। पीएलसी या एक्सपोजर दौरा स्थलों की गुणवत्ता की समय–समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

iv. एक्सपोजर दौरों के विवरण राज्यों और पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। विस्तृत प्रसार के लिए व्हाट्सएप समूहों पर भी एक्सपोजर दौरों की तस्वीरें, वीडियो और प्रमुख शिक्षाएं साझा की जा सकती है। एक्सपोजर दौरों के वीडियो पोर्टेबल सस्ते हस्त संचालित प्रोजेक्टरों का उपयोग करके अन्य पंचायतों को दिखाए जा सकते हैं।

4. संस्थागत व्यवस्थाएं

i. **राज्यों/एसआईआरडी और पीआर/पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों या संबंधित राज्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकाः**

- एक्सपोजर दौरा स्थलों की पहचान करना। राज्य अन्य राज्यों में एक्सपोजर दौरों के लिए पीएलसी की पहचान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक रूप से समन्वय कर सकते हैं तथा इस सूची को पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझा कर सकते हैं।

- अच्छी प्रथाओं और एक्सपोजर दौरा स्थलों की सूची का निर्माण और ऐसे स्थलों के विस्तृत दस्तावेज़। पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में एक्सपोजर दौरा स्थलों के और अधिक विकास के लिए निकटतम सहायता।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य सीबी योजना के रूप में एक्सपोजर दौरा कैलेंडर तैयार करना।
- एक्सपोजर दौरों के लिए पंचायतों/प्रतिभागियों की पहचान करना।
- दिशानिर्देश—करें और न करें तैयार करना।
- क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम विकसित करना , समन्वय और क्षेत्रीय दौरे निष्पादित करना।
- दस्तावेज़ीकरण और अनुवर्ती उपाय।

ii. एक्सपोजर दौरों के लिए संसाधन

- राज्य एक्सपोजर दौरों के वित्तपोषण के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं द्वारा उपलब्ध संभावित संसाधनों का पता लगा सकता है।
- राज्य द्वारा आरजीएसए लागत मानदंडों के अनुरूप सीबी योजना के एक हिस्से के रूप में एक्सपोजर दौरों का प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

iii. पंचायतों के कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा और जिला और ब्लॉक स्तर पर अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए समांतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत किया जा सकता है।

*****

पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक्सपोजर दौरे आयोजित करने हेतु संक्षिप्त ढांचा

प्रारंभिक चरण	एक्सपोजर दौरे के दौरान	अनुवर्ती उपाय
➢ एक्सपोजर दौरा स्थलों की पहचान (राज्य के भीतर और बाहर के लिए)। ➢ अच्छी प्रथाओं और एक्सपोजर दौरा स्थलों की सूची का निर्माण और इसे पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझा करना। ➢ एक्सपोजर दौरों के लिए पंचायतों / प्रतिभागियों की पहचान। ➢ दिशानिर्देश / करें और न करें तैयार करना। ➢ एक्सपोजर दौरों के लिए कैलेंडर या कार्यक्रम तैयार करना और संसाधनों को एकत्रित करना।	➢ संस्थागत कामकाज / सेवा वितरण / विशेष विषयगत क्षेत्र, नवाचार आदि पर **औपचारिक ब्रीफिंग** / प्रस्तुति। ➢ उन **पीआरआई सदस्यों, कर्मियों, लाभार्थियों आदि के साथ बातचीत** जो अनुभव साझा कर सकते हैं ➢ **क्षेत्र/स्थल दौरा** ➢ दौरा करने वाले दल द्वारा **अनुभव साझा करना** ताकि मेजबान सहकर्मी द्वारा सीखने से भी लाभ उठा सकें	➢ प्रमुख शिक्षाओं और अपने क्षेत्रों में शिक्षाओं की प्रतिकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए आने वाले प्रतिभागियों से **प्रतिक्रिया** लेनी चाहिए। ➢ **अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी:** क्षेत्रीय दौरों की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए एसआईआरडी और पीआर द्वारा एक डी-ब्रीफिंग की जा सकती है। प्रमुख शिक्षाओं को लागू करने के लिए एक प्रारंभिक कार्य योजना उन पंचायतों द्वारा विकसित की जा सकती है जिन्होंने क्षेत्रीय दौरों में भाग लिया है।

प्रारंभिक चरण	एक्सपोजर दौरे के दौरान	अनुवर्ती उपाय
➢ क्षेत्र दौरा कार्यक्रम विकसित करना, समन्वय करना और क्षेत्र दौरे आयोजित करना। ➢ पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में एक्सपोजर दौरा स्थलों का विकास।	➢ **बातचीत बंद करना** ➢ दौरा करने वाले दल को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है: • सेवाओं के वितरण (प्रणाली, पहुंच, गुणवत्ता, वहनीयता आदि) पर प्रभाव। • पंचायत ने नवाचार को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया है। • स्थिरता पहलू • उनके स्थानीय संदर्भ के संबंध में प्रतिकृति।	क्षेत्रीय दौरे करने वाली पंचायतों को अच्छे अभ्यासों से प्रेरित होकर अपने स्वयं के मॉडल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और निकटस्थ सहयोग के माध्यम से और अधिक सहयोग दिया जाना चाहिए। इन पंचायतों में काम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित निगरानी भी की जानी चाहिए। ➢ एक्सपोजर दौरा स्थलों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षु पंचायतों द्वारा किए गए दौरों का रिकॉर्ड रखें। ➢ पीएलसी या एक्सपोजर दौरा स्थलों की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।

अनुबंध V

पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) पर संक्षिप्त नोट

1. यह देखा गया है कि बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों के एक्सपोजर दौरे पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए सीखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इन दौरों के दौरान वे स्वयं अन्य पंचायतों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, उनके सामने आई चुनौतियों और उन चुनौतियों से निपटने के लिए खोजे गए तरीकों का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह के एक्सपोजर दौरों को बढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए एक्सपोजर दौरे आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए और इसे 2017 में इसे राज्यों के साथ साझा किया है।

   पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) के रूप में इस प्रकार की बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले पंचायतों (पुरस्कार विजेता और अन्य बीकन पंचायतें) को प्रणालीबद्ध रूप से विकसित करके ऐसे एक्सपोजर दौरों से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के एक्सपोजर दौरे को व्यवस्थित तरीके सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से पंचायत कार्यों में उत्कृष्टता हेतु कार्यात्मक प्रदर्शन/सम्मेलन स्थलों को विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। पीएलसी ऐसे स्थल हो सकते हैं जहां निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वोत्तम प्रथाओं को देख सकें, उन अग्रणी व्यक्तियो से बातचीत कर सकें जिन्होंने उन्हें सुविधाजनक बनाया है, रणनीतियों को समझ सकें और अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकें।

2. **पीएलसी का चयनः**

   पीएलसी की पहचान निम्न पूल से की जा सकती हैः

   - मौजूदा पंचायत जिन्हें **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)** या **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी)** या **ई–पंचायत पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, राज्य उन पंचायतों की पहचान भी कर सकते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है लेकिन किन्हीं कारणवश पुरस्कार प्रक्रिया से बाहर रह गई हैं।

3. चयन के लिए मानदंडः

- पीएलसी का चयन नियमित बैठकों, स्थायी समितियों के कार्य कलापों, ग्राम सभा की बैठकों, विकास योजना तैयार करने, राजस्व संग्रह के उच्च प्रतिशत, अपरिवर्तित खातों और अभिलेखों के रख–रखाव, अनिवार्य स्वैच्छिक खुलासे के रुप में अनिवार्यता, बुनियादी नागरिक सेवाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता इत्यादि प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, दुर्बल वर्गों, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता इत्यादि जैसे एसडीजी से जुड़े क्षेत्रों के एक समूह की विषयगत उत्कृष्टता पर भी विचार किया जा सकता है।

4. संस्थागत व्यवस्थाएँ

- प्रत्येक पीएलसी को उस राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) या राज्य के अन्य नोडल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा परामर्श/समर्थन दिया जाएगा जिसमें यह स्थित है। विशेष रूप से, मंत्रालय एसआईआरडी के भीतर राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करता है। एसपीआरसी सक्रिय रूप से पीएलसी और उनके कार्यक्रमों का प्रबंधन कर सकते हैं। एसआईआरडी/एसपीआरसी निम्न के लिए ज़िम्मेदार होगाः

  ✓ पहचानी गई मॉडल पंचायतों को एक प्रेरणादायक ज्ञान केंद्र अर्थात् पीएलसी बनने के लिए सुदृढ़ करना।

  ✓ चैंपियनों की पहचान करना (वे लोग जिन्होंने पंचायत को अनुकरणीय काम करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है) और पीआरआई के प्रशिक्षण में उनका उपयोग करना।

  ✓ उपयुक्त क्षेत्र दौरा कार्यक्रम/प्रोटोकॉल का प्रारूप तैयार करना।

- ✓ राज्य के भीतर और बाहर से प्रशिक्षुओं की आने वाली टीमों के लिए एक्सपोजर दौरे को समन्वयित करना।

- इसके अतिरिक्त, चूंकि मौजूदा निर्वाचित प्रतिनिधियों और पीएलसी के कर्मियों के लिए प्रशिक्षुओं हेतु हर समय उपलब्ध रहना संभव नहीं हो सकता है, पीएलसी को 'दौरा समन्वयक / स्वयंसेवकों की पहचान करने की अनुमति दी जा सकती है, जो प्रशिक्षुओं के क्षेत्रीय दौरे का समन्वय करेंगे। ऐसे क्षेत्र दौरा समन्वयक सेवानिवृत्त अधिकारी, पूर्व पंचायत सदस्य या अन्य संसाधन व्यक्ति हो सकते हैं।

क्षेत्र दौरा समन्वयक की मुख्य भूमिका निम्नवत होगी:

- ✓ क्षेत्र दौरों को समन्वयित करें, और संबंधित पंचायतों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं और परियोजनाओं पर जानकारी प्रदान करें।

- ✓ पीएलसी में किए गए एक्सपोजर दौरे के समय प्रशिक्षुओं की रहने–खाने की व्यवस्था करने में सहायता करें।

इसके अतिरिक्त, चयनित पंचायतों को अपने सुदृढ़ क्षेत्रों को और विकसित करने में सहायता दी जा सकती है। वास्तव में, चयनित पंचायतों को उत्कृष्टता के अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और समृद्ध शिक्षा स्थल बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन पंचायतों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और निकटतम सहयोग की आवश्यकता होगी।

निगरानी और पर्यवेक्षण

एसआईआरडी / एसपीआरसी के माध्यम से पीएलसी की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित की जा सकती है। पीएलसी से प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए दौरों का रिकॉर्ड अद्यतित रखने की अपेक्षा की जाती है। कुछ सीमा तक, पीएलसी की गुणवत्ता उनकी लोकप्रियता से स्पष्ट हो जाएगी। पीएलसी जो समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उनकी मांग अधिक होगी । पंचायती राज मंत्रालय हर साल ऐसे पीएलसी का आकलन करने और सुधार के लिए इनपुट प्रदान करने हेतु एक टीम भी भेज सकता है।

वित्त पोषण :

ऐसे एक्सपोजर दौरों की मेजबानी के लिए आरजीएसए लागत मानदंडों के अनुसार पीएलसी को सहायता दी जाएगी।

24910/2018/AR-DARPG

नीति आयोग
115 आकांक्षी जिलों की सूची

राज्य	नीति आयोग के 30 जिले	मंत्रालय का 50 जिलों का समूह	एमएचए35 एलडब्लयूई जिले	कुल
आंध्र प्रदेश		1. विजयनगरम	1. विशाखापट्नम	3
आंध्र प्रदेश		2. कुडप्पा		
अरूणाचल प्रदेश		1. नमसई		1
असम	1 दरांग	1. उदलगिरि		7
असम	2. धुबरी	2. पूर्णिया		
असम	3. बारपेटा			
असम	4.गोलपारा			
असम	5.बक्सा			
बिहार	1. कटिहार	1. खगड़िया	1. औरंगाबाद	13
बिहार	2. बेगुसराय	2. पूर्णिया	2. बांका	
बिहार	3. शेखपुरा		3. गया	
बिहार	43ररिया		4. जमुई	
बिहार	5.सीतामढी		5.मुज्जफरपुर	
बिहार			6. नवादा	
छत्तीसगढ़		1. कोरबा	1. बस्तर	10
छत्तीसगढ़		2. महासमुंद	2. बिजापुर	
छत्तीसगढ़			3. दांतेवाड़ा	
छत्तीसगढ़			4. कांकेर	
छत्तीसगढ़			5. कोंडागांव	
छत्तीसगढ़			6.नारायणपुर	
छत्तीसगढ़			7.राजनंदगांव	
छत्तीसगढ़			8. सुकमा	
गुजरात		1. नर्मदा		2
गुजरात		2. दाहोद		
हरियाणा		1. मेवात		1
हिमाचल पदेश		1. चम्बा		1
जम्मू और कश्मीर		1. कुपवाड़ा		2
जम्मू और कश्मीर		2. बारामुला		
झारखंड	1 साहेबगंज	1. गोड्डा	1. लातेहर	19
झारखंड	2. पाकुड		2. लोहारदगा	
झारखंड			3. पलामु	
झारखंड			4. पूर्बीसिंहभूम	
झारखंड			5. रामगढ़	
झारखंड			6. रांची	
झारखंड			7. सिमदेगा	
झारखंड			8. पश्चिम सिंहभूम	
झारखंड			9. बोकारो	
झारखंड			10. चैत्र	
झारखंड			11. दुमका	

झारखंड			12.गढ़वा	
झारखंड			13. गिरिडीह	
झारखंड			14. गुमला	
झारखंड			15. हजारीबाग	
झारखंड			16. खूंटी	
कर्नाटक		1. यादगिर		2
कर्नाटक		2. रायचूर		
केरल		1. वायनाड		1
मध्य प्रदेश	1. दामोह	1. छतरपुर		8
मध्य प्रदेश	2. सिंगरौली	2. राजगढ़		
मध्य प्रदेश	3. बरवानी	3. गुना		
मध्य प्रदेश	4.विदिशा			
मध्य प्रदेश	5.खांडवा			
महाराष्ट्र	1. नंदुरबाड़	1. वाशिम	1. गढ़छिरोली	4
महाराष्ट्र		2.उस्मानबा द		
मणिपुर		1. चांदेल		1
मेघालय		1. रिभोई		1
मिजोरम		मामित		1
नागालैंड		किफैर		1
ओडिशा	1. रायगाडा	1. कंधमाल	1. कोरापुट	8
ओडिशा	2. कालाहांडी	2. गजपति	2. मल्कानगिरि	
ओडिशा		3. धेनकनाल		
ओड़िशा		4. बालांगिर		
पंजाब		1. फिरोजपुर		2
पंजाब		2.मोगा		
राजस्थान	1. बाराण	1. धौलपुर		5
राजरथान	2. जैरालगेर	2. कारौली		
राजस्थान		3. सिरोही		
सिक्किम		1. पश्चिमी सिक्किम		1
तमिलनाडु		1रामनाथपुरम		2
तमिलनाडु		2.विरूधुनगर		
तेलंगाना		1. भूपलपल्ली	1. खम्मम	3
तेलंगाना		2. आसिफाबाद		
त्रिपुरा		1. धलाई		1
उत्तर प्रदेश	1. चित्रकूट	1. चंदौली		8
उत्तर प्रदेश	2. बलरामपुर	2. सिद्धार्थनगर		
उत्तर प्रदेश	3. बहराईच	3. फतेहपुर		
उत्तर प्रदेश	4. सोनभद्र			
उत्तर प्रदेश	5.श्रावस्ती			
उत्तराखंड		1. हरिद्वार		2
उत्तराखंड		2. उधम सिह नगर		
पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद	1. गाडिया		5
पश्चिम बंगाल	2. मालदा	2. दक्षिण दिनाजपुर		
पश्चिम बंगाल	3. बिरभूम			
कुल	30	50	35	115

अनुबंध VII

फाईल सं.1–12011 / 15 / 2016एन–एनआरएलएम(आरएसईटीआई)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण कौशल विकास)

124, थापर हाउस,
पश्चिमी स्कंध,
प्रथम तल, जनपथ
नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 21 जुलाई, 2017

सेवा में
प्रधान सचिव / सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (सूची के अनुसार)

विषयः क्षमता निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण के लिए आरएसईटीआई अवसंरचना के उपयोग के संबंध में

महोदय / महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। जबकि, उचित प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा कई राज्यों में एक बाधा कारक है और इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि राज्यों के ग्रामीण रव रोजगार प्रशिक्षण रांस्थाओं (आरएराईटीआई) के बुनियादी ढांचे का इरतेमाल उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सके।

2. मुझे आगे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि मंत्रालय में पंचायती राज मंत्रालय के अनुरोध पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि आरएसईटीआई द्वारा पंचायती राज मंत्रालय को लागत आधार पर इस तरह के खाली स्थान की उपलब्धता होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्ष भर के अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। उपलब्ध कराई गई जगह के लिए लागत में सामान्य रूप से पंचायती राज मंत्रालय को ऐसे बुनियादी ढांचे को प्रयुक्त किए गए दिनों के लिए प्रो–रेटा आधार पर प्रदान की गई बिजली, पानी और अन्य वस्तुओं की लागत शामिल होगी।

3. उपरोक्त को देखते हुए, अनुरोध है कि तदनुसार अपने राज्य की सभी आरएसईटीआई को उपयुक्त निर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति पंचायती राज मंत्रालय को इस मंत्रालय की एक प्रति के साथ भेजी जा सकती है।

21/7/17

अवर–सचिव भारत सरकार
टेलिः 011–23743625

प्रतिलिपिः–
1. श्री के एस सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. श्री के एन जनार्दन, आरएसईटीआई, एनएसीईआर, बेंगलुरू के राष्ट्रीय निदेशक।
3. सभी एसआरएलएम के मिशन निदेशक।

पंचायती राज